VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

जनवरी - 2017

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान *7*

1.1 लोक लेखा समिति 7

1.2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा -19 8

1.3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 (3) 9

1.4 मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री-सेंसरशिप 10

1.5 अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय का वक्तव्य 11

1.6. नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग 11

1.7. भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 का प्रारूप 12

1.8. भारतीय कौशल विकास सेवा 13

1.9. नेट न्यूट्रलिटी पर TRAI का परामर्श पत्र 14

1.10. ओडिशा ने महानदी विवाद पर गठित पैनल को खारिज किया 16

1.11. भारत में गैर लाभकारी संगठन 16

2. अंतरराष्ट्रीय/भारत और विश्व *18*

2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात 18

2.2. भारत-पुर्तगाल 19

2.3. भारत-केन्या 19

2.4. भारत-यूक्रेन 20

2.5. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका 20

2.6. रायसीना वार्ता 21

2.7. प्रवासी भारतीय दिवस - 2017 - 14 वाँ संस्करण 21

2.8. संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति 22

2.8.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) व्यापार समझौता 22

2.8.2. शरणार्थियों और आगंतुकों पर प्रतिबन्ध 23

2.8.3. ग्लोबल गैग रूल 23

2.8.4. मैक्सिकन सीमा पर दीवार उठाना 23

2.9. वैश्विक निवेश समझौता 24

2.10. चागोस द्वीपसमूह विवाद 24

3. अर्थव्यवस्था *26*

3.1. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (लिंग उत्तरदायी बजट) / जेंडर बजटिंग 26

VISION IAS

3.2. रोज वैली मामला/प्रकरण....26
3.3. ग्रीन बॉण्ड (हरित बंधपत्र)....28
3.4. गरीबों के लिए नई आवास योजनाएं....29
3.5. सभी के लिए 24X7 बिजली....30
3.6. भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता....31
3.7 संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना....32
3.8 लकी ड्रॉ के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन....33
3.9. विनिवेश....33
3.10 लघु वित्त बैंक....33
3.11 मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति....34
3.12. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स....35
3.13. बागान श्रम अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव....35
3.14. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम....36
3.15. रेल मंत्रालय द्वारा गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा....37
3.16. निजी बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान....37
4. सुरक्षा....39
4.1. सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2322....39
4.2. अर्द्धसैनिक बलों से सम्बंधित मुद्दे....40
4.3. कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत....42
4.4. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी....43
4.5. INS खंडेरी....43
4.6. पिनाका रॉकेट....44
4.7. रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया: प्रमुख मुद्दे....44
4.8. सैन्य सलाहकार का नया पद....45
5. पर्यावरण....46
5.1 क्योटो प्रोटोकोल....46
5.2 ओलिव रिडले....47
5.3 हिरण के सींग....47
5.4 हक्की हब्बा....48
5.5 जिंजीबर स्यूडोस्क्वेयरसम....48

VISION IAS

5.6. इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य 49
5.7. चीन द्वारा हांथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध 49
5.8. आइस शेल्फ लार्सन सी आइस में दरार की लम्बाई में वृद्धि 50
5.9. विदेशी जीवों के चमड़े के आयात पर प्रतिबंध 50
5.10. पोलाचिरा आर्द्रभूमि 51
5.11. खनन दुर्घटनाएं 52
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 54
6.1. कोआलिशन फॉर एपीडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस 54
6.2. क्लेबसिएला निमोनिया बैक्टीरिया 54
6.3.अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्र 55
6.4. वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व 56
6.5. द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)के तैरते हुए संयंत्र 56
6.6. एक्सोप्लेनेट : Wolf1061C 56
6.7. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स 57
6.8. गुरुत्वीय तरंग टेलीस्कोप: NGARI 58
6.9. क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए नासा का मिशन 58
6.10.अशलिम परियोजना 59
6.11. भारत CERN का एसोसिएट सदस्य बना 59
6.12. ई-सिगरेट 60
7. सामाजिक मुद्दे 62
7.1. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 62
7.1.1. सुमित बोस पैनल ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी 62
7.1.2. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011: वरदान या अभिशाप 63
7.2. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 64
7.3. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 65
7.4. खाद्य विनियमन 66
7.4.1. खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण (फोर्टीफिकेशन) पर प्रारूप विनियम 66
7.4.2. खाद्य कानूनों पर विधि आयोग की अनुशंसाएं 68
7.5. आय असमानता पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट 2017 69
7.6. हरियाणा में लिंगानुपात 70
7.7. मोटे अनाज: भोजन एवं कृषि का भविष्य 71

VISION IAS

7.8. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 72
7.9. अन अधिसूचित, ख़ानाबदोश और अर्ध-ख़ानाबदोश जनजाति (डिनोटीफाईड, नोमैडिक एंड सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स) 73
7.10. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 74
7.11. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 75
8. संस्कृति 76
8.1. बुद्धवनम परियोजना 76
8.2. हक्की पिक्की 76
8.3. कराई कोलक्कनाथम 76
8.4. केम्पे गौडा काल का मंडप 77
8.5. सावित्रीबाई फुले 77
8.6. तांगलिया बुनाई 77
8.7. विरासत का अपमान 78
9. नैतिकता 79
9.1. फेक़ न्यूज़ और मीडिया नैतिकता 79
9.2. पशु अधिकार बनाम परंपराएँ 80
9.3. डेरेक परफिट 81
9.4. छेड़छाड़: बंगलुरू केस स्टडी 82
10. सुर्ख़ियों में 85
10.1. शहरीकरण और अवैध कालोनियां 85
10.2. जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने हेतु लाए गए अध्यादेश का मुद्दा 85
10.3. उत्तर-पूर्वी पर्यटन विकास परिषद (NETDC) 85
10.4. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स :CPI) 85
10.5. सार्वजनिक भूमि पर उपासना स्थल 86
10.6. संविधान की आठवीं अनुसूची 86
10.7. सूचना का अधिकार (RTI) अनुपालन दर 86
10.8. संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ 87
10.9. राजनीतिक दलों के लिए कर छूट 87
10.10. निजी FM रेडियो द्वारा समाचार प्रसारण 88
10.11. राष्ट्रीय खेल संहिता हेतु समिति 88
10.12. टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना 89

VISION IAS

10.13. भारत-रवांडा 89
10.14. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड 89
10.15. पासपोर्ट सेवा केंद्र: अनूठी पहल 90
10.16. प्रभावी प्रबंधन स्थल 90
10.17. घरेलू आस्तियां और ऋणग्रस्तता 91
10.18. DISHA परियोजना 91
10.19. तमिलनाडु में भूजल की स्थिति: मामले का अध्ययन 92
10.20. किसान आत्महत्याओं संबंधी आंकड़े 92
10.21. जीवन रेखा: ई-स्वास्थ्य परियोजना 92
10.22. भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज) 92
10.23. सभी के लिए आरोग्य रक्षा 93
10.24. केरल में "पिंक" पहल 93
10.25. नये मानव अंग की खोज: मेसेन्टरी 94
10.26. ग्रेट रेड स्पॉट 94
10.27. अग्नि IV मिसाइल लांच 94
10.28. हाइपरबिलिरुबिनेमिया 95
10.29. मार्स आइस होम 95
10.30. तटीय क्षेत्र का विनियमन 95
10.31. चेन्नई मेट्रो बाइक रेंटल स्कीम 96
10.32. मांझा धागों पर प्रतिबंध 96
10.33. ऑर्फ़न ड्रग 96
10.34. सेवा प्रभार वैकल्पिक 97

VISION IAS

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1 लोक लेखा समिति

(Public Accounts Committee)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में RBI के गवर्नर उर्जित पटेल विमुद्रीकरण के प्रभावों की जानकारी देने हेतु लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee:PAC) के समक्ष प्रस्तुत हुए।
- इस दौरान एक विवाद यह भी सामने आया कि क्या PAC प्रधानमंत्री को समन भेज सकती है।

लोक लेखा समिति के बारे में

- PAC 1921 से अस्तित्व में है और इसकी स्थापना **भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत** की गई थी।
- यह सरकार के वित्त पर संसदीय निरीक्षण हेतु संसद द्वारा **प्रतिवर्ष** गठित की जाती है।
- यह एक संयुक्त समिति है, जिसमें **लोक सभा से 15 तथा राज्यसभा से 7 सदस्य** होते हैं, जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से निर्वाचित होते हैं।
- 1967 के बाद से परंपरागत रूप से इसका अध्यक्ष **विपक्षी दल** से चुना जाता है।
- समिति को अन्य समितियों के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा साक्ष्यों के लिए गवाहों को तलब करने की शक्ति दी गई है।
- समिति की सभी मंत्रणाएँ गोपनीय होती हैं।
- सरकार PAC की अनुशंसाओं के आधार पर की गई **कार्रवाई का प्रतिवेदन** प्रस्तुत करती है जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है।

समिति के प्राथमिक कार्य

- केंद्र सरकार के विनियोग खातों एवं वित्त खातों की जाँच और लोकसभा के समक्ष रखे गए अन्य खातों की जाँच।
- विनियोग खातों और इस पर CAG की रिपोर्ट की जाँच में समिति को स्वयं को इस बात के लिए पुष्ट करना होता है कि:

✓ जिस राशि का व्यय किया गया है वह उसी सेवा या प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह उपलब्ध या भारित थी;

✓ व्यय प्राधिकार के अनुसार किया गया है, और

✓ प्रत्येक पुनर्विनियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के तहत इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

- विभिन्न स्वायत्त और अर्द्ध स्वायत्त निकायों के लेखाओं की जाँच करना, जिनकी लेखा परीक्षा CAG द्वारा की जाती है।
- यह वास्तविक स्वीकृत राशि की तुलना में हुए अधिक या कम व्यय के औचित्य का निर्धारण करती है।
- हालांकि, समिति के कार्यों का विस्तार व्यय की औपचारिकता से आगे देश की अर्थव्यवस्था हेतु अपने विवेक एवं विश्वसनीयता के संप्रयोग तक है, और इस प्रकार समिति घाटे, अनावश्यक व्यय और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच करती है।
- समिति कम आकलन, कर चोरी, शुल्कों की का आरोपण न किया जाना, गलत वर्गीकरण आदि से सम्बंधित मामलों की जाँच करती है, कराधान कानूनों और प्रक्रियाओं में खामियों की पहचान करती है और राजस्व के रिसाव (लीकेज) की जांच करने के लिए अनुशंसाएँ करती है।

मुद्दे

- गोपनीयता: समिति की बैठकें बंद कमरे में होती हैं। जबकि इसके विपरीत, USA में समितियों के सम्मुख रखे जाने वाले विवरणों का सीधा प्रसारण होता है और ब्रिटेन में, समिति की बैठकें जनता के लिए खुली रहती हैं।
- समिति के सदस्यों में लेखांकन और प्रशासनिक सिद्धांतों की पेचीदगियों से निपटने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता की कमी होती है।
- समिति के कार्य प्रकृति में पोस्टमार्टम के समान हैं तथा नुकसान को रोकने में प्रभावी नहीं है।
- जहाँ अन्य विभागों से संबंधित स्थायी समितियां कुछ सदस्यों की असहमतियों के साथ प्रतिवेदनों को स्वीकार कर सकती हैं, वहीं PAC को सर्वसम्मति से सभी प्रतिवेदनों को ग्रहण करना होता है। यह PAC के सन्दर्भ में अद्वितीय है, और यह इसकी तटस्थता बनाए रखने में मदद करता है।
- इसके पास जांच का स्वत: संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है।
- कार्यवाहियों का राजनीतिकरण:

✓ 2G घोटाले जैसे कुछ बड़े सार्वजनिक हितों वाले मुद्दों में यह दिखाई दिया कि सदस्यों ने समिति की बैठकों में अपनी पार्टी का पक्ष लेना शुरू कर दिया।

✓ यहां तक कि संप्रग (UPA) सरकार के दौरान, PAC अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के 2G घोटाले के संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बुलाने के निर्णय पर व्यापक पैमाने पर विवाद आरम्भ हो गया था।

VISION IAS

आगे की राह

- एक निर्धारित समय सीमा के भीतर CAG की जाँच रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- सरकारी विभागों के लिए कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु एक समय सीमा तय की जानी चाहिए।
- PAC के पास जांच को स्वत: संज्ञान में लेने की शक्तियां होनी चाहिए।
- लोकसभा या राज्यसभा सचिवालयों के माध्यम से उन्हें पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- साक्षी की गवाही को या तो प्रसारित करके या प्रेस को अनुमति देकर सार्वजनिक किया जाना चाहिए या गवाही की प्रतिलिपि बनाकर सार्वजनिक करना चाहिए।
- PAC की बैठक के कार्य-विवरण को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
- आम जनता को समितियों की कार्यवाही के साक्ष्य देखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

खुलेपन और पारदर्शिता की दिशा में

- 2016 में दिल्ली विधानसभा की एक समिति, जो क्रिकेट और हॉकी के खेल प्रशासन निकायों में अनियमितताओं की जाँच कर रही थी, ने इसकी कार्यवाही देखने हेतु प्रेस को अनुमति दी।
- 2008 में गोवा विधानसभा ने भी इसकी समिति की बैठकों को जनता और प्रेस दोनों के लिए खोला था।
- 13 वीं लोकसभा में संयुक्त समिति के अध्यक्ष ने शेयर बाजार घोटाले की जांच के दौरान समिति की प्रत्येक बैठक के अंत में प्रेस को जानकारी दी।

1.2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा -19

(Section-19 of Prevention of Corruption Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अदालत द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध जांच शुरू करने के लिए सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता वाले अपने पूर्व के निर्णय को बरकरार रखा है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (1) के अंतर्गत पूर्व मंजूरी

- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है तो यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- यदि किसी अधिकारी को हटाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है तो यह राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।
- अन्य लोक सेवकों के मामले में, यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- अधिनियम की धारा 19 सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना लोक सेवक द्वारा किये गए किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए न्यायालय पर प्रतिबन्ध लगाती है।
- यह प्रतिबन्ध, मुकदमे (trial) के उद्देश्य से न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के विरुद्ध है।
- किन्तु धारा 19 के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू करने या CrPC की धारा 156 (3) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा जांच प्रारंभ करने पर कोई निषेध नहीं है।

पूर्व के निर्णयों का कालक्रम

- **1951 – आर. आर. चारी बनाम राज्य वाद –** उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि CrPC की धारा 156 (3) के अंतर्गत जांच के लिए मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं थी।
- **1998 - राजस्थान राज्य बनाम राज कुमार वाद–** उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को बनाए रखा जिसके अनुसार CrPC की धारा 173 के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल करने से पहले मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **2013 - अनिल कुमार बनाम एम. के. अयप्पा वाद–** उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को बनाए रखा कि धारा-19 प्रारंभिक स्तर पर ही लागू हो जाती है और CrPC की धारा 156(3) के अंतर्गत जांच के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है।
- **2014 - सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ वाद-** दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A में निहित पूर्व अनुमति की आवश्यकता को असंवैधानिक बना दिया गया था।
- **2016 – एल. नारायण स्वामी बनाम राज्य प्रकरण –** उच्चतम न्यायालय ने 2013 के निर्णय को बनाए रखा।
- **2016 – एन.सी. शिवकुमार बनाम राज्य** में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा है कि 2016 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने बड़ी पीठों द्वारा प्रतिपादित किए गए पूर्व के निर्णयों के स्थापित सिद्धांतों को नजरअंदाज किया है।

शामिल मुद्दे

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के उद्देश्य हैं -

- ✓ ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की झूठी शिकायतों से रक्षा करने के लिए सरकार को बाध्य करना।
- ✓ लोक सेवकों को सुशासन के लिए डर या उत्पीड़न के बिना निर्णय लेने की अनुमति देना।
- पूर्व मंजूरी का प्रावधान भ्रष्ट लोक सेवकों की रक्षा करता है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही के विरुद्ध है।
- उच्चतम न्यायालय के निर्णयों ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 की स्थिति और पूर्व मंजूरी के सन्दर्भ में भ्रम की स्थिति पैदा की है। यह सुशासन के प्रतिपादन के लिए एक बड़ा आघात हो सकता है।
- इस तरह के निर्णय लोक प्रशासन और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को भी कम कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2016 - पूर्व मंजूरी पर विवादास्पद प्रावधान

- आधिकारिक पद पर रहते हुए किसी लोक सेवक द्वारा लिए गए निर्णयों या की गई अनुशंसाओं पर भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की लोकपाल या लोकायुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना जांच नहीं की जाएगी।
- पूर्व मंजूरी सेवानिवृत्त अधिकारियों तक विस्तारित होगी।

आगे की राह

- कार्यपालिका से आपराधिक जांच की स्वतंत्रता विशेष रूप से भ्रष्टाचार के मामलों में, आपराधिक न्याय प्रणाली की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह आवश्यक है कि उच्चतम न्यायालय मंजूरी पर कानून के वर्तमान स्वरुप में स्पष्ट रूप से उपस्थित विसंगतियों को दूर करे।

1.3. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3)

(Section 123(3) of Represenation of People Act,1951)

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (3) निम्नलिखित आधार पर भ्रष्ट आचरण की घोषणा करती है:

- "किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार की सहमति प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति या उनके चुनाव एजेंट द्वारा किसी भी व्यक्ति को **उसके** धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने अथवा मतदान से परहेज करने की अपील करना। "
- शब्द "**उसके**" (his) को 1961 में एक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय की एक सात सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया कि "धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा को चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी जाएगी"
- यह भी कहा गया कि यदि इन विचारों को वोट मांगने का आधार बनाया गया तो किसी उम्मीदवार का चुनाव रिक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है।

निर्णय

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (Represenation of People Act:RPA) की धारा 123(3) की एक व्याख्या के रूप यह निर्णय दिया गया था।
- धारा 123 (3) चुनाव प्रचार के लिए "भ्रष्ट आचरण" का पालन करने से संबंधित है।
- पीठ का कार्य RPA की धारा 123 (3) में शब्द 'उसका(his)' की व्याख्या करना था।
- ✓ बहुमत का मानना था कि यहाँ "उसका" (his) किसी भी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या निर्वाचक की सहमति से अपील करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को दर्शाता है। इस व्याख्या को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए, पीठ ने RPA के विभिन्न संशोधनों से संकेत लिए।
- ✓ यह भी कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया की "पवित्रता" बनाए रखने के लिए; धर्म, जाति और भाषा जैसे कुछ तर्कों पर अब बहस नहीं होनी चाहिए।
- ✓ दूसरी तरफ असहमत न्यायाधीशों का यह मानना था कि RPA की धारा 123(3) में इस तरह की व्यापक व्याख्या की आवश्यकता नहीं है और शब्द "उसका" निर्वाचक/मतदाता को शामिल नहीं करता है।
- ✓ असहमत न्यायाधीशों ने टिप्पणी की है कि धर्म जैसे चिह्न भारतीय समाज की संरचना में गहराई में निहित हैं।
- पीठ ने "हिंदुत्व" मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया।

हिंदुत्व मामला

1995 में, एक तीन सदस्यीय पीठ ने निर्णय दिया था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगना भ्रष्ट आचरण नहीं है, क्योंकि हिन्दुत्व एक धर्म नहीं बल्कि "जीवन जीने का एक तरीका" है।

VISION IAS

आलोचना

- यह परिभाषित करना कठिन है कि किस तरह की अपील धार्मिक अपील है।
- यह व्याख्या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
- RPA में अभद्र भाषा या घृणा फ़ैलाने वाले भाषण पर प्रतिबन्ध का पहले से ही प्रावधान है।
- इस नियम की विस्तृत व्याख्या अकाली दल जैसे दलों को "नियमविरोधी" बना देगा क्योंकि उनका नाम ही इस व्याख्या का उल्लंघन करता है।

1.4 मीडिया को विनियमित करने के लिए प्री-सेंसरशिप

(Pre-Censorship to Regulate Media)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय द्वारा मीडिया के प्रसारण-पूर्व या प्रकाशन-पूर्व सेंसरशिप से सम्बंधित एक जनहित याचिका को अस्वीकार कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि न्यायालय या सांविधिक निकाय की भूमिका केवल सामग्री के प्रकाशन पश्चात शिकायत किये जाने के बाद ही होगी।

प्री-सेंसरशिप की अस्वीकृति के लिए आधार

- उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 19 (1) (क) पर विश्वास, जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- इससे पहले रोमेश थापर मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 19(2) में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्य किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं हो सकता है।

मीडिया के अन्य रूपों का विनियमन करने के लिए मौजूदा तंत्र

- **भारतीय प्रेस परिषद (PCI):** यह समाचार पत्र, जर्नल, पत्रिकाओं और प्रिंट मीडिया के अन्य रूपों को विनियमित करने के लिए एक सांविधिक निकाय है, किन्तु यह इसके दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए उन्हें दंडित नहीं कर सकती है।
- **केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC):** फिल्मों और टीवी शो आदि की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए।
- रेडियो चैनल उसी कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता का पालन करते हैं जिसका अनुपालन ऑल इंडिया रेडियो (AIR) द्वारा किया जाता है।
- टेलीविजन पर प्रसारण सामग्री को विनियमित करने के लिए कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताएं, केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जारी की गई हैं।
- भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (ASCI) ने भी विज्ञापन की सामग्री पर दिशा निर्देश तैयार किए हैं।

नियामक तंत्र के मौजूदा परिदृश्य

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिकांशतः स्व-विनियमित है।
- कई निजी चैनलों ने मिलकर स्वयं ही एक न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NBSA) का गठन किया है जो दिशा-निर्देशों के स्वरुप में मानकों को जारी करता है।
- NBSA को चेतावनी देने, सलाह देने (admonish), निंदा करने (censure), अस्वीकृति व्यक्त करने और संहिता (code) के उल्लंघन के लिए प्रसारक पर 1 लाख रुपए तक की राशि का जुर्माना लगाने की शक्ति दी गई है।
- यदि कुछ अनुचित होता है, तो सरकार भी कदम उठा सकती है और चैनलों को दंड दे सकती है, जैसे उनका एक दिन के लिए उनका प्रसारण बंद करना या इससे अधिक।

वर्तमान नियामक व्यवस्था की समस्याएं

- भारत में मीडिया का विनियमन एकीकृत नहीं है, और निकायों की बहुलता है।
- NBSA, ASCI जैसे नियामक निकायों के पास कानूनी शक्ति की कमी है और इस प्रकार ये बहुत प्रभावी नहीं हैं।
- सोशल मीडिया के लिए कोई नियामक संस्था नहीं है।

आगे की राह

- वर्तमान मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व सेंसरशिप को अस्वीकृत करना सही है, लेकिन साथ ही, स्व-नियमन काफी हद तक अप्रभावी रहा है।
- इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और संसदीय समितियों द्वारा निम्नलिखित सुझाव व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं:

✓ उच्चतम न्यायालय ने (सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन मामले में) TRAI की तर्ज पर एक स्वतंत्र प्रसारण मीडिया प्राधिकरण (Broadcasting media authority) के निर्माण का सुझाव दिया है।

✓ मई 2013 में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति (2012-2013) ने सिफारिश की है कि या तो प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया दोनों की सामग्रियों को देखने के लिए एक सांविधिक निकाय होना चाहिए या PCI का इसकी संहिताओं के उल्लंघन की दशा में दण्ड आरोपित करने की वास्तविक शक्ति प्रदान करते हुए पुनरुत्थान किया जाए।

VISION IAS

- मीडिया लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए, इसकी स्वतंत्रता तथा साथ ही मीडिया के विनियमन के संतुलन के साथ एक प्रभावी तंत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

1.5 अध्यादेश पर उच्चतम न्यायालय का वक्तव्य

(Supreme Court on Ordinances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बिहार सरकार ने 1989 के एक अध्यादेश को लगातार सात बार पुनर्प्रख्यापित किया जिसके द्वारा सरकार ने इस विधेयक को एक बार भी राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए बिना बिहार में 429 से अधिक संस्कृत विद्यालयों का अधिग्रहण किया था।
- इसके अतिरिक्त हाल ही में, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि अध्यादेश को विधायिका के समक्ष प्रस्तुत न करना शक्ति का दुरुपयोग और संविधान के साथ धोखाधड़ी है।

संविधान क्या कहता है?

- अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213 क्रमश: राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- संविधान के तहत, एक अध्यादेश केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब

✓ विधानमंडल या विधायिका के किसी भी सदन का सत्र नहीं चल रहा हो।

✓ ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता है।

- उच्चतम न्यायालय ने 1986 में डी.सी वाधवा मामले में पहले ही निर्णय दिया था कि अध्यादेशों को बारम्बार पुनर्प्रख्यापित करना असंवैधानिक है।

बार बार अध्यादेश के मार्ग का सहारा क्यों?

- विशेष मुद्दों पर विधायिका का सामना करने की अनिच्छा।
- उच्च सदन में बहुमत का अभाव।
- विपक्षी दलों द्वारा बार बार तथा जानबूझकर व्यवधान डालना।

निर्णय के निहितार्थ

- जहाँ अध्यादेश आवश्यक हो वहां इसे प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति या राज्यपाल की संतुष्टि के मुद्दे पर न्यायालय विवेचना कर सकता है।
- न्यायालय जांच कर सकता है कि क्या इसका कोई परोक्ष मकसद था। इस प्रकार यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति का विस्तार है।
- यह किसी अध्यादेश को इसके अनुमोदन के लिए विधायिका में पेश किए जाने को अनिवार्य बनाता है।

आगे की राह

संविधान में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत प्रदान किया गया है जहां कानून निर्माण विधायिका का कार्य है। कार्यपालिका को आत्म-संयम दिखाना चाहिए और अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रयोग केवल संविधान की भावना के अंतर्गत करना चाहिए न कि विधायिका की जांच और बहस से बचने के लिए।

1.6. नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण की मांग

(Nagaland Women Demand ULB Reservation)

74वें संविधान संशोधन में महिला आरक्षण से सम्बंधित प्रावधान

- **अनुच्छेद 243T (3)** प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे।
- **अनुच्छेद 243T (4)-** नगर पालिका अध्यक्ष के पद ऐसी रीति से महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

अनुच्छेद 371A(1) क्या है?

निम्नलिखित के संबंध में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड राज्य को तब तक लागू नहीं होगा जब तक नागालैंड के विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय नहीं करती है, अर्थात-

- नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं
- नागा रूढ़िजन्य विधि और प्रक्रिया
- सिविल और दांडिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रूढ़िजन्य विधि के अनुसार होते हैं हैं
- भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- नागालैंड की महिलाओं द्वारा शहरी स्थानीय निकायों (ULBs)में संवैधानिक रूप से 33 % आरक्षण की माँग की जा रही है।

शामिल मुद्दे

- यहाँ संविधान के अनुच्छेद 243T (महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण) तथा अनुच्छेद 371A के मध्य विरोधाभास है।
- नागालैंड के शहरी क्षेत्र बुनियादी सेवाओं की प्राप्ति हेतु प्रशासन की कमी का सामना कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने 2011 से ही शहरी स्थानीय चुनावों के आयोजन को रोक रखा है।
- नागालैंड के प्रथागत कानूनों के अनुसार प्रशासन के संस्थानों के संचालन का अधिकार सिर्फ पुरुषों का है। ऐसे में महिलाओं द्वारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग वहां संघर्ष को जन्म दे रही है।

पृष्ठभूमि

- ULBs में महिलाओं को आरक्षण देने हेतु संसद ने 1993 में 74वाँ संविधान संशोधन पारित किया।
- नागालैंड ने इस प्रावधान हेतु 2006 में नागालैंड म्यूनिसिपल (प्रथम संशोधन) अधिनियम पारित किया।
- 74 वें संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 371A के सिद्धांतों के मध्य विवाद के चलते नागालैंड में 2011 से ULB के कोई चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं।
- अप्रैल 2016 में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार को स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का आदेश दिया।
- नागालैंड में 76.11% की उच्च महिला साक्षरता दर विद्यमान है। किन्तु, आज तक केवल एक नागा महिला संसद हेतु निर्वाचित हो सकी है।

महिला आरक्षण के पक्ष में दिए गए तर्क

- महिला आरक्षण पर संयुक्त कार्रवाई समिति का कहना है कि ULBs में महिलाओं के लिए आरक्षण को नकारना संविधान का उल्लंघन है।
- नागालैंड गांव और क्षेत्र परिषद अधिनियम (Nagaland Village and Area Council Act), 1978 के अनुसार ग्राम विकास बोर्डों में महिलाओं के 25% आरक्षण को लेकर जनजातियों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। ऐसे में, ULBs में महिलाओं के चुनाव का विरोध अतार्किक है।
- शासी संस्थाओं में पुरुष प्रभुत्व लिंग विशिष्ट नीतियों में एक निर्वात उत्पन्न कर सकता है।
- यह राजनीतिक प्रतिनिधित्व द्वारा महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न करता है।

महिला आरक्षण के विपक्ष में तर्क

- 16 जनजातीय समूहों के एक निकाय, नागा होहो के अनुसार ULB में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना उनके प्रथागत कानूनों के विरुद्ध है।
- उनका तर्क है कि वे इन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के खिलाफ नहीं हैं अपितु वे महिलाओ के चुनाव लड़ने का विरोध करते हैं। वे महिलाओं के चुनाव में खड़े होने के बजाए उनके मनोनयन को प्राथमिकता देते हैं।

सरकार द्वारा उठाये गए कदम

- नागालैंड की सरकार महिलाओं के लिए 33 % आरक्षण के साथ ULB चुनावों के लिए सहमत हो गयी है।
- केंद्र सरकार 'लैंगिक रूप से समान शहरों '(engendered cities)' के विकास के लिए सभी ULBs में महिलाओं के लिए 50 % आरक्षण हेतु कार्यरत है।

क्या किया जाना चाहिए?

- महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के प्रस्ताव को जल्द ही अंतिम रूप देकर इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
- प्रथागत कानूनों में सुधार कर इन्हें लिंग तटस्थ बनाया जाना चाहिए।
- राजनीतिक दलों या विभिन्न स्थानीय परिषदों को खुद चुनाव में महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए 'स्वैच्छिक कोटा' की स्थापना करनी चाहिए।

1.7. भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016 का प्रारूप

(Draft Indian Medical Council Bill 2016)

भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956

- यह अधिनियम भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI) के गठन का प्रावधान करता है।
- भारतीय चिकित्सा परिषद् विनियमित करता है-
  - ✓ चिकित्सा शिक्षा के मानक
  - ✓ मेडिकल कॉलेज, पाठ्यक्रमों का आरम्भ या सीटों की संख्या में वृद्धि की अनुमति देना।
  - ✓ चिकित्सकों का पंजीकरण।
  - ✓ चिकित्सकों के पेशेवर आचरण के मानक।

VISION IAS

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् (IMC) अधिनियम, 1956 में संशोधन कर IMC (संशोधन) विधेयक प्रस्तावित किया गया है।
- इस विधेयक के प्रावधान अरविन्द पनगढ़िया समिति के द्वारा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता से सम्बंधित चिंताओं हेतु अनुशंसित सुधारों पर आधारित हैं।

विधेयक के प्रावधान

- सभी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तर पर एक यूनिफॉर्म एग्जिट टेस्ट (नेशनल एग्जिट टेक्स्ट या NEXT) आयोजित किया जाएगा।
- NEXT के माध्यम से MBBS के स्नातकों को मेडिकल प्रैक्टिस या परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए अर्हता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- UG और PG स्तर पर चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश हेतु काउन्सलिंग प्रस्तावित।
- दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम 3 साल की सेवा प्रदान करने वाले सरकारी चिकित्सकों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सरकारी कॉलेजों में PG पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु 50% तक का आरक्षण दिया जाएगा।
- PG की डिग्री के बाद, चिकित्सा अधिकारियों को सम्बंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दूरस्थ या दुर्गम क्षेत्रों में 3 साल के लिए सेवा करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- MCI, NEXT के आयोजन के तौर तरीके तथा इस हेतु प्राधिकरण के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण करेगी।

विधेयक का महत्त्व

- इसका उद्देश्य सरकारी तथा निजी कालेजों के छात्रों को समान स्तर प्रदान करना है।
- यह मेडिकल प्रैक्टिस हेतु लाइसेंस प्रदान करने में पारदर्शिता में वृद्धि करेगा।
- यह भारत में चिकित्सा कुशल कार्यबल की गुणवत्ता में वृद्धि करेगा।

आलोचना

- चिकित्सा संस्थानों में पहले से ही उनके MBBS पाठ्यक्रम के लिए सतत मूल्यांकन प्रक्रिया उपस्थित है। ऐसे में NEXT विश्वविद्यालयी परीक्षा को निरर्थक बना देगा।
- एक कठिन प्रक्रिया मेधावी छात्रों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रति हतोत्साहित कर सकती है।
- ड्राफ्ट में स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि एक MBBS छात्र NEXT अनुत्तीर्ण हो जाता है तो आगे क्या होगा।
- 50% तक का आरक्षण छात्रों को PG पाठ्यक्रमों हेतु विदेशों में पढाई करने के लिए विवश कर सकता है।
- UG एवं PG के स्तर पर 50% संवैधानिक आरक्षण के अतिरिक्त 50 % आरक्षण, ओपन केटेगरी के छात्रों के लिए महज 25 % सीटें छोड़ेगा।
- MBBS के पाठ्यक्रम तथा विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, किसी डॉक्टर को अपनी शिक्षा पूरी करने में लगभग 13 वर्ष का समय लगेगा। यह छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के प्रति हतोत्साहित करेगा।

सुझाव

- विधेयक में छात्रों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEXT परीक्षा कई बार देने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- विधेयक में NEXT की संरचना, प्रक्रिया इत्यादि के सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधानों को शामिल किया जाना चाहिए।
- आरक्षण के प्रावधानों पर समानता एवं योग्यता के आधार पर पुनःविचार करना चाहिए।

आगे की राह

- सरकार को योग्यता मानदंड का त्याग किए बिना देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विधेयक को अंतिम रूप देने में चिकित्सकीय समुदाय तथा छात्रों के सुझावों को वरीयता दी जानी चाहिए।

1.8. भारतीय कौशल विकास सेवा

(Indian Skill Development Service) [ISDS]

पृष्ठभूमि

- मंत्रिमंडल द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण निदेशालय के लिए 2015 में ISDS के सृजन को मंजूरी दी गयी।
- वर्तमान अधिसूचना के साथ यह अब एक औपचारिक सेवा बन जाएगी।
- प्रशिक्षण निदेशालय शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना आदि जैसी योजनाओं को लागू करता है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS) की स्थापना की अधिसूचना जारी कर दी है।

सेवा की आवश्यकता

- स्किल इण्डिया मिशन का लक्ष्य 2022 तक 500 मिलियन कुशल कार्यबल की स्थापना करना है। ISDS के अंतर्गत कुशल प्रशासकों का दल इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करेगा।
- यह क्षेत्रक 2014 तक मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा संचालित रहा है। ISDS इस क्षेत्रक में अधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करेगा।
- भारत, विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे कम कौशल प्रवीणता युक्त राष्ट्र है। यह कदम हमारे जनांकिकीय लाभांश के दोहन तथा कार्यबल की कुशलता में वृद्धि के दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगा।

इस सेवा की विशेषताएँ

- ISDS ग्रुप 'A' की सेवा होगी जिसे UPSC द्वारा संचालित भारतीय अभियांत्रिकी सेवा के माध्यम से भरा जाएगा।
- ISDS में 263 अखिल भारतीय पद शामिल होंगे।
- ISDS के अंतर्गत प्रशासकों के प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा किया जाएगा।

महत्त्व

- यह युवा व प्रतिभावान प्रशासकों को कौशल विकास हेतु आकर्षित करने का प्रयास है।
- यह कौशल भारत जैसे सरकार के कौशल विकास के इकोसिस्टम को नव प्रोत्साहन देगा।
- यह योजनाओं के कुशल और प्रभावी कार्यान्वयन में मदद करेगा।
- यह कुशल युवाओं की संख्या में वृद्धि के लक्ष्य के प्रसार हेतु प्रशिक्षित कौशल प्रशासकों के समर्पित कार्यबल का गठन करेगा।
- यह अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी भारतीय मानवबल को प्रोत्साहित करेगा।
- कुशल प्रशासकों का एक समर्पित कैडर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की सामान्य नौकरशाही को विशिष्ट बनाएगा। यह भविष्य की योजनाओं के बेहतर आयोजन, बेहतर क्रियान्वयन तथा बेहतर लक्ष्यन को प्रोत्साहित करेगा।

1.9. नेट न्यूट्रलिटी पर TRAI का परामर्श पत्र

(TRAI Consultation Paper on Net Neutrality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India:TRAI) द्वारा नेट न्यूट्रलिटी (NN) पर टिप्पणियों के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया है।

TRAI

- यह TRAI अधिनियम 1997 के अंतर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है।
- यह टेलीकॉम सेवाओं के प्रशुल्कों के निर्धारण सहित टेलीकॉम सेवाओं का विनियमन करता है।
- यह एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति प्रदान कर निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सुविधा प्रदान करता है।
- 2000 में TRAI अधिनियम में संशोधन कर एक दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (TDSAT) का गठन किया गया। इसका कार्य TRAI के निर्णयों से उत्पन्न विवादों की अपीलों को सुनना है।.

पृष्ठभूमि

- दूरसंचार विभाग द्वारा 2015 में नेट न्यूट्रलिटी पर ए.के. भार्गव समिति का गठन किया गया था।
- 2016 में, TRAI द्वारा नेट न्यूट्रलिटी पर एक पूर्व परामर्श पत्र जारी किया गया।

नेट न्यूट्रलिटी

- यह शब्द पहली बार टिम वू (Tim Wu) द्वारा प्रयुक्त किया गया था।
- इसका अर्थ एक सार्वजनिक सूचना नेटवर्क पर उपस्थित सभी सामग्रियों, साइटों तथा प्लेटफॉर्मों के साथ एकसमान व्यवहार करना है।
- यह मुफ्त और खुले इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट की पहुँच , पसंद और पारदर्शिता सक्षम बनाता है।

भारत में नेट न्यूट्रलिटी (NN) की समय रेखा

(द्वारा- दूरसंचार विभाग)

शामिल मुद्दे

- इन्टरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स के द्वारा इन्टरनेट ट्रैफिक के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर चिंताएँ उठ रही हैं।
- वर्तमान समय में NN की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है।

- NN पर अस्पष्ट नियामकीय संरचना- भारत में लाइसेंसिंग के मुद्दे तथा स्पेक्ट्रम के आवंटन दूरसंचार विभाग द्वारा देखे जाते हैं, जबकि विनियामकीय पहलुओं की देखरेख TRAI करता है।
- NN को विनियमित करने के साथ-साथ ग्राहकों की गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण की आवश्यकता भी विद्यमान है।

नेट न्यूट्रलिटी से संबंधित परामर्श पत्र के प्रावधान

- **इन्टरनेट ट्रैफिक प्रबंधन प्रथाओं (Internet Traffic Management Practices:TMPs) के सम्बन्ध में**

✓ यह सेवा प्रदाताओं द्वारा गैर भेदभावपूर्ण TMP तथा उनकी ट्रैफिक प्रबंधन की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन की आवश्यकता की पहचान करता है।

✓ इन्टरनेट ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए यह दो नीतिगत दृष्टिकोण अनुशंसित करता है:

- व्यापक दृष्टिकोण- यह परिभाषित करता है कि तार्किक TMP में क्या शामिल है।
- संकीर्ण दृष्टिकोण- यह अतार्किक TMP की निषेधात्मक सूची को परिभाषित करता है।

✓ यह आपातकालीन सेवाओं यथा सरकार द्वारा अधिसूचित सामग्री को प्राथमिकता देने के लिए कुछ आवश्यक अपवादों की भी पहचान करता है।

✓ यह परीक्षण भी करता है कि कुछ सेवाएँ यथा इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स (IOT), वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) इत्यादि को TMP के दायरे में रखा जाए अथवा नहीं।

- **नेट न्यूट्रलिटी के मूलभूत सिद्धांतों पर-**

✓ यह परीक्षण करता है कि क्या कुछ विशिष्ट प्रथाओं यथा सामग्री के अधिमान्य उपचार (preferential treatment of content), के साथ NN के ढाँचे के अंतर्गत व्यवहार किया जाएगा।

✓ यह NN के मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित करने हेतु निम्नलिखित आयामों की अनुशंसा करता है-

- यूजर राइट्स- इन्टरनेट तक गैरभेदभावपूर्ण पहुँच तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार
- कंटेंट - कंटेंट लिखने का अधिकार तथा बिना रोकटोक के इस तक पहुँच
- डिवाइसेज- नेटवर्क से गैरहानिप्रद डिवाइसों को जोड़ने का अधिकार
- हानिकारक क्रियाकलाप- ब्लॉकिंग, थ्रोटलिंग(ट्रैफिक मैनिपुलेशन) तथा पेड प्रायरिटाइज़िंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **सेवा प्रदाता द्वारा प्रयुक्त TMP के प्रकार से सम्बंधित उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शिता की आवश्यकता के सम्बन्ध में-**

✓ यह सेवा प्रदाताओं द्वारा मूल्य सूचनाओं, प्रदर्शन विशेषताओं, विशेष सेवाओं आदि के सम्बन्ध में सूचना के उद्घाटन का पक्षधर है।

✓ सूचना के उद्घाटन हेतु दो दृष्टिकोण अनुशंसित किये गए हैं:

- प्रत्यक्ष दृष्टिकोण- सीधे उपभोक्ताओं को सूचनाओं का उद्घाटन
- अप्रत्यक्ष दृष्टिकोण- तृतीय पक्षों जैसे अंतिम उपभोक्ताओं को जोड़ने वाले नियामकों को सूचना का उद्घाटन

- **नियामक दृष्टिकोण और निगरानी तंत्र की आवश्यकता के सम्बन्ध में:**

✓ इस परामर्श पत्र में NN के विनियमन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे वर्तमान दृष्टिकोणों का विश्लेषण किया गया है:

- **सतर्क अवलोकन**- NN को संबोधित करने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं
- **अंतरिम शोधन** - एक सहज दृष्टिकोण जहां देश संचार सेवाओं पर अपनी मौजूदा नियामक व्यवस्था में सुधार करते हैं तथा कुछ व्यवहारों को निषिद्ध नहीं करते।
- **सक्रिय सुधार**- NN को विनियमित करने के लिए विधानों, दिशानिर्देशों तथा विनियमों को पारित करना। उदाहरण- TRAI का डाटा सेवा विनियम के लिए भेदभावपूर्ण शुल्कों का निषेध, 2016

✓ इस परामर्श पत्र में NN के विनियमन के लिए विभिन्न विकल्प सुझाये गए हैं, यथा-

- रुककर देखने की नीति जो कई अन्य देशों द्वारा भी अपनाई गयी है।
- स्वैच्छिक तंत्र के गठन के माध्यम से स्व-विनियमन।
- विनियमन का उत्तरदायित्व TRAI तथा सरकारी एजेंसियों अथवा विभिन्न हितधारकों के साथ एक सहभागी मॉडल में निहित है।

परामर्श पत्र का महत्त्व

- प्रयोगकर्ता इस पत्र के बारे में अपने सुझाव देने के लिए स्वतन्त्र हैं। इस प्रकार यह नीति निर्माण में सहभागी दृष्टिकोण को पुष्ट करता है।
- यह उपभोक्ताओं में समानता के प्रसार हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

VISION IAS

चुनौतियाँ

- क्रोनी पूंजीवाद NN की अवधारणाओं को कमजोर कर सकता है।
- NN के जटिल पहलुओं को अंतिम रूप देने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है।
- किसी हस्तक्षेप के बिना TRAI द्वारा नियमन की स्वतंत्रता ने NN के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

आगे की राह

- भारत में NN के ढाँचे के निर्णय में TRAI का परामर्श पत्र एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इस पत्र की सफलता सरकार द्वारा निर्धारित भविष्य की योजनाओं तथा क्रियान्वयन संरचना पर निर्भर करेगी।

1.10. ओडिशा ने महानदी विवाद पर गठित पैनल को खारिज किया

(Odisha Rejects Panel On Mahanadi River Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ महानदी नदी जल विवाद पर केंद्र सरकार द्वारा गठित वार्ता समिति को खारिज कर दिया तथा बदले में अधिनिर्णय के लिए एक न्यायाधिकरण के गठन की मांग की।

नदी विवाद

- 858 किलोमीटर लंबी महानदी लगभग समान रूप से विभाजित होकर छत्तीसगढ़ (53.9 फीसदी) और ओडिशा (45.73 फीसदी) के बीच बहती है।
- हीराकुंड बांध के साथ महानदी, ओडिशा राज्य की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- विवाद का मुख्य आधार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महानदी पर लगभग 6 जल भण्डारण संरचनाओं/बैराजों का निर्माण है। इसके कारण हीराकुंड बांध को आवश्यक जल की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है।

आगे की राह

- जल मानव के लिए जीवन रेखा है। अतः अंतर्राज्यीय जल विवाद को समय पर हल करना अत्यावश्यक है।
- सर्वप्रथम केंद्र सरकार द्वारा समयबद्ध परिणाम की मांग के साथ संबंधित राज्यों के साथ वार्ताएँ आयोजित की जानी चाहिए।
- केंद्र सरकार को सभी अंतर्राज्यीय जल विवादों के निराकरण के लिए एक स्थाई न्यायाधिकरण का गठन करना चाहिए।
- एक महानदी प्रबंधन बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से और राजनीतिक दलों के प्रभाव से मुक्त होकर कार्य करे तथा जल संसाधनों का प्रबंधन एवं विभाजन निष्पक्ष रूप से करे।
- राजनीतिक दलों द्वारा जल को एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर इस पर आपस में आम सहमति बनानी चाहिए।
- इस समय जल संकट बढ़ता जा रहा है, अतः जल संसाधनों के कुशल उपयोग और पुनःसंग्रहण को महत्व दिए जाने की जरूरत है।

1.11. भारत में गैर लाभकारी संगठन

(Non-Profit Organisations in India)

NPO की विधिक पहचान

भारतीय संदर्भ में, एक गैर लाभकारी संगठन (NPO) को निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है:

- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860
- भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
- सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1904
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8

सुर्ख़ियों में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी CBI की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 31 लाख से ज्यादा NGO उपस्थित हैं; जिनमें से केवल 8 से 10 फीसदी अपना वार्षिक वित्तीय विवरण देते हैं।
- उच्चतम न्यायालय ने मौजूदा NGOs के बारे में एक स्पष्ट डेटा बैंक की मांग की है। इसके साथ ही NGOs को संस्थागत और कानूनी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है।

भारत में NPOs की सही संख्या क्या है?

- CSO की 2012 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 2010 तक 31 लाख से ज्यादा सोसाइटी पंजीकृत की गयीं। राज्यों तथा जिलों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत NPOs हैं।

- आयकर अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार इनमें से केवल 1.31 लाख NPO धारा 12A के तहत पंजीकृत हैं तथा देश में वार्षिक आयकर रिटर्न भर रहे हैं।
- NPO की सही संख्या का पता लगाने का कोई तरीका वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अनुमानों के अनुसार इनकी संख्या 250 लाख के आसपास है।

संरचना तथा जवाबदेहिता

- NPO के लिए एक व्यापक, स्पष्ट विधिक और संस्थागत ढांचे की मांग 1985 से की जा रही है; इनके लिए एक नीतिगत दस्तावेज तैयार करने हेतु योजना आयोग द्वारा विभिन्न प्रयास किये गए हैं।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) में इन्हें "सामाजिक पूँजी: एक साझा भविष्य (Social Capital: A Shared Destiny)" का नाम दिया गया है। इसके अनुसार ऐसे संगठन समाज के लिए महत्त्वपूर्ण हैं परंतु इनके लिए संस्थागत एवं विधिक ढाँचा आवश्यक है।
- हाल की सरकारों ने NGO के विदेशी वित्तपोषण को विनियमित करने हेतु सिर्फ विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में परिवर्तनों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है।

आगे की राह

- विकास के लिए समावेशन, लैंगिक समानता और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ आर्थिक विकास की आवश्यकता है। अकेले सरकार के लिए इस कार्य को प्रभावी रूप से संपन्न कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में NGO की भूमिका आवश्यक हो जाती है।
- NPO के लिए संस्थागत और कानूनी ढांचे में प्रणालीगत सुधार लंबे समय से अपेक्षित है, लेकिन इसके अभाव का अर्थ यह नहीं है कि NPO के सामाजिक, विकासपरक और पेशेवर योगदान की कीमत कम आँकी जाए।

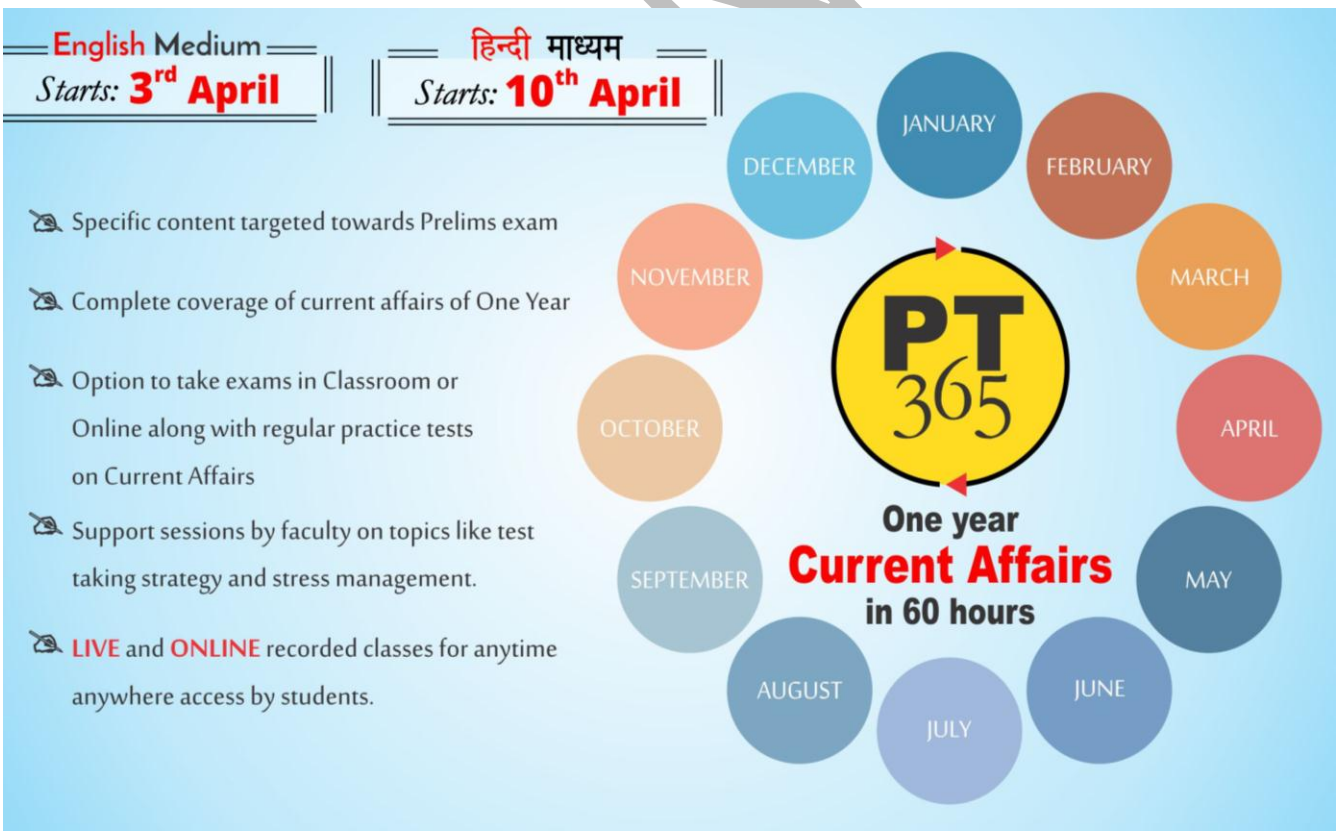

2. अंतरराष्ट्रीय/भारत और विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1. भारत-संयुक्त अरब अमीरात

(India-UAE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अबू धाबी के युवराज (क्राउन प्रिंस) और सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे।

भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात का महत्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates:UAE) भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह 2015-16 में कच्चे तेल का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था।
- **महत्वपूर्ण व्यापारिक साझीदार:** पिछले वर्ष UAE 50 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा। स्मार्ट शहरों से रियल एस्टेट तक कई क्षेत्रों में इसने 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- **भारतीय समुदाय का कल्याण और सुरक्षा:**

✓ UAE का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय 2.6 मिलियन की आबादी वाला भारतीय समुदाय है जो वहाँ की आबादी के 30 फीसदी का निर्माण करता है।

✓ भारत अपने कुल विप्रेषण का लगभग 52% खाड़ी प्रवासियों से प्राप्त करता है।

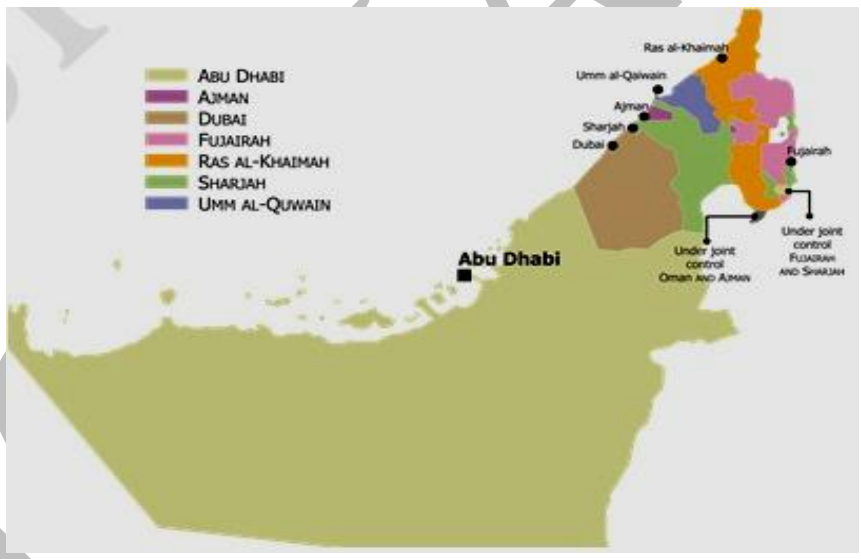

- **कट्टरता का मुकाबला करने के लिए:** संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) का सदस्य है - खाड़ी क्षेत्र में स्थिर संबंधों को बनाए रखने और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए निकट सहयोग आवश्यक है।
- **पाकिस्तान को अलग-थलग करने के लिए:**

✓ 2015 में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, UAE ने अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पाकिस्तान की धरती से आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया।

- UAE यात्रा का अप्रत्यक्ष महत्व संयुक्त अरब अमीरात में "पाकिस्तान का प्रभुत्व खत्म करना" है।

महत्व

- भारत और UAE शांत क्षेत्र हैं और यह माना जाता है कि एक साथ काम करके वे क्षेत्रीय स्थिरता में बहुत अधिक योगदान दे सकते हैं।
- ऐसे समय में जब पश्चिम अपने अंदरूनी मामलों में व्यस्त है तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर चीन की आक्रामक रवैये के कारण उसकी वृद्धिदर लड़खड़ा रही है; भारत UAE और वृहद खाड़ी क्षेत्र के एक विश्वसनीय सुरक्षा और आर्थिक साझेदार के रूप में उभरने के लिए एक अच्छी स्थिति में है।
- इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण पहलू गणतंत्र दिवस परेड के दौरान UAE की ओर से एक सैन्य टुकड़ी का परेड में भाग लेना था। इन सैनिकों का प्रतिभाग करना UAE और GCC की नई 'लुक ईस्ट' नीति को दर्शाता है, जिसमें एशिया को पश्चिम के लिए एक प्रतिसंतुलन (counterbalance) के रूप में परिकल्पित किया गया है।

भारत और UAE ने 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- व्यापक सामरिक भागीदारी समझौता
- रक्षा उद्योग में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- समुद्री परिवहन पर संस्थागत सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- तकनीकी विकास और साइबर स्पेस में सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- योग्यता के प्रमाण पत्र की आपसी मान्यता पर समझौता ज्ञापन
- सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर समझौता ज्ञापन
- मानव तस्करी का मुकाबला और रोकथाम में सहयोग पर समझौता ज्ञापन

- लघु एवं मध्यम उद्यम और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन
- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन
- प्रवेश वीजा आवश्यकताओं में आपसी छूट पर समझौता ज्ञापन
- प्रसार भारती, भारत और अमीरात न्यूज़ एजेंसी (WAM) के बीच समझौता ज्ञापन
- आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापार उपचारात्मक उपायों पर समझौता ज्ञापन
- तेल भंडारण और प्रबंधन पर करार
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अल इतिहाद ऊर्जा सेवा कंपनी एलएलसी के बीच समझौता ज्ञापन

2.2. भारत-पुर्तगाल

(India-Portugal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने जनवरी में एक राजकीय यात्रा पर भारत का दौरा किया। उन्होंने बेंगलुरु में मुख्य अतिथि के रूप में 14 वें प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया।

करार: भारत और पुर्तगाल ने व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए :

- **रक्षा समझौते**
- समुद्री क्षेत्र और रक्षा उद्योग समेत सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना।
- प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' और संयुक्त उत्पादन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आधार पर वाणिज्यिक साझेदारी के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना हेतु पुर्तगाली कंपनियों को आमंत्रित किया।
- **अक्षय ऊर्जा:** पवन, सौर और पन-बिजली के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा।
- **स्टार्ट अप:** भारत और पुर्तगाल के बीच स्टार्ट अप पर समझौता ज्ञापन तथा स्टार्ट-अप इंडिया और स्टार्ट-अप पुर्तगाल के बीच नियमित रूप से आदान-प्रदान का आह्वान।
- **ICT:** सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- **समुद्री अनुसंधान:** Instituto Português do Mar EDA Atmosfera और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
- **कृषि व्यापार:** कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच सहित कृषि व्यापार पर समझौता ज्ञापन।
- **वीजा मुक्त यात्रा:** दोनों देशों के राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समझौता।

आतंकवाद का मुद्दा

- आतंकवाद का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने 1267 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति द्वारा प्रगणित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया।
- संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने 'शून्य सहिष्णुता' की भावना के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने हेतु यह रेखांकित किया कि राष्ट्रों को 'गैर-राज्य तत्वों' सहित किसी भी आधार पर किसी भी आतंकी इकाई का समर्थन नहीं करना चाहिए।

भारत के लिए पुर्तगाल का महत्व

- 2016 में, पुर्तगाल ने मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया।
- पुर्तगाल परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) का सदस्य है और इसने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने परिष्कृत और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए पुर्तगाल के सहयोग हेतु प्रधानमंत्री कोस्टा को धन्यवाद दिया।
- पुर्तगाल यूरोपीय संघ, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में व्यापार करने की राह देख रहीं भारतीय कंपनियों के लिए एक प्रवेश बिंदु का कार्य कर सकता है।

30 दिसंबर 2016 को, चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति में पाकिस्तान के आतंकवादी मसूद अजहर को एक वैश्विक आतंकी के रूप में सूचीबद्ध करने के भारत के प्रस्ताव को अवरुद्ध कर दिया। चीन 15 देशों की समिति में भारत के इस प्रस्ताव का विरोध करने वाला एकमात्र सदस्य था।

2.3. भारत-केन्या

(India-Kenya)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति श्री उहुरू केन्याटा ने भारत का राजकीय दौरा किया।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- भारत ने केन्या में कृषि यंत्रीकरण हेतु 100 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की।

VISION IAS

- श्री केन्याटा ने भारत को **COMESA (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार)** में अधिक गहराई से संलग्न होने हेतु आमंत्रित किया।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** के फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने के लिए केन्या को आमंत्रित किया।
- भारत ने LED स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और घरेलू उपयोग के लिए LED बल्ब के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञ सहायता की पेशकश की।
- **रक्षा सहयोग**

✓ समुद्री निगरानी, सुरक्षा, वाइट शिपिंग (white shipping) जानकारी साझा करने और संयुक्त जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में।

✓ भारत ने **एयरो-इंडिया** और **DEFEXPO** की तरह की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए केन्या को आमंत्रित किया है।

✓ हिन्द महासागर के तटवर्ती राज्यों के सदस्य के रूप में, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया।

- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार**

✓ केन्या ने प्रस्तावित विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के लिए दावा पेश किया है, साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए भारत के अभियान का समर्थन भी करता है।

केन्या और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC) में निवेश एवं व्यापार क्षमता

- यदि कंपनियाँ एक प्रतिस्पर्धी बाजार में सक्रिय होने के लिए तैयार होती हैं तो द्विपक्षीय व्यापार, जिसका मूल्य वर्ष 2014-15 में 4.23 बिलियन डॉलर था, में तेजी से विकास करने की क्षमता है।
- केन्या में ऊर्जा, दवा उद्योग(फार्मास्युटीकल), वस्त्र, कृषि और वित्तीय सेवाओं जैसे विविध क्षेत्रों में अवसर विद्यमान हैं।
- भारत सरकार और इंडिया इंक को एक व्यापार और औद्योगिक सहयोग की रणनीति का निर्माण करने के साथ EAC से मौजूदा सम्बन्ध को उन्नत करने की आवश्यकता है।

पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)

- पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC), जिसमें केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और दक्षिण सूडान शामिल हैं, अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों में सबसे सफल समुदायों में से एक के रूप में उभरा है।
- एक सीमा शुल्क संघ की स्थापना करने के बाद, इसका उद्देश्य एक एकल बाजार का निर्माण तथा एक मौद्रिक संघ की स्थापना करना है।
- EAC 168 मिलियन उपभोक्ताओं का बाजार है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 161 बिलियन डॉलर का है।

2.4. भारत-यूक्रेन

(India-Ukraine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री श्री स्टेपन कुबीव (Stepan Kubiv) ने भारत का दौरा किया। यूक्रेन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के दावे का समर्थन नहीं करने के लिए भारत की सराहना करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना में सहयोग की इच्छा प्रकट की।

पृष्ठभूमि

- क्रीमिया में हस्तक्षेप के बाद, रूस ने मार्च 2014 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हालांकि, भारत का इस सम्बन्ध में विचार था कि स्थिति को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।
- भारत और यूक्रेन उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता को पुनर्जीवित करने की राह में भी कार्य कर रहे हैं। भारत की ओर से पिछली बड़ी यात्रा 12 साल पहले हुई थी जब राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने 2005 में कीव का दौरा किया था।
- **रक्षा सहयोग:** यूक्रेन 2009 में हस्ताक्षर किए गए अनुबंध को पूरा करना चाहता है जिसके अंतर्गत भारतीय वायु सेना AN-32 फ्लीट का आधुनिकीकरण और ओवरहॉल सम्मिलित है।

इस यात्रा का महत्व

- यूक्रेन से दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व पिछली बड़ी यात्रा दिल्ली में 2012 में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा की गई थी।
- उप प्रधानमंत्री ने क्रीमिया पर रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध की वजह से उत्पन्न कई वर्षों के अंतराल के बाद, भारत-यूक्रेन संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत के प्रतीक के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया।

2.5. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका

(India-USA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत और अमेरिका ने विकासात्मक गतिविधियों और तीसरी दुनिया के देशों की सहायता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

- यह समझौता ज्ञापन, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) और भारत के विदेश मंत्रालय के डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन (DPA) के बीच हस्ताक्षरित किया गया है।

समझौता ज्ञापन के बारे में विवरण

भारत और अमेरिका सतत आर्थिक विकास के माध्यम से विश्व स्तर पर गरीबी को कम करने का एक साझा स्वप्न देखते हैं। इस साझा दृष्टिकोण के आधार पर ये, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार और निवेश के क्षेत्रों में क्षेत्रीय एकीकरण और कनेक्टिविटी मजबूत करने के अपने आपसी हितों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य हेतु सहयोग करना चाहते हैं।

- दोनों देश दूसरे भागीदार देश में परियोजना विकास या कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सूचना और अनुभव के आदान प्रदान पर सहयोग करेंगे।
- भारत और अमेरिका क्षेत्रक नीति में सुधार, परियोजना और क्षेत्रक प्रबंधन, परियोजना कार्यान्वयन, और संबंधित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली रणनीतियों के बारे में तीसरी दुनिया के देशों को सलाहकारी या तकनीकी सहायता प्रदान कर सकते हैं।
- समझौता ज्ञापन सीमा पार से या अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए साइट का दौरा करने हेतु दोनों देशों के अधिकारियों का दौरा सुगम बनाने और साथी देशों की क्षमता निर्माण का भी उल्लेख करता है।

मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) : MCC एक अमेरिकी एजेंसी है जो पात्र देशों को सतत आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए देश के नेतृत्व के अंतर्गत समाधान का वित्तीयन करने हेतु अनुदान प्रदान करती है।

विकास साझेदारी प्रशासन (Development Partnership Administration: DPA)**:** DPA भागीदार देशों के साथ भारत के विकास सहयोग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखती है।

2.6. रायसीना वार्ता

(Raisina Dialogue)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रायसीना वार्ता के दूसरे संस्करण की थीम 'दि न्यू नॉर्मल: मल्टीलेटरलिज्म विद मल्टी-पोलैरिटी' थी।
- सम्मेलन में 65 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री के भाषण के मुख्य बिंदु

- **"पहले पड़ोस (Neighbourhood first)"**: एक "शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण" दक्षिण एशिया के लिए "पहले पड़ोस" की दृष्टि।
- **पाकिस्तान के साथ वार्ता:**

✓ भारत अकेला शांति के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसके लिए पाकिस्तान को भी इस रास्ते पर चलना होगा।

✓ यदि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे आतंकवाद से दूर रहना चाहिए।

- **भूमंडलीकरण के लिए चुनौतियां:** "व्यापार और प्रवास के खिलाफ बढ़ती दुर्भावना और संकीर्ण और संरक्षणवादी नजरिये" वैश्वीकरण के लाभ को जोखिम में डाल रहे हैं।
- **चीन और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)**
- दो बड़ी पड़ोसी शक्तियों (भारत और चीन) के बीच कुछ मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं है।
- प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के साथ "व्यापार और वाणिज्य के अभूतपूर्व अवसर" पर चर्चा की। हालांकि, एशिया में बढती महत्वाकांक्षा और प्रतिद्वंद्विता के कारण तनाव परिलक्षित हो रहा है जो दक्षिण चीन सागर में "नेविगेशन की स्वतंत्रता" के मुद्दे पर देखा जा सकता है।
- प्रधानमंत्री ने 45 अरब डॉलर का चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जो कश्मीर के कुछ हिस्सों से होकर गुज़रता है, के सन्दर्भ में इस बात पर भी बल दिया कि कनेक्टिविटी "संप्रभुता का अधिरोहण" नहीं कर सकती है।

रायसीना वार्ता के बारे में

- इसे भारत की भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र के प्रमुख सम्मेलन के रूप में परिकल्पित किया गया है।
- यह विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF), जो कि एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- सम्मेलन का पहला संस्करण मार्च 2016 में "एशियाई कनेक्टिविटी" की थीम पर आयोजित किया गया था।

2.7. प्रवासी भारतीय दिवस - 2017 - 14 वाँ संस्करण

(14th Edition of Pravasi Bharatiya Divas-2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय मूल के लोगों के लिए वार्षिक वैश्विक सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस 2017 का 14 वाँ संस्करण बेंगलुरू में 7 से 9 जनवरी 2017 को आयोजित किया गया। इस बार इसमें पिछले सभी संस्करणों की तुलना में रिकॉर्ड भागीदारी हुई। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 की थीम थी- "प्रवासी भारतीय-संबंधों के नये आयाम (Redefined Engagement with Indian Diaspora)"।

आयोजन के मुख्य बिंदु

- तीन दिन का आयोजन युवा प्रवासी भारतीय दिवस के साथ शुरू हुआ, जिसकी थीम थी- 'भारत के परिवर्तन में डायस्पोरा युवाओं की भूमिका (Role of Diaspora Youth in the Transformation of India)'।
- प्रधानमंत्री ने प्रवासी समुदाय से उनके PIO कार्ड को OCI कार्ड में बदलवाने के लिए आग्रह किया।
- PIO कार्ड के OCI में रूपांतरण के लिए समय सीमा को भी बिना किसी जुर्माने के 30 जून, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।
- प्रवासी भारतीयों से वार्षिक विप्रेषण के रूप में भारत ने 69 अरब डॉलर प्राप्त किये, जो दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक प्राप्त प्रवासी नकदी है।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान करने के साथ यह सम्मेलन संपन्न हुआ।

प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में

- यह पारंपरिक रूप से एक सदी पहले 1915 में दक्षिण अफ्रीका से 'प्रवासी' के रूप में महात्मा गांधी की वापसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है।
- यह 2003 में शुरू किया गया एक वार्षिक आयोजन है, जो अपने डायस्पोरा और अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों, के साथ भारत की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत सरकार ने पिछले वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस को एक द्विवार्षिक आयोजन बनाने का निर्णय किया।
- यह प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार को सुसाध्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जाता है।
- वर्तमान में, विश्व स्तर पर 3.12 करोड़ प्रवासी भारतीय हैं, जिसमें से 1.34 करोड़ भारतीय मूल के (PIO) और 1.7 करोड़ अनिवासी भारतीय व्यक्ति हैं।

2.8. संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति

(USA-New President)

डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने अमेरिका के 45 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कई कार्यकारी आदेश जारी किए जिनके प्रमुख वैश्विक प्रभाव होंगे। उनके प्रमुख कार्यकारी आदेशों की सूची निम्न है:

2.8.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) व्यापार समझौता

(Trans-Pacific Partnership (TPP) Trade Deal)

अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से अमेरिका को TPP व्यापार समझौते से अलग कर लिया है। अब अमेरिका TPP के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल शर्तों की खोज करने हेतु द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रभाव

- TPP से निकासी एक अधिक संरक्षणवादी दुनिया की ओर आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की निकासी के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं- जिनमें RCEP पर ध्यान केन्द्रित करने से लेकर नए सदस्य के रूप में चीन को शामिल करने के साथ TPP को पुनर्जीवित करने का विचार सम्मिलित है।
- चीन दो क्षेत्रीय व्यापार प्रस्तावों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद कर रहा है- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) और एशिया-प्रशांत क्षेत्र मुक्त व्यापार समझौता (FTAAP)।
- हालांकि यह सीधे भारत को प्रभावित नहीं करेगा, परंतु RCEP जैसे व्यापार समझौते, जिनमें भारत की वार्ताओं का दौर जारी है, पर इसका असर हो सकता है।

- TPP समझौते के विषय में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन द्वारा वार्ताएँ की गई थीं, लेकिन इसे अमेरिकी कांग्रेस ने कभी मंजूरी नहीं दी।
- यह ओबामा प्रशासन द्वारा चीन का मुकाबला करने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र हेतु "धुरी (pivot)" का मुख्य आर्थिक स्तंभ था।
- इस पर हस्ताक्षर करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रुनेई हैं। वे एक साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था के 40 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

VISION IAS

2.8.2. शरणार्थियों और आगंतुकों पर प्रतिबन्ध

(Bar on Refugees and Visitors)

- राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि उनके प्रशासन ने सात देशों: ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से आने वाले यात्रियों पर कार्यकारी आदेश के माध्यम से 90 दिनों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से पाकिस्तान, सऊदी अरब आदि जैसे अमेरिका के सहयोगी देश प्रभावित नहीं होंगे।
- यह अस्थायी रूप से कुछ देशों से प्रवासियों के आगमन को रोकना है, जब तक व्यापक पुनरीक्षण के लिए और अधिक विस्तृत प्रक्रियाएँ नहीं लागू होतीं।
- इसने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए अमेरिका में शरण प्राप्त करने के कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, और 120 दिनों के लिए अमेरिका में सभी शरणार्थियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है।
- इस कदम के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि वे शरणार्थी जिन्हें प्रवेश के लिए मंजूरी दी गई है, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के कल्याण और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है।
- 2017 में शरणार्थी कार्यक्रम के तहत प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को पूर्व में 1,10,000 से कम कर 50,000 कर दिया गया है।

प्रभाव

- यह अमेरिका की प्रवासियों के एक '*मेल्टिंग पॉट*' होने, दुनिया भर के तीव्रबुद्धि मस्तिष्कों के लिए प्रकाशपुंज होने, और सत्तावादी निरंकुशता के विरुद्ध एक मानवीय शक्ति होने की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यह कदम दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने के लिए जिम्मेदारी साझा करने से इंकार करना भी इंगित करता है।
- इस आदेश के संभवतः व्यापक आर्थिक प्रभाव होंगे।
- सिलिकॉन वैली के शीर्ष अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। उन्हें डर है कि यह अमेरिका में प्रतिभाओं के आगमन में बाधा पैदा करेगा।
- यह आतंकी गुटों में नए लोगों की रंगरूटों के रूप में भर्ती बढाने के लिए एक और बहाने का काम कर सकता है।
- ईसाई शरणार्थियों के लिए अधिमान्य व्यवहार मुसलमानों में असंतोष एवं डर उत्पन्न कर सकता है। यह एक प्रतिगामी कार्रवाई (retrograde action) है जो दुनिया भर में अमेरिका विरोध को और पुष्ट करेगा।

2.8.3. ग्लोबल गैग रूल

(Global Gag Rule)

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्लोबल गैग रूल को पुनःस्थापित एवं विस्तृत कर दिया है। इसमें परिवार नियोजन के लिए एक विकल्प के रूप में भी रोगियों के साथ गर्भपात पर चर्चा को हतोत्साहित किया जाता है।
- यह परिवार नियोजन और प्रजनन स्वास्थ्य अनुदान के रूप में मोटे तौर पर 575 मिलियन डॉलर के अनुदान की तुलना में, वैश्विक स्वास्थ्य अनुदान के रूप में मोटे तौर पर 9.5 अरब डॉलर के लिए लागू होगी।
- वित्त पोषण HIV की रोकथाम और उपचार सेवाओं, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, और ज़िका वायरस की रोकथाम में भी वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों के योगदान में बाधा पहुंचा सकता है।
- रिपल इफ़ेक्ट (तरंग प्रभाव) और अनपेक्षित परिणामों का दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। इस तरह के प्रभावों को विशेष रूप से अफ्रीका के देशों में महसूस किया जाएगा।

ग्लोबल गैग रूल के बारे में

मैक्सिको सिटी नीति, जिसे कुछ मानवाधिकार संगठनों द्वारा ग्लोबल गैग रूल भी कहा जाता है, अमेरिकी सरकार की एक नीति है जो उन गैर सरकारी संगठनों के लिए संघीय वित्त पोषण को अवरुद्ध करती है जो गर्भपात परामर्श प्रदान करते हैं या गर्भपात को गैर आपराधिक (decriminalize) घोषित करने की वकालत करते हैं या गर्भपात सेवाओं का विस्तार करते हैं। बिल क्लिंटन ने अपने कार्यकाल के दौरान इसे निरस्त कर दिया। जॉर्ज W. बुश ने इसे अपने कार्यकाल के दौरान पुनःस्थापित किया, तत्पश्चात बराक ओबामा ने इसे पुनः निरस्त कर दिया।

2.8.4. मैक्सिकन सीमा पर दीवार उठाना

(Wall Along the Mexican Border)

अमेरिकी राष्ट्रपति ने मैक्सिकन सीमा पर एक दीवार के निर्माण द्वारा अवैध प्रवासियों को रोकने और दस्तावेज़ नहीं धारण करने वाले लाखों प्रवासियों के निर्वासन में तेजी लाने के लिए दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं।

- अमेरिका-मेक्सिको सीमा 3100 किलोमीटर लंबी है और धूल भरे रेगिस्तान से लेकर हरे-भरे परिवेश तक को आच्छादित करने वाले विभिन्न इलाकों से गुजरती है।
- अमेरिका मेक्सिको जैसे उन देशों से जिनका अमेरिका के साथ व्यापार घाटा है, आयात पर 20% कर लगाने का प्रयास कर रहा है, ताकि सीमा पर बन रही दीवार के निर्माण का वित्तपोषण किया जा सके। हालांकि, वर्तमान में यह प्रस्ताव केवल मेक्सिको के लिए है।

VISION IAS

- मेक्सिको अमेरिका के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसने 2016 के दौरान मोटे तौर पर 300 बिलियन डॉलर का आयात मेक्सिको से किया है, तथा इस दौरान 60 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा रहा।
- अमेरिका के ऊपर उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA) और विश्व व्यापार संगठन के तहत विभिन्न उत्तरदायित्व हैं और मैक्सिको द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुचने वाले किसी भी नए कर को चुनौती देने की संभावना है।
- अमेरिका-मेक्सिको व्यापार संबंधों में किसी अशांति का पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ सकता है।
- दीवार के निर्माण के आदेश के पश्चात मैक्सिकन राष्ट्रपति ने वाशिंगटन की अपनी यात्रा रद्द कर दी।

2.9. वैश्विक निवेश समझौता

(Global Investment Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों के साथ, यूरोपीय संघ और कनाडा के एक अनौपचारिक प्रयास को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में एक वैश्विक निवेश समझौते की दिशा में काम करना है।
- यूरोपीय संघ और कनाडा ने एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है,जिसमें विवादास्पद निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र (Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism) शामिल किया गया है।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र क्या है?

- ISDS तंत्र विवादास्पद बन गया है क्योंकि यह कंपनियों द्वारा स्थानीय उपायों पर गौर किये बिना सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले जाने की अनुमति देता है।
- यह कंपनियों को नीति में परिवर्तन सहित विभिन्न कारणों से हुई हानियों के बदले बहुत बड़ी मुआवजा राशि का दावा करने की अनुमति भी देता है।

भारत की स्थिति

- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में जाने के विकल्प का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कॉर्पोरेट और सरकार के बीच विवादों को निपटाने के सभी स्थानीय विकल्प समाप्त हो चुके हों।
- यह भी कहा गया कि इस तरह के प्रावधान (ISDS तंत्र) द्विपक्षीय समझौतों का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन एक बहुपक्षीय समझौते में उन्हें रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

2.10. चागोस द्वीपसमूह विवाद

(Chagos Archipelago Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिटिश विदेश सचिव ने अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया, और हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीपसमूह के भविष्य पर ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरीशस के बीच मौजूदा तनाव को दूर करने में भारत की सहायता की मांग की है।

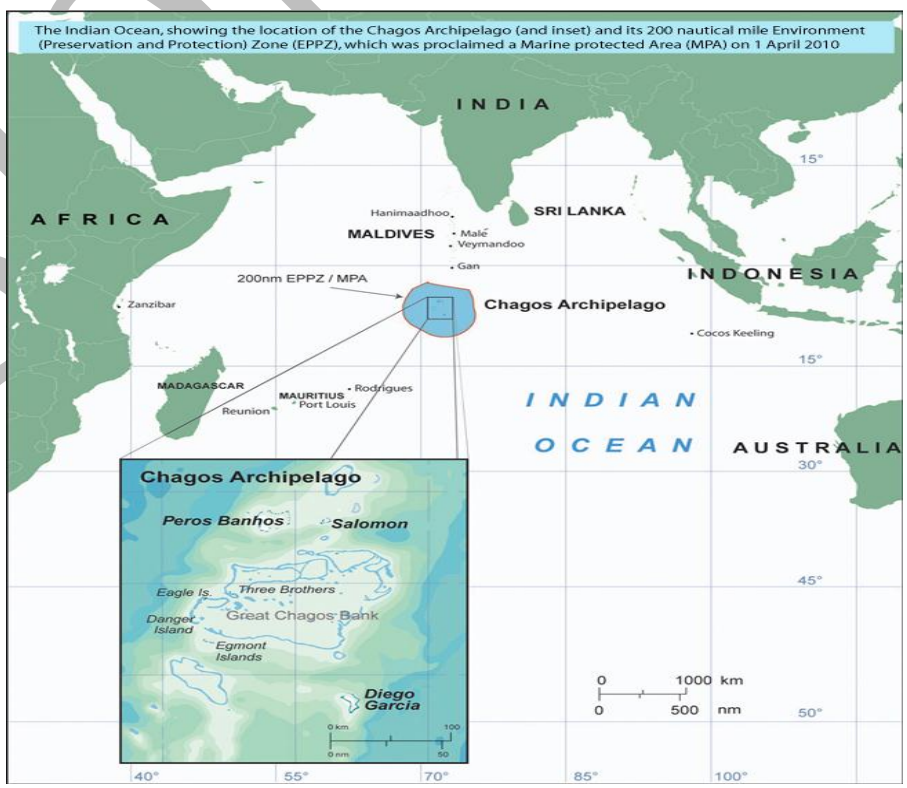

चागोस द्वीपसमूह के बारे में

- चागोस द्वीपसमूह - ब्रिटेन द्वारा इसे ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसे इस रूप में मॉरिशस द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। यहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया भी स्थित है।
- 1960 और 1970 के दशक में, निवासियों को इन द्वीपों से हटा दिया गया था।
- मॉरिशस ने बार बार कहा है कि चागोस द्वीपसमूह इसके क्षेत्र का भाग है और ब्रिटेन का दावा आजादी से पहले औपनिवेशिक प्रदेशों के विच्छेदन (dismemberment) पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन है।

VISION IAS

- 2015 में, स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि अप्रैल 2010 में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपसमूह के चारों ओर समुद्री संरक्षित क्षेत्र (marine protected area: MPA) घोषित किया जाना इस अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
- ब्रिटिश मानते हैं कि डिएगो गार्सिया का भविष्य सुनिश्चित करना इस क्षेत्र में भारत के सुरक्षा हितों के लिए भी ठीक होगा।

भारत की स्थिति

- भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय पर हमारी दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति रही है। भारत ने सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए ब्रिटेन और मारीशस को द्विपक्षीय वार्ताएं करनी चाहिए।
- ब्रिटेन का दृष्टिकोण भारतीय पक्ष द्वारा एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो इस क्षेत्र के सुरक्षा मामलों में भारत के साथ साझेदारी हेतु ब्रिटेन की उत्सुकता की ओर संकेत करता है।

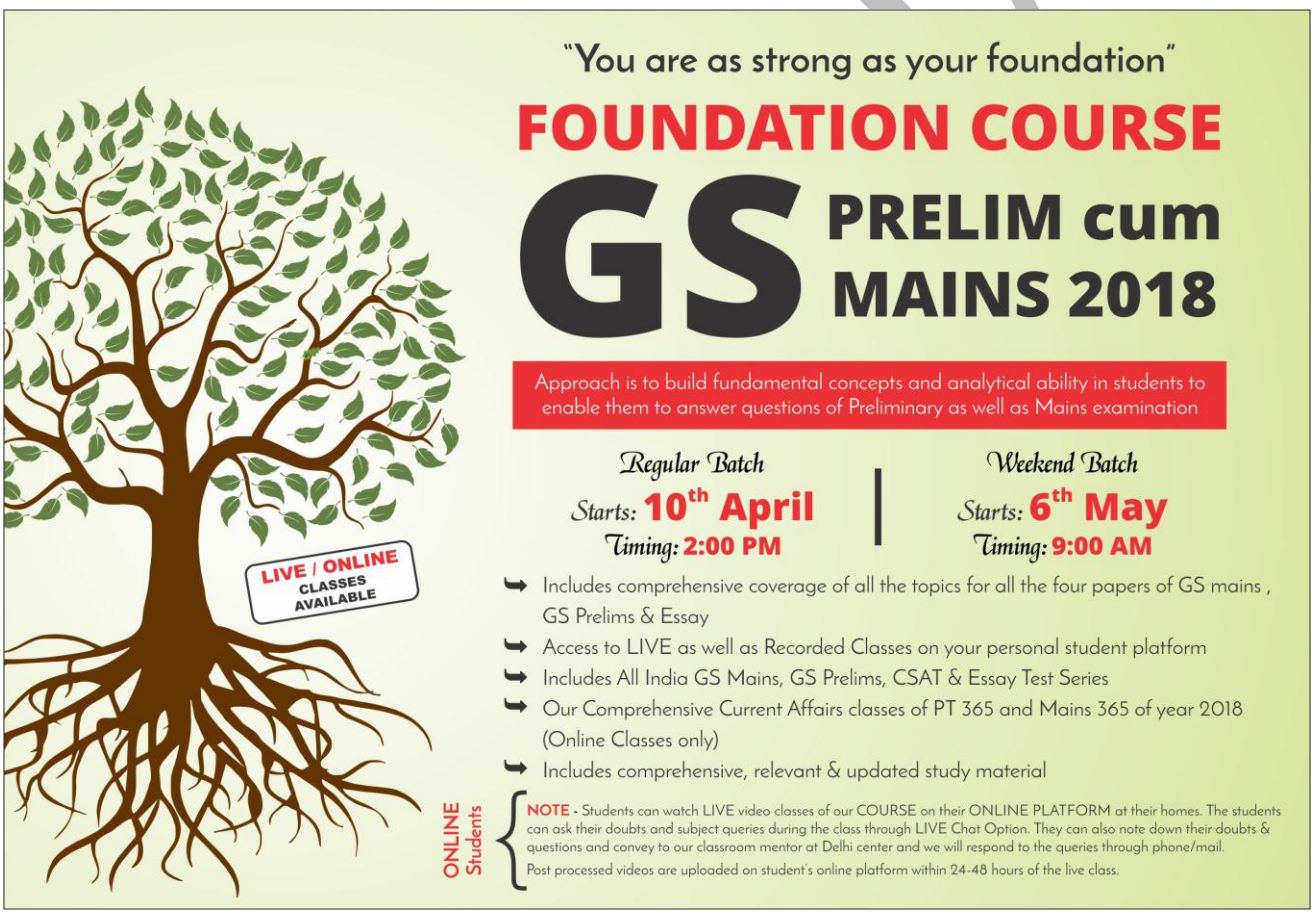

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (लिंग उत्तरदायी बजट) / जेंडर बजटिंग

(Gender Responsive Budgeting/Gender Budgeting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने इस वर्ष पेरिस समझौते का अनुसमर्थन (ratified) कर दिया। लिंग समानता सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) के तहत निर्धारित 17 लक्ष्यों में से एक है।

यह क्या है?

- **जेंडर रिस्पान्सिव बजटिंग (GRB)** वस्तुतः नीति निर्माण (राजकोषीय नीति) तथा संसाधनों के आवंटन के व्यवहारों को इस तरह प्रदर्शित करता है कि जिससे यह जेंडर (लिंग) के एजेंडे को प्रोत्साहित करे और पुरुषों के समान ही महिलाओं को लाभ पहुँचाए।

भारत में GRB की आवश्यकता क्यों?

- भारत में महिलाएं और बालिकाएं लिंग आधारित प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करती हैं, जिसके कारण वे बहुत कम लाभ प्राप्त कर पाती हैं।
- लैंगिक विश्लेषण के बिना, दोषपूर्ण डिजाइन या कार्यान्वयन के चलते विभिन्न योजनाएं पितृसत्तात्मक मानसिकता को मजबूत कर सकती हैं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसरों आदि जैसे कई सामाजिक संकेतकों पर महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं।
- भारत विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2016 में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लैंगिक समानता के मामले में 87वें स्थान पर था।
- हालांकि भारत में नीति निर्माण आम जनता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित रहा है, फिर भी यह महिलाओं को पुरुषों के समान लाभ पहुँचाने में विफल रही है।

पृष्ठभूमि

- भारत में 2005 में ही GRB को संस्थागत रूप दिया गया।
- वार्षिक बजट में एक जेंडर बजट जारी किया जाता है जिसके दो भाग होते हैं:
- भाग 'क' (पहले भाग) में **"महिला विशिष्ट योजनाएं" (women specific schemes)** होती हैं, अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए 100% फंड आवंटन किया जाता है।
- भाग 'ख' (दूसरे भाग) में **"महिला केंद्रित योजनाएं" (Pro women schemes)** होती हैं, अर्थात वैसी योजनाएं जिनमें महिलाओं के लिए कम-से-कम 30% फंड आवंटन किया जाता है।
- इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रचलन के साथ-साथ, 16 राज्यों द्वारा भी इसे अपनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि बजट 2016-17 में घरेलू हिंसा कानून को लागू करने के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया गया था।

चुनौतियां

- श्रम बल में महिलाओं की घटती भागीदारी, संसद में अल्प-प्रतिनिधित्व, घटता शिशु लिंगानुपात और लिंग आधारित हिंसा इस संदर्भ में प्रमुख चुनौतियां हैं।
- महिलाओं की आवश्यकताओं के बारे जमीनी स्तर के ज्ञान का अभाव भी एक प्रमुख चुनौती है।
- केंद्रीय बजट के अनुपात के रूप में लिंग बजट का अनुपात या तो स्थिर है या घटा है।

अनुशंसाएँ

- सिर्फ महिला केंद्रित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाए, सभी योजनाओं के लिए जेंडर-एनालिसिस (लिंग-विश्लेषण) का कार्य किया जाना चाहिए।
- प्रशासनिक और नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए।
- GRB को न सिर्फ सामाजिक क्षेत्रकों में अपितु सड़क, परिवहन, ऊर्जा, और प्रौद्योगिकी जैसे पारंपरिक अविभाज्य क्षेत्रों में भी अपनाया जाना चाहिए।

3.2. रोज वैली मामला/प्रकरण

(Rose Valley Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) पार्टी के दो सांसदों को रोज वैली मामले में CBI द्वारा गिरफ्तार किया गया।

VISION IAS

रोज वैली मामला क्या है?

- यह एक चिट फंड घोटाला है जहां **रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन** और **रोज वैली होटल एंड एंटरटेनमेंट** नामक दो संस्थाओं ने निवेशकों से 21% के असाधारण रिटर्न के वादे के साथ परिसंपत्ति की खरीद के लिए किस्तों के रूप में 18000 करोड़ रुपया संग्रह किया।

चिट फंड

- चिट फंड वस्तुतः **एक प्रकार की बचत योजना** होती है जिसे एक व्यक्ति या एक संस्था द्वारा चलाया जाता है।
- सब्सक्राइबर (ग्राहक/सदस्य/अभिदाता) चिट फंड के लिए किश्तें एकत्रित करते हैं। एक अवधि के बाद, प्रत्येक सब्सक्राइबर को चिट फंड द्वारा एक डिस्काउंट कटौती के बाद एकत्रित की गयी पूरी निधि वापस कर दी जाती है।
- चिट फंड का लाभ यह है कि एक सब्सक्राइबर अत्यल्प समय में बहुत बड़ी धनराशि प्राप्त कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार, चिट फंड **समवर्ती सूची** का एक विषय है।
- चिट फंड **राज्य सरकारों द्वारा पंजीकृत** होते हैं। अपंजीकृत चिट फंड आम तौर पर गैर-क़ानूनी होते हैं।
- द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 { The Prize chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act 1978} में आम तौर पर गैर-क़ानूनी चिट फंड को परिभाषित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- TMC के दो सांसदों को **2013 में शारदा घोटाला** मामले में गिरफ्तार किया गया था।
- 2014 में कई अपंजीकृत चिट फंड स्कीम को ख़त्म करने का आदेश दिया गया था और पैसा निवेशकों को वापस भी किया गया।
- साथ ही उच्चतम न्यायालय ने इस तरह के चिट फंड कंपनियों की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate: ED) और CBI को निर्देश दिया था। उल्लेखनीय है कि **इसी प्रक्रिया के तहत, रोज वैली समूह का पता चला**।

इस तरह के घोटाले के कारण

- **नियमों की बहुलता और अधिकार क्षेत्र (न्याय-सीमा) के संदर्भ में भ्रम की स्थिति** के चलते ऐसे घोटाले होते रहते हैं। उदाहरण- चिट फंड को केन्द्र और राज्य विनियमित करते हैं जबकि SEBI अन्य सामूहिक निवेश योजनाओं को विनियमित करता है।
- **कमजोर विनियमन** के कारण भी ऐसे घोटाले होते हैं। उदाहरण- इस तरह की कंपनियों के पंजीकरण का अभाव।
- ऐसी योजनाओं के बारे में निवेशकों के बीच निम्न स्तर की वित्तीय साक्षरता।
- अत्यल्प समय में मालामाल होने की प्रवृत्ति और एक उपभोक्तावादी समाज में कुछ लोगों में लालच अक्सर एक बड़े घोटाले को जन्म देता है।

धोखाधड़ी वाली कुछ अन्य मौद्रिक योजनाएं

1. पोंज़ी स्कीम

- यह एक गैर-क़ानूनी इन्वेस्टिंग स्कीम (निवेश से संबंधित योजना) है, जहाँ निवेशकों को उनके निवेश के लिए अत्यधिक रिटर्न (धन वापसी) का वादा किया जाता है।
- इनके पास कोई अंतर्निहित परिसंपत्तियां नहीं होती हैं। **यह अपने पुराने निवेशकों के रिटर्न के लिए नए निवेशकों से संग्रहित धन का उपयोग करता है**। संपत्ति आदि अन्य प्रकार की किसी परिसंपत्तियों से प्राप्त रिटर्न/राजस्व अर्जन का यहाँ कोई स्थान नहीं होता, जिससे सामान्यतया निवेशकों को पैसा वापस किया जाता है।

2. पिरामिड स्कीम

- पोंज़ी स्कीम की भांति पिरामिड स्कीम भी एक प्रकार की गैर-क़ानूनी स्कीम (योजना) है।
- जहाँ एक पोंज़ी स्कीम में प्रतिभागियों को यह विश्वास होता है कि उनका रिटर्न उन्हें किसी परिसंपत्ति से प्राप्त हो रहा है, जबकि एक पिरामिड स्कीम में भाग लेने वालों को यह अच्छी तरह पता होता है कि वे नए निवेशकों को ढूँढने के बदले पैसा कमाते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **सामूहिक निवेश योजना विनियमन** (Collective Investment Schemes regulation), निवेशक से पैसा की उगाही करने वाली (पूल करने वाली) सभी स्कीम (योजनाओं) की निगरानी करने के लिए SEBI को व्यापक अधिकार देता है।
- RBI ने बैंकों को मार्केट एजेंसी और रिटेल ट्रेडर्स आदि जैसे छद्म नामों के रूप में खोले गए खातों की त्वरित समीक्षा करने की सलाह दी है।
- RBI समय-समय पर राज्य सरकारों को प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 पर और उचित कार्रवाई की आवश्यकता के बारे में संवेदनशील करता रहता है।
- जांच एजेंसियों द्वारा धोखाधड़ी करने वालों की पहचान में मदद करने के लिए SEBI की **'डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन्स 2016' (प्रत्यक्ष बिक्री दिशानिर्देश, 2016)** स्पष्ट रूप से **मनी सर्कुलेशन स्कीम** और **डायरेक्ट सेलिंग को परिभाषित** करता है।

डायरेक्ट सेलिंग एंड मनी सर्कुलेशन गाइडलाइन्स 2016

- यह इन गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को एजेंटों से किसी भी प्रकार के प्रवेश शुल्क लेने से रोकता है।
- इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निगरानी प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रावधान भी किया है।
- यह भ्रामक और भ्रान्तिजनक या अनुचित भर्ती से संबंधित परिपाटी का उपयोग करने से ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाता है।

VISION IAS

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- निवेशकों की वित्तीय साक्षरता में सुधार लाना।
- बहु विनियमन की समस्याओं को हल करना।
- नियामक के साथ इस तरह की स्कीम (योजनाओं) के गैर-पंजीकरण की स्थिति में इनपर भारी जुर्माना आरोपित करना।
- इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा एक समन्वित प्रयास किए जाने और साथ ही दोनों की राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता है ।

निष्कर्ष

- इस तरह की बचत और निवेश योजनाओं का मूल उद्देश्य छल-कपट और चालाकी से निवेशकों को धोखा देना होता है। इसलिए, ऐसी योजनाओं के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाले वित्तीय नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए आपूर्ति पक्ष की समस्याओं जैसे- विनियमन की जटिलता को दूर करना, के साथ-साथ मांग पक्ष की समस्याओं जैसे- गरीबों को जागरूक बनाना (अर्थात- वित्तीय साक्षरता); के समाधान की आवश्यकता है।

3.3. ग्रीन बॉण्ड (हरित बंधपत्र)

(Green Bonds)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव (जलवायु बंधपत्र पहल) के अनुसार, 2015 के 42.2 बिलियन डॉलर की तुलना में 2016 में 81 बिलियन डॉलर के अंकित मूल्य वाले ग्रीन बॉण्ड जारी किए गए।

क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव क्या है?

- क्लाइमेट बॉण्ड इनिशिएटिव **निवेशक केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है**।
- यह **जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए 100 ट्रिलियन डॉलर के बॉण्ड बाजार को संघटित (mobilize) करने हेतु** कार्य करने वाला एकमात्र संगठन है।
- इसका उद्देश्य विकसित और उभरते बाजारों में एक वृहद् एवं तरल ग्रीन एंड क्लाइमेट बॉण्ड मार्केट को विकसित करना है।
- यह खंडित क्षेत्रकों के लिए धन जुटाने और साथ ही सरकारों को ऋण पूंजी बाजारों (debt capital markets) का दोहन करने में मदद करेगा।

ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में भारत की स्थिति

- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (Indian Renewable Energy Development Agency Ltd) अक्षय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए **ग्रीन बांड के टैग (चिन्हांकन) के बिना** ही ऐसे बॉण्ड जारी कर चुका है।
- 2015 में, **एक्जिम बैंक** ने 500 मिलियन डॉलर की भारत के प्रथम डॉलर मूल्य (denominated) के ग्रीन बॉण्ड को लॉन्च किया।
- भारत **विश्व का सातवां सबसे बड़ा ग्रीन बॉण्ड बाजार** बन चूका है।
- जनवरी 2016 में SEBI ने लिस्टिंग, पैसा उगाही के लिए मानदंड आदि से संबंधित अपने **पहले ग्रीन बॉण्ड गाइडलाइन (दिशा-निर्देशों)** को जारी किया।
- बैंकों को हरित मसाला बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई है।
- आगामी वर्ष में भारत में पहली बार **'ब्लू बॉण्ड'** भी जारी किए जाएंगे।
- स्मार्ट सिटी पहल के मुताबिक, म्युनिसिपल (नगरपालिका) बॉण्ड मार्केट को पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं (ब्लू बॉण्ड की एक श्रेणी) के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।

ग्रीन बॉण्ड

- एक बॉण्ड वस्तुतः एक ऋण साधन (debt instrument) होता है जिसके माध्यम से एक संस्था/कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाती है।
- **ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से उगाही गयी पूंजी का प्रयोग 'ग्रीन' प्रोजेक्ट्स (हरित परियोजनाओं) जैसे- अक्षय ऊर्जा, उत्सर्जन में कटौती आदि के वित्तपोषण के लिए किया जाता है।**
- पहला ग्रीन बॉण्ड 2007 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था।
- अभी तक ग्रीन बॉण्ड की कोई मानक परिभाषा नहीं है।

ब्लू बॉण्ड

यह ग्रीन बॉण्ड का एक प्रकार है जिसके माध्यम से विशिष्ट तौर पर **जलवायु अनुरूप जल प्रबंधन** और **जल से संबंधित बुनियादी ढांचे** में निवेश किया जाता है।

वर्तमान समय में जलवायु वित्तपोषण से संबंधित विभिन्न पहल अस्तित्व में हैं:-

- **वैश्विक पर्यावरण सुविधा (ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी : GEF):** GEF सरकारों, नागरिक समाजों, बैंकों आदि की एक बहुपक्षीय संस्था है जो UNFCCC जैसे पर्यावरण अभिसमयों के लिए एक वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।

- UNFCCC के वित्तीय तंत्र के एक संचालनकर्ता संस्था (operating entity) के रूप में 2011 में UNFCCC द्वारा **ग्रीन क्लाइमेट फंड (हरित जलवायु कोष)** का सृजन किया गया था।
- कार्बन कर और कार्बन उपकर राष्ट्रीय सरकारों द्वारा उगाहे जाते हैं।
- **स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism)** - इसमें विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी लाने वाली परियोजनाओं में विकसित देशों द्वारा किया जाने वाला निवेश शामिल होता है।
- **संयुक्त कार्यान्वयन (Joint Implementation: JI)** – यह एक औद्योगीकृत देश को अपने उत्सर्जन कटौती से संबंधित दायित्वों को पूरा करने के लिए दूसरे औद्योगीकृत देश में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं का विकास करने में सक्षम बनाता है।
- **कार्य निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (परफॉर्म अचीव ट्रेड: PAT)** - वर्धित ऊर्जा कुशलता के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Enhanced Energy Efficiency: NMEEE) के अंतर्गत PAT एक बाजार आधारित व्यापार योजना है। इसमें ऑफसेट उत्सर्जन के लिए ऊर्जा दक्षता प्रमाण पत्र में व्यापार शामिल है।

ग्रीन बॉण्ड का महत्व

- भारत ने **वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा क्षमता के निर्माण** का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इस हेतु लगभग 200 बिलियन डॉलर के वित्तीयन की आवश्यकता है।
- पेरिस मसौदे के लिए भारत की INDC (Intended Nationally Determined Contribution) अपने उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को वचनबद्ध करता है।
- इस हेतु **बजट आवंटन अपर्याप्त है**, इसमें से अधिकांश कोयला क्षेत्र के लिए आवंटित हुआ है।
- भारत में उच्च ब्याज की दरों के कारण अक्षय ऊर्जा की लागत में 25 फीसदी तक की वृद्धि हो जाती है। **ग्रीन बॉण्ड वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के ब्याज दर की तुलना में कम ब्याज दर वाले होते हैं।**
- इसमें निवेशक कम जोखिम उठाते हैं क्योंकि **परियोजना का जोखिम निवेशक के बजाय इसके जारीकर्ता के साथ संबद्ध रहता है।**
- 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार यह तीव्र एवं सतत विकास को बढ़ावा देगा।

भारत में ग्रीन बॉण्ड की सफलता में चुनौतियां

- **ग्रीन बॉण्ड के तहत लक्षित परियोजनाओं** को लेकर चिंता इसके सफलता में एक प्रमुख चुनौती है। उदाहरण के लिए, फ्रेंच यूटिलिटी (एक संगठन) GDF Suez द्वारा जारी किए गए 3.4 अरब डॉलर के ग्रीन बॉण्ड से अमेज़न के वर्षावनों को हानि पहुँचाने वाली एक बांध परियोजना का वित्तपोषण किया गया।
- अंतरराष्ट्रीय निर्गमों की तुलना में भारत में जारी किए जाने वाले अधिकांश ग्रीन बॉण्ड 10 वर्षों की एक लघु अवधि की अवधि के होते हैं। एक आदर्श ऋण भी न्यूनतम 13 वर्षों के लिए होता है।
- कई लक्षित खरीदार AAA- रेटिंग से कम रेटिंग वाले किसी भी प्रकार के बॉण्ड में निवेश नहीं करना चाहेंगे।
- मूल्य निर्धारण के मुद्दों के कारण व्यवहार्य और विश्वसनीय परियोजनाओं की कमी होती है।
- हरित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बुनियादी ढांचे (जैसे- जल से संबंधित बुनियादी ढांचे में अप्रभावी मीटरिंग) अपर्याप्त हैं।
- **भारत में शहरी स्थानीय निकायों की साख में कमी** एक आम समस्या है, जो अंततः सीमित विश्वसनीयता को जन्म देता है।
- वर्तमान में, भारतीय कंपनियां अत्यधिक जागरूकता एवं समर्पित निवेशकों के कारण विदेशी बाजार का दोहन करती हैं।
- छोटे पैमाने पर होने के चलते और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के कारण एकल आधार वाली हरित परियोजनाएं (जैसे- रूफ-टॉप सोलर) निवेशकों को अनाकर्षक लगती हैं।

आगे की राह

- इस पूरे क्षेत्रक के लिए एक सामान्य समझ सुनिश्चित करने हेतु **'ग्रीन' (प्रोजेक्ट्स) की एक औपचारिक परिभाषा** को विकसित करने की आवश्यकता है। छोटे स्तर की हरित परियोजनाओं को मुख्यधारा विषयक ऋण प्रदान करने के लिए कुछ नवाचारी तंत्रों यथा **समूहन (aggregation) और प्रतिभूतिकरण (securitisation)** का प्रयोग किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु भविष्य में ग्रीन बॉण्ड को बढ़ावा देने में **नियामकों, नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट और वित्तीय संस्थानों की सामूहिक भागीदारी** अहम होने जा रही है।

3.4. गरीबों के लिए नई आवास योजनाएं

(New Housing Schemes for the Poor)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीबों को घरों का निर्माण करने अथवा खरीदने में मदद करने के लिए **प्रधानमंत्री आवास योजना** के तहत दो नई आवास योजनाओं की घोषणा की।

मुख्य विशेषताएं

- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए बनाए जा रहे घरों की संख्या में **33 प्रतिशत की वृद्धि** की जा रही है।

- ग्रामीण भारत में घरों के निर्माण अथवा उनके विस्तार के लिए सब्सिडीयुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये रियायती ऋण **शहरी गरीबों** के लिए भी उपलब्ध होंगे।
- 9 लाख रुपये तक के ऋण पर 4% और 12 लाख रुपये तक के ऋण पर 3% की **ब्याज सहायता** (अनुदान) दी जाएगी।
- 2022 तक सभी के लिए आवास की नई योजना के तहत, EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए प्रति घर केंद्रीय सहायता राशि को 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किए जाने की योजना बनाई गई है।

लाभ

- बाजार मूल्य से कम मूल्य के होने से यह EWS के लिए वहनीय हैं।
- इस तरह की सरकारी योजनाओं के तहत पंजीकृत घरों को खरीदने या बनाने हेतु मूल्य निर्धारण, अवस्थिति और निवेश की सुरक्षा सहित कई लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
- आसान और त्वरित कानूनी मंजूरी भी सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि ऐसी संपत्ति को बिक्री के लिए सामने रखने से पहले सरकार इन बातों को सुनिश्चित करती है।
- ग्रामीण आवास योजनाएं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार को बढ़ावा दे सकती हैं।

चुनौतियां

- भूमि की उपलब्धता और इसका अधिग्रहण सबसे बड़ी बाधा है।
- दोषपूर्ण BPL सूचियों के कारण लाभार्थियों के चयन में बहिष्करण और शामिल किए जाने से संबद्ध मुद्दे।
- जब हम निजी डेवलपर्स से इसकी तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि इस तरह की योजनाओं में आम तौर पर घरों के निर्माण पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है तथा पेयजल, बिजली की आपूर्ति, रसोई गैस आदि जैसी अन्य सुख-सुविधाओं के साधनों का यहाँ अभाव देखने को मिलता है।
- इस तरह की सरकारी योजनाओं से निर्मित घरों की गुणवत्ता में कमी के चलते ये दीर्घकालिक निवेश के लिहाज से अच्छा विकल्प नहीं बन पाते।
- इस तरह के आवंटन में स्थानीय अधिवास की शर्त होने के कारण नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आम तौर पर प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग ऐसे आवंटन से लाभ उठाने से वंचित हो जाता है।
- भ्रष्टाचार की विद्यमानता और कार्यान्वयन की निगरानी का अभाव ऐसी योजनाओं को अप्रभावी बना देती हैं। कई मामलों में लाभार्थी के लिए धन के मोचन (जारी किए जाने) के बावजूद घरों का निर्माण नहीं किया गया।
- योजनाओं के क्रियान्वयन की धीमी गति भी एक प्रमुख बाधा है। इस वर्ष गरीबों के लिए 4.4 मिलियन नए ग्रामीण घरों का निर्माण किया जाना है लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय पिछले 5 वर्षों में प्रतिवर्ष सिर्फ 1.1 से 1.8 मिलियन घरों का ही निर्माण कर पाया है।

आगे की राह

- इस योजना के तहत फंड जारी करने के पूर्व लाभार्थियों का प्रभावी लक्ष्यीकरण आवश्यक है।
- योजनाओं के उचित कार्यान्वयन एवं निगरानी की सुनिश्चितता के लिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का क्षमता निर्माण किया जाना आवश्यक है।
- इसके अकुशल निर्माण कार्य को मनरेगा के साथ संबद्ध करने से श्रमबल की कमी और उच्च श्रम लागत की समस्या को संबोधित किया जा सकता है।
- पेयजल, जलापूर्ति, बिजली और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

3.5. सभी के लिए 24X7 बिजली

(24X7 Power for All)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम गारंटी योजना (Ujwal DISCOM Assurance Yojana) के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- इसने "सभी के लिए 24X7 बिजली" पहल के लिए भी हस्ताक्षर किए हैं।

पृष्ठभूमि

- "सभी के लिए 24X7 बिजली" का उद्देश्य 2019 तक देश में कहीं भी किसी भी समय 24x7 बिजली प्रदान करना है।
- तमिलनाडु द्वारा इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ अब उत्तर प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों के लिए रोडमैप को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्यान्वयन के दौर में है।
- आंध्र प्रदेश और राजस्थान पहले राज्य हैं जिन्होंने 24X7 बिजली प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
- परिशुद्ध विश्लेषण से यह पता चला कि सभी के लिए बिजली प्रदान करने में राज्य वित्तीय व्यवहार्यता के मामले में पीछे हैं।
- इसलिए UDAY (उदय) का गठन किया गया ताकि घाटे में चल रही DISCOMs (वितरण कंपनियों) को सहारा दिया जा सके।

- UDAY के अतिरिक्त सरकार ने पिछले दो वर्षों में सभी के लिए 24X7 बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई अन्य पहलों यथा UJALA (उजाला: LED प्रकाश बल्ब का वितरण), DDUGJY और IPDS; की शुरुआत की है।
- सभी के लिए 24X7 बिजली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017-18 के बजट में DDUGJY (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) और IPDS (**एकीकृत बिजली विकास योजना**) के लिए आवंटन में 25% की वृद्धि की गई है।

एक गांव के विद्युतीकरण का अर्थ

2004-05 से प्रभावशील विद्युतीकरण की परिभाषा के अनुसार, एक गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाएगा, यदि:

- बिजली के खंबे और ट्रांसफार्मर जैसी आधारभूत संरचनाएं गाँव की आबादी तक पहुंच गए हैं, साथ ही दलित बस्तियों तक पहुंच गए हैं।
- गाँव के सामुदायिक स्थानों जैसे- स्कूल, पंचायतघर, स्वास्थ्य केंद्र, दवाघर और सामुदायिक घर तक बिजली पहुंच गई हो।
- गाँव के (महज़) 10 प्रतिशत लोगों (घरों) का बिजली का कनेक्शन हो गया हो।

चुनौतियां

- मूल्य-निर्धारण से संबंधित मुद्दों को हल करना तथा इस बात की जानकारी जुटाना कि आखिर क्यों DISCOMs वर्षों से घाटे में चल रही हैं।
- छोटे गांवों में 24X7 बिजली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा, पॉवर ग्रिड के परिवहन तथा वितरण और पारेषण लाइनों को बिछाने में समय लगता है।

अनुशंसाएँ

- 2019 तक सभी के लिए 24X7 बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सौर ऊर्जा जैसे अन्य वैकल्पिक तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- ऑफ-ग्रिड/मिनी-ग्रिड की स्थापना करके ग्राम स्तर पर विद्युतीकरण का कार्य किया जा सकता है।

महत्व

- यह आशा व्यक्त की जा रही है कि UDAY (उदय) घाटे से त्रस्त DISCOMs के कर्ज का बोझ कम कर सकेगा; फलस्वरूप सभी के लिए 24X7 बिजली उपलब्ध कराने हेतु ये अपने घाटे में और वृद्धि किए बिना अधिक यूनिट विद्युत् खरीदने में सक्षम हो सकेंगी। साथ ही यह DISCOMs को नए सिरे से अपना कार्य शुरू करने का भी अवसर देगा।
- सभी के लिए 24X7 बिजली से न केवल विभिन्न फर्मों की उत्पादकता और दक्षता पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा अपितु यह भी देखा गया है कि बिजली तक पहुँच एवं गरीबी अल्पीकरण में अन्योन्याश्रय संबंध है।
- पुनः सभी के लिए 24X7 बिजली की संकल्पना एकीकृत नियोजन और सहकारी संघवाद को मूर्त रूप देने जैसा है।

3.6. भारतीय रिजर्व बैंक की स्वायत्तता

(Autonomy of RBI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्वायत्तता पर सवाल उठाए गए थे।

स्वायत्तता के मामले में RBI की स्थिति क्या है?

- 2014 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सेंट्रल बैंकिंग में प्रकाशित एक प्रपत्र में, 89 केंद्रीय बैंकों पर किए गए एक अध्ययन में RBI को सबसे कम स्वतंत्र (केंद्रीय बैंक) के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था।
- उक्त अध्ययन में चार कारकों (संकेतकों) को शामिल किया गया था:
- केंद्रीय बैंक के प्रमुख की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप,
- नीतिगत निर्णयों में सरकार का हस्तक्षेप,
- मौद्रिक नीति के एकमात्र या प्राथमिक लक्ष्य के रूप में मूल्य स्थिरता का होना, और
- केंद्रीय बैंक से उधार लेने के मामले में सरकार की क्षमता पर सीमाएँ।

RBI और इसके प्रकार्य:

- **RBI एक्ट, 1934** के प्रावधानों के तहत इसे 1935 में स्थापित किया गया था।
- RBI के सात प्रमुख प्रकार्य हैं:
- **नोट मुद्रित करना (नोटों का निर्गम करना):** RBI के पास नोटों को मुद्रित करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार (स्वायत्तता) है। भारत सरकार के पास सिक्कों के टकसाल (ढलाई) और एक रुपए के नोटों को निर्गम करने का एकमात्र स्वत्व अधिकार है।
- **सरकार का बैंकर:** यह सरकार के जमा खातों का प्रबंधन करता है। यह IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) और विश्व बैंक के एक सदस्य के रूप में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है।

VISION IAS

- **वाणिज्यिक बैंक जमाओं का अभिरक्षक (कस्टोडियन)**
- **देश के विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक**
- **अंतिम ऋणदाता:** वाणिज्यिक बैंक आपात स्थितियों में अपनी मौद्रिक जरूरतों के लिए RBI के पास ही आते हैं।
- **सेंट्रल क्लीयरेंस एंड अकाउंट सेटलमेंट्स:** चूंकि RBI वाणिज्यिक बैंकों के CRR को अपने पास रखता है, अतः यह आसानी से उनके (वाणिज्यिक बैंक) विनिमय विपत्रों (बिल ऑफ़ एक्सचेंज) का रिडिस्काउंट (पुनर्बट्टा करना) कर देता है।
- **साख नियंत्रण:** यह अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।
- RBI के गवर्नर की नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से केंद्र सरकार हाथों में होती है और वह केन्द्र सरकार के प्रसादपर्यंत अपना पद (कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं) धारण करता है।

- फरवरी 2015 में **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण** के अपनाए जाने और अक्टूबर 2016 में **मौद्रिक नीति समिति** के गठन के चलते इस रैंकिंग सुधार होने की काफी संभावना है।
- हालांकि, RBI के बोर्ड में रिक्तियों की संख्या और उन्हें भरने में सरकार की अनिच्छा के कारण इसके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया पर तथा निर्णय लेने में उपयुक्त विचार-विमर्श हुआ है या नहीं इस पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं।
- विभिन्न समयों पर और एक के बाद एक कई सरकारों ने विभिन्न साधनों से RBI की स्वतंत्रता में कटौती करने की कोशिश की है।
- पिछली सरकार के दौरान, एक वित्तीय क्षेत्रक विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reforms Commission) का गठन किया गया था जिसने RBI की शक्तियों में कटौती करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की।
- 2013 में, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक वित्तीय क्षेत्रक निगरानी निकाय के रूप में 'वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद' (Financial Stability and Development Council) का गठन किया गया था। इसे भी RBI की स्वायत्ता में कमी के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
- संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि **RBI एक्ट** भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान नहीं करता। हालांकि, जब यह अपने विनियामकीय और मौद्रिक कार्यों का संचालन करता है तो निश्चित हीं यह कुछ स्वतंत्रता का आनंद उठाता है।

3.7 संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना

(Modified Special Incentive Package Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में नेट जीरो आयात के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु **'संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना' (Modified Special Incentive Package Scheme : M-SIPS)** में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

M-SIPS क्या है?

- **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** द्वारा जुलाई 2012 में तीन वर्ष की अवधि के लिए M-SIPS नीति की शुरूआत की गई थी।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य **इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र** में निवेश को प्रोत्साहित करना एवं संवितरण (disbursement) प्रक्रिया में तेजी लाना था।
- यह नीति कंपनियों को पूंजीगत व्यय पर 20-25% सब्सिडी प्रदान करके घरेलू स्तर पर उत्पादन करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- बजट 2017-18 में सरकार ने इस योजना के लिए फंड आवंटन में वृद्धि की है।

महत्त्व

- इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में घरेलू उत्पादन में वृद्धि की आशा है।
- यह आयात और निर्यात के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नेट जीरो बैलेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न पहल एवं प्रोत्साहन योजनाएं हैं - इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट फण्ड (EDF), इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम (EMCS), राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क।
- इस प्रकार का घरेलू उत्पादन अंततः देश को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाएगा एवं यह रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE)

- NPE का विजन देश की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग (ESDM) उद्योग का निर्माण करना है।
- देश में 100 अरब डॉलर के निवेश को आकर्षित करके तथा विभिन्न स्तरों पर रोजगार के 28 मिलियन (2.8 करोड़) अवसर सृजित करके, विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी एक ESDM क्षेत्र के विकास का वातावरण तैयार करना ।
- दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, औद्योगिक, चिकित्सा, सौर ऊर्जा, सूचना एवं प्रसारण, रेलवे, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम,

VISION IAS

आदि जैसे सामरिक और कोर बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मूल क्षमता को विकसित करना।
- कई राज्य सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र हेतु पृथक राज्य विशिष्ट नीतियों का निर्माण किया है।

3.8 लकी ड्रॉ के माध्यम से डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन

(Promoting Digital Payments Through Lucky Draws)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार ने विमुद्रीकरण के पश्चात लांच की गई दो लकी ड्रा योजनाओं जैसे **लकी ग्राहक योजना** और **डिजी धन व्यापार योजना** के तहत 60.9 करोड़ रुपए पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया है।

लकी ग्राहक योजना और डिजी धन व्यापार योजना

- विमुद्रीकरण के पश्चात, लोगों को डिजिटल विधि को भुगतान के एक साधन के रूप में (कैशलेस लेनदेन) अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए दो योजनाओं की शुरुआत की गई।
- योजना की शुरुआत 25 दिसंबर, 2016 को की गई एवं यह 14 अप्रैल, 2017 तक खुली रहेगी।
- इन दो योजनाओं का मुख्य फोकस गरीब, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों और छोटे व्यापारियों को कैशलेस अर्थव्यवस्था के दायरे में लाना है।

कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु कुछ अन्य पहलें

- देश भर में कुल 100 डिजी-धन मेलों को आयोजित किया जाना है। जिसमें से 24 का आयोजन पहले ही किया जा चुका है।
- कॉमन सर्विस सेंटर (CSCs) भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं।
- विभिन्न डिजिटल भुगतान जैसे- सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रीमियम के भुगतान एवं केंद्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों को भुगतान पर छूट की पेशकश की गई है।
- 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले प्रत्येक गांवों में दो POS (point of sale) उपकरणों को लगाया जाएगा।

3.9. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** ने सार्वजनिक क्षेत्र की पाँच जनरल बीमा कंपनियों में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी के विनिवेश को मंजूरी प्रदान की है।
- ये पांच जनरल बीमा कंपनियां हैं- ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।

विनिवेश क्या है?

- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों अथवा उपक्रमों (PSE) में सरकारी हिस्सेदारी एवं शेयर को बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। इसे डाइवेस्मेन्ट या डाइवेस्टिचर (निवेश का एक विपरीतार्थक शब्द) के रूप में भी जाना जाता है।
- भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति को लागू किए जाने के बाद विनिवेश प्रक्रिया प्रचलित हुई।
- विनिवेश प्रायः तब किया जाता है, जब कोई PSU लंबे समय से घाटे में चल रही हो और सरकारी खजाने में कुछ भी योगदान करने के स्थान पर सरकार पर एक बोझ बन गई हो।
- विनिवेश प्रक्रिया सरकार की राजकोषीय घाटे की फंडिंग में सहायक हो सकती है।

राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF)

- इसे 2005 में गठित किया गया था। केन्द्रीय PSE के विनिवेश से प्राप्त सभी आय को इस कोष में चैनेलाइज (इकठ्ठा) किया जाना है।
- NIF की आय का 75% सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा देने में उपयोग किया जाता है, जबकि 25% सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरुद्धार में उपयोग किया जाता है।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान इस नियम में ढील दी गई एवं 2009 से 2013 के मध्य NIF की सम्पूर्ण आय (100%) के सामाजिक क्षेत्र में उपयोग हेतु मंजूरी दे दी गई।

3.10 लघु वित्त बैंक

(Small Finance Bank)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में सूक्ष्म ऋणदाता (माइक्रो लेंडर्स), **सूर्योदय एवं उत्कर्ष** ने **लघु वित्त बैंकों (SFBs)** का परिचालन शुरू कर दिया है।

- इन बैंक ने अन्य वाणिज्यिक ऋणदाताओं के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु बचत बैंक जमाओं पर 6% से अधिक की ब्याज दरों का प्रस्ताव रखा है। अधिकतर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बचत खातों पर 4% ब्याज प्रदान किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- **वित्तीय समावेशन पर गठित नचिकेत मोर समिति की प्रमुख सिफारिशों में से एक लघु वित्त बैंक थे।**
- भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान है कि **वर्तमान में छोटे व्यवसायों में से करीब 90 प्रतिशत का औपचारिक वित्तीय संस्थानों के साथ कोई संबंध नहीं है।**
- उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि लघु वित्त बैंक देश में बैंकिंग सुविधा रहित एवं बैंकिंग सुविधा की अल्प उपलब्धता वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों एवं कृषि क्षेत्र को ऋण आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

लघु वित्त बैंक (SFBs) क्या हैं?

- लघु वित्त बैंक **निकेत बैंक (niche bank) (आबादी के एक निश्चित जनसांख्यिकीय हिस्से** और उसकी आवश्यकताओं पर केन्द्रित बैंक) हैं, जो कमजोर वर्गों के मध्य ऋण देने की गतिविधि को संपादित करते हैं।
- SFBs वस्तुतः वाणिज्यिक बैंकों के अवश्रेणीगत संस्करण (scaled down versions) हैं, जो **जमा स्वीकार करने** एवं **ऋण देने के कार्यों** को संपादित करते हैं।

SFBs की विशेषताएँ:

- बैंकिंग और वित्त में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति/पेशेवर; तथा निवासियों के स्वामित्वाधीन कंपनियां एवं सोसाइटियां लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए पात्र होंगी।
- SFBs के लिए न्यूनतम पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपये होगी।
- SFBs मुख्य रूप से सेवा से वंचित और अल्पसेवा प्राप्त तबकों, जिनके अंतर्गत छोटी कारोबारी इकाइयां, छोटे व सीमांत किसान, सूक्ष्म और लघु उद्योग और असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाएं शामिल हैं, से जमाराशि स्वीकारने तथा उनको ऋण देने का कार्य करेगा।
- SFBs पेंशन, विदेशी मुद्रा, म्यूचुअल फंड और बीमा की बिक्री कर सकते हैं एवं यह एक पूर्ण बैंक में भी परिवर्तित हो सकते हैं।

3.11 मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति

(Draft National Steel Policy)

सुर्खियों में क्यों?

- भारतीय **इस्पात मंत्रालय** ने **राष्ट्रीय इस्पात नीति (NSP), 2017 का मसौदा** जारी किया है।

इस क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही समस्याएं

- इस्पात कंपनियां भारी कर्ज से ग्रस्त हैं।
- घरेलू मांग का अभाव।
- मेटलर्जिकल कोक/मेट कोक की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं है। ब्लास्ट फर्नेस लौह निर्माण में कोक कच्चे के रूप में प्रयुक्त सामग्री है। यह कोयले के कार्बोनाईजेशन के माध्यम से बनाया जाता है।
- उच्च इनपुट लागत।
- चीन, कोरिया और अन्य देशों से सस्ते आयात भी घरेलू उत्पादकों के लिए चिंता का विषय है।

मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा प्रस्तावित सुधार

- NSP मसौदे का उद्देश्य विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एक **आत्मनिर्भर इस्पात उद्योग** विकसित करना है।
- नीति में **सागरमाला परियोजना** के तहत भारतीय समुद्र तट के साथ **ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों** की स्थापना का प्रस्ताव है।
- यह सस्ते आयातित कच्चे माल जैसे कोकिंग कोल के दोहन करने एवं भारी लागत का बोझ उठाए बिना उत्पादन को निर्यात करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- नीति में ब्लास्ट फर्नेस में कोकिंग कोल के उपयोग को कम करने हेतु **गैस-आधारित इस्पात संयंत्रों** एवं **इलेक्ट्रिक फर्नेस का उपयोग** करने के विचार का प्रस्ताव रखा गया है।
- नीति का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन करना है।

महत्त्व

- चीन और जापान के बाद, भारत विश्व में **तैयार इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक** है।
- भारतीय इस्पात क्षेत्र का मूल्य 100 अरब डॉलर से अधिक आँका गया है एवं यह GDP में 2 प्रतिशत का योगदान करता है।
- यह सेक्टर 6.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 13 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है।
- भारत वर्ष 2007-08 के बाद से (2013 को छोड़कर) तैयार इस्पात का लगातार आयात करता आ रहा है।

- दो वर्ष पूर्व तक, भारत इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता था।
- वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद, भारत एक अकेली अर्थव्यवस्था है, जिसने 2015 में इस्पात क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

3.12. बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स

(Banking Cash Transaction Tax)

सुर्खियों में क्यों?

- **डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की समिति** ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए **BCTT (बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स)** को पुनः वापस लाने की सिफारिश की है।

BCTT (Banking Cash Transaction Tax)

- BCTC एक प्रकार का कर है, जो किसी **व्यक्ति या HUF** द्वारा किसी **अनुसूचित बैंक के गैर-बचत खाते** से एक ही दिन में एक **निर्धारित सीमा से अधिक** के नकद लेनदेन पर लगाया जाता था।
- इसे **जम्मू-कश्मीर** राज्य में लागू **नहीं** किया गया था।
- नकद लेनदेन पर 0.1% की दर से कर लगाया गया था।
- सर्वप्रथम इस कर को वर्ष **2005 में** वित्त अधिनियम, 2005 के तहत पेश किया गया था। इसे बाद में **1 अप्रैल, 2009** से वापस ले लिया गया।
- यह कर गैर-हिसाबी धन (unaccounted money) की ट्रेकिंग एवं उसके स्रोत तथा गंतव्य का पता लगाने हेतु प्रस्तावित किया गया था।
- 2014 में **पार्थसारथी शोम** की अध्यक्षता वाली **कर प्रशासन समिति** ने भी BCTT को पुनः लागू करने की सिफारिश की थी।

डिजिटल पेमेंट पर मुख्यमंत्रियों की समिति की अन्य सिफारिशें :

- वार्षिक आय के एक निश्चित अनुपात के लेनदेन हेतु डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने पर उपभोक्ता को कर वापसी का प्रावधान।
- डिजिटल पेमेंट में संलग्न व्यापारियों हेतु भूतलक्षी कर (रेट्रस्पेक्टिव टैक्स) की समाप्ति।
- सभी प्रकार के वृहद् लेन-देन हेतु नकदी के उपयोग पर उच्चतम सीमा का निर्धारण।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संचार मंत्रालय** से गैर-करदाताओं और छोटे व्यापारियों द्वारा स्मार्टफोन क्रय करने पर 1,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान करने की सिफारिश की गई है।
- बायोमेट्रिक सेंसर (आइरिस और फिंगरप्रिंट स्कैनर) की खरीद पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी।

हिंदू अविभाजित परिवार (HUF)

Hindu Undivided Family: HUF

- यह कराधान प्रयोजनों के लिए एक परिवार के सदस्यों द्वारा बनाई गई, पृथक संस्था है।
- यह अकेले व्यक्तियों द्वारा नहीं बनाई जा सकती। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक परिवार में पिता या वरिष्ठ पुरुष सदस्य ही HUF का कर्ता होगा। कर्ता की भूमिका परिवार के मैनेजर की होती है और HUF के सारे सदस्य इसके पार्टनर की तरह होते हैं।
- HUF की सबसे छोटी इकाई पति-पत्नी हो सकते हैं। यानी इसके लिए परंपरागत अर्थों में संयुक्त परिवार का होना जरूरी नहीं है।
- प्रत्येक सदस्य को HUF में बराबर का हिस्सा प्राप्त होता है।
- हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख HUF खोल सकते हैं।
- HUF को एक अलग PAN प्राप्त होता है, इन पर अलग से कर लगाया जाता है।
- इन्हें केवल, गिफ्ट टैक्स कानूनों के तहत रिश्तेदारों से प्राप्त उपहार के माध्यम से या इनहेरिटेंस (वसीयत से मिली परिसंपत्तियों) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा सकता है।

3.13. बागान श्रम अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

(Proposal to Amend Plantation Labour Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- "in kind" घटकों, जिन्हें मजदूरी के रूप माना जाता था, को अलग करने (exclude) करने के लिए केंद्र सरकार बागान श्रम अधिनियम (PLA), 1951 में संशोधन करने की योजना बना रही है।

बागान श्रम अधिनियम, 1951

- यह बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रावधान करता है और बागानों में कार्य करने की दशाओं को नियंत्रित करता है।
- प्रत्येक बागान में श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

VISION IAS

- यह श्रमिकों के लिए बागान एस्टेट के आस-पास कैंटीन, क्रेच, उपयुक्त आवास और शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान करता है।
- यह अधिनियम **श्रम मंत्रालय** द्वारा प्रशासित होता है।

इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता

- चाय बागानों में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा सूचित **मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों में सुधार** करने के लिए।
- चाय उद्योग यह कहकर **सांविधिक न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं** करता है कि **PLA, 1951 के तहत दी जाने वाली सुविधाओं का मौद्रिक मूल्य पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति** कर देता है।
- PLA, 1951 के संशोधन के द्वारा, सरकार, चाय एस्टेट में **सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की लागत बागान उद्योग के साथ साझा** करना चाहती है।

प्रस्तावित संशोधनों का महत्व

- संविधान का **अनुच्छेद 43** राज्य को निदेश देता है कि यह कानून के द्वारा सभी श्रमिकों को **निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर** और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित कराने का प्रयास करेगा।
- सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन, श्रम सुधारों के एक भाग के रूप में **सरकार के न्यूनतम वेतन संहिता के प्रस्ताव** को पूर्ण करेगा।
- इस कदम से चाय उद्योग, जो बागान क्षेत्र का सबसे बड़ा उद्योग है, के कई श्रमिकों को लाभ प्राप्त होगा।

3.14. ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम

(Trade Receivables Discounting System [TREDS])

यह क्या है?

- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) कई फाइनेंसरों के जरिए कॉर्पोरेट खरीददारों द्वारा **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के ट्रेड रिसीवेबल्स** के वित्तपोषण की सुविधा हेतु एक संस्थागत प्रक्रिया है।

ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हैं?

किसी भी समय एक व्यापार के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स का कुल मूल्य उस बिक्री राशि को प्रदर्शित करता है जिसका भुगतान ग्राहकों के द्वारा नहीं किया गया है।

TReDS की आवश्यकता

- **क्रिसिल (CRISIL)** द्वारा हाल में जारी किये गए **रिपोर्ट** में कहा गया है कि सरकार द्वारा किये गए विमुद्रीकरण ने MSMEs की तरलता को प्रभावित किया है। इसमें यह भी कहा गया है कि:

✓ प्रत्येक तीसरे MSME को कॉर्पोरेट और स्वयं सरकार से ही भुगतान (रिसीवेबल्स) में देरी का सामना करना पड़ रहा है।
✓ वे लेनदारों (क्रेडिटर) को पुनर्भुगतान और समय पर वेतन का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
✓ इसका सबसे अधिक प्रभाव स्टील उद्योग पर पड़ा है और इसके पश्चात वस्त्र उद्योग है।

- **फेडरेशन ऑफ़ इंडियन MSMEs (FISME) के अनुसार**, विमुद्रीकरण के बाद MSME व्यवसाय "धीरे-धीरे करके जाम होने की स्थिति" तक पहुँच गया है।
- **MSME विकास अधिनियम** में प्रावधान किया गया है कि वस्तुओं या सेवाओं के खरीदार को स्वीकृति के 45 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा। इसलिए इस प्रकार की **देरी से कानून का उल्लंघन** हो रहा है।

MSME का महत्व

MSME मंत्रालय के अनुसार, भारत में MSME क्षेत्र में लगभग 51 मिलियन उद्यम हैं। इन उद्यमों ने 117.1 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन किया है और ये देश के GDP में 37.5 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

TReDS का उद्देश्य

- **इलेक्ट्रॉनिक बिल फैक्टरिंग एक्सचेंज** का सृजन करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिलों को स्वीकार और भुगतान कर सकें। यह MSMEs को बिना देरी के उनके भुगतान (रिसीवेबल्स) को प्राप्त करने सक्षम बनाएगा।
- TReDS बिल (invoice) के साथ बिल ऑफ़ एक्सचेंज के बट्टाकरण में सुविधा प्रदान करेगा।

3.15. रेल मंत्रालय द्वारा गैर-किराया राजस्व नीति की घोषणा

(Indian Railways Launch Non-Fare Revenue Policies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रेल मंत्रालय ने आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति, ट्रेन ब्रांडिंग नीति, कंटेंट-ऑन-डिमांड, रेल रेडियो नीति और ATM नीति के साथ **प्रथम गैर-किराया राजस्व नीति** की घोषणा की है।

नीति की आवश्यकता

- 2015-16 में, भारतीय रेलवे की राजस्व वृद्धि दर 4.6% रही, यह 2010-11 के बाद से दर्ज की गई न्यूनतम वृद्धि दर है। यह अंतिम चार वर्षों की 10-19% की वृद्धि दर की तुलना में काफी कम है।
- अंतिम चार वर्षों में 4-5% वृद्धि की तुलना में माल-भाड़ा, जो कि 60 प्रतिशत आय का स्रोत है, में केवल 0.6% वृद्धि देखी गयी है।
- यात्री अनुभाग में किराया मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता का अभाव माल-भाड़ा राजस्व के साथ उच्च क्रॉस सब्सिडी का कारण बनता है। यह आर्थिक अक्षमताओं का निर्माण करता है।

नीति के प्रावधान

- **गैर-किराया राजस्व नीति** में शामिल है:
  - ✓ विज्ञापन होर्डिंग और बिलबोर्डस के लिए रेलवे स्टेशनों के आउटडोर रिक्त स्थान की बिक्री।
  - ✓ स्टेशनों पर और ट्रेनों में वाई-फाई के माध्यम से रेडियो और वीडियो सामग्री उपलब्ध कराना।
  - ✓ ATM के लिए प्लेटफार्मों के रिक्त स्थान को पट्टे पर देना।
  - ✓ ट्रेनों और स्टेशनों की ब्रांडिंग राइट्स की बिक्री।
- **ट्रेन ब्रांडिंग नीति** के तहत 10 वर्ष के अनुबंध के आधार पर ट्रेन के बाह्य और आंतरिक भाग में विनाइल कवर (vinyl wraps) के विज्ञापन की अनुमति होगी।
- **आउट-ऑफ़-होम विज्ञापन नीति**, अब तक अप्रयुक्त क्षेत्रों में विज्ञापन की अनुमति प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए- रोड ओवर ब्रिजेज, लेवल क्रासिंग गेट्स आदि पर।

नीति का महत्व

- यह **यात्रियों के लिए** उनके व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर **मनोरंजक गतिविधियां** उपलब्ध कराएगा। यह **ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाएगा**।
- यह कदम यात्री और माल ढुलाई के रूप में **पारंपरिक राजस्व के स्रोत पर निर्भरता को कम** करेगा।
- यह कदम वायुमार्ग और सड़क मार्ग जैसे परिवहन के क्षेत्रों की तुलना में **रेल प्रतिस्पर्धा को बढ़ा** सकता है। परिणामस्वरूप, यह कदम सड़कों से भीड़ को कम कर सकता है और सार्वजनिक परिवहन को सस्ता कर सकता है।

आगे की राह

- रेल बजट 2016-17 के अनुसार, भारतीय रेलवे अपने राजस्व का केवल पांच प्रतिशत हिस्सा गैर-प्रशुल्क (नॉन-टैरिफ) स्रोत से अर्जित करती है। जापान में, 25-30 प्रतिशत राजस्व गैर-किराया स्रोत से आता है। रेलवे को अगले सात से आठ वर्षों में इस स्तर तक पहुँचने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह हमारे रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में सही कदम होगा।

3.16. निजी बैंकों के माध्यम से भविष्य निधि अंशदान

(Provident Fund Contribution Via Private Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- श्रम मंत्रालय ने नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र के बैंकों सहित भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के भविष्य निधि (PF) में अंशदान करने हेतु अनुमति दी है।

EPFO क्या है?

- यह कर्मचारी भविष्य निधि और विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत एक सांविधिक निकाय है।
- यह निम्नलिखित को प्रशासित करता है:
  - ✓ कर्मचारी भविष्य निधि योजना
  - ✓ कर्मचारी पेंशन योजना
  - ✓ भारत में **संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले** कर्मचारियों के लिए कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना।
- इसे केंद्रीय न्यासी बोर्ड (Central Board of Trustees: CBT- श्रम मंत्री की अध्यक्षता में) द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व होता है।
- यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

VISION IAS

प्रस्ताव की आवश्यकता

- वर्तमान में, EPFO में अंशदान केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों और भुगतान पोर्टल PayGov के माध्यम से किया जा सकता है।
- EPFO भुगतान का लगभग 25 प्रतिशत निजी बैंकों के माध्यम से प्राप्त करता है।
- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को अनुमति नहीं होने के कारण EPFO में अंशदान जमा करने में देरी होती है।
- SCBs के माध्यम से कोई लेनदेन का न होना भी EPFO के लिए लेनदेन शुल्क का कारण है।

प्रस्ताव का महत्व

- यह **भुगतान एग्रीगेटर्स के साथ होने वाली देरी में दो से तीन दिन की कटौती** करेगा।
- यह EPFO के लिए हर वर्ष 15 करोड़ रुपये के अर्जन का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- यह देश के भीतर **इज ऑफ़ डूइंग बिज़नस में भी वृद्धि** करेगा।
- यह EPFO को **ग्राहकों (सब्सक्राइबर्स) के क्रेडिट भुगतान और सर्विस डिलिवरी में सुधार** हेतु सक्षम बनाएगा।

आगे की राह

- यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब, भविष्य में PF की बकाया राशि की वसूली करने हेतु SCBs तथा अन्य निजी बैंकों को प्राधिकृत करने के लिए EPF स्कीम के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन आवश्यक हैं। इस कदम का लाभ उठाने के लिए इसे जल्द ही किया जाना चाहिए।

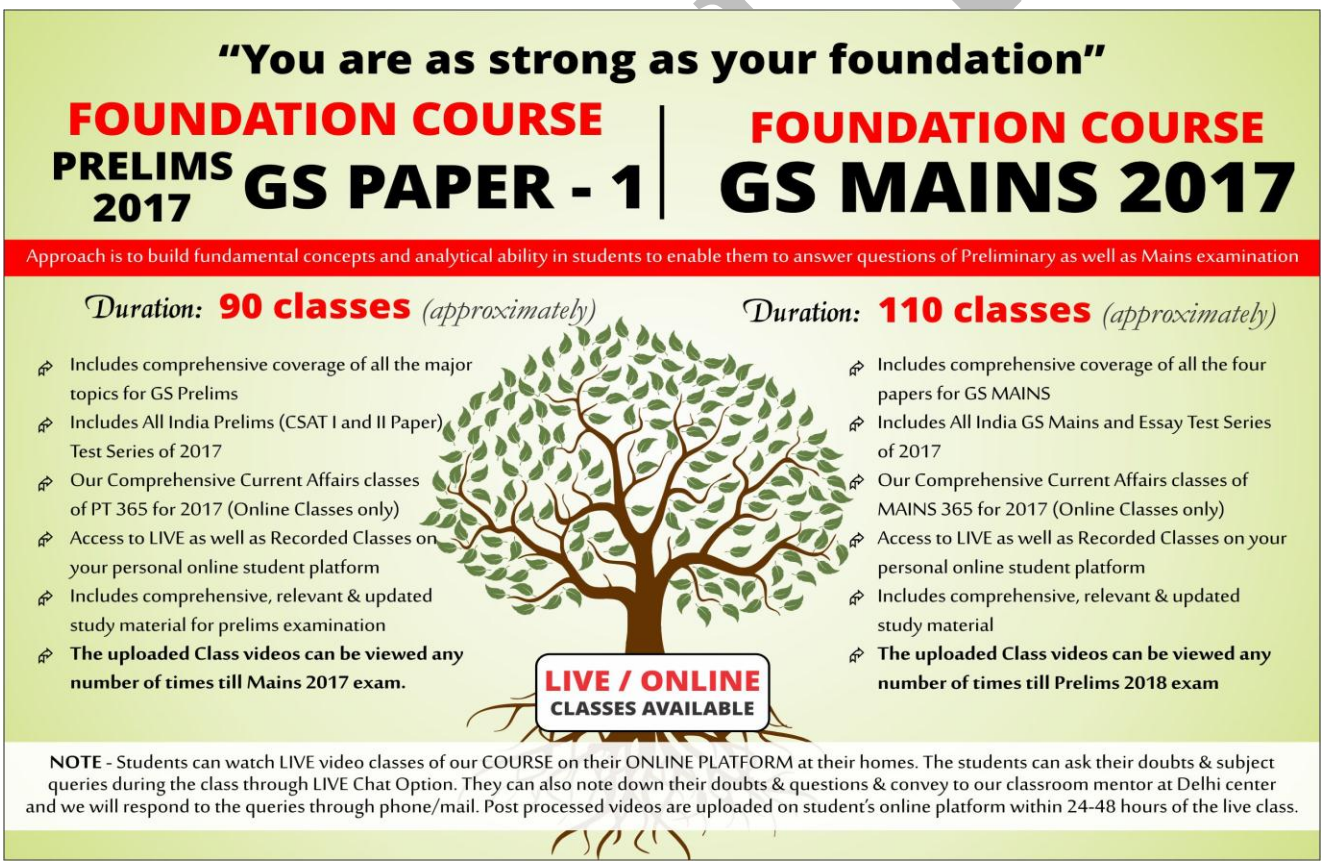

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव 2322

(Security Council Resolution 2322)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आतंकवाद का सामना करने के लिए विश्व भर में न्यायिक सहयोग बढ़ाने और उसे सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को अपनाया है।
- प्रस्ताव 2322 का लक्ष्य वस्तुतः परिचालन सम्बन्धी सहयोग के माध्यम से आतंकवाद के विरुद्ध अभियान में अंतरराष्ट्रीय कानूनों एवं न्यायिक प्रणालियों की प्रभावकारिता में वृद्धि करना है।

प्रमुख तथ्य

यह प्रस्ताव आतंकी गतिविधियों का सामना करने से संबंधित पांच प्रमुख मुद्दों पर बल देता है:-

- इसमें द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संधियों जैसे उचित अंतरराष्ट्रीय साधनों का प्रयोग तथा पारस्परिक विधिक सहायता और प्रत्यर्पण के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति करना सम्मिलित है।
- इसमें विदेशी आतंकवादियों के आगमन और संघर्ष क्षेत्रों से उनकी वापसी के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साथ ही इन विदेशी आतंकवादियों की बायोमेट्रिक एवं बायोग्राफिक सूचनाओं सहित अन्य उपलब्ध सूचनाओं का आदान-प्रदान करना भी सम्मिलित है।
- साथ ही यह विदेशी आतंकवादियों से सम्बंधित इन सूचनाओं को बहुपक्षीय स्क्रीनिंग डेटाबेस को प्रदान करने के महत्व पर बल देता है, जो वर्तमान में द्विपक्षीय स्तर पर किया जाता है।
- यह प्रस्ताव राष्ट्रों को आतंकवाद के वित्तपोषण को गंभीर दंडनीय अपराध घोषित करने तथा इन आतंकी वित्तपोषकों को सुरक्षित स्थान प्रदान न करने का सुझाव देता है।
- यह साक्ष्य जुटाने एवं उन्हें साझा करने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाने पर भी जोर देता है।
- पुनः इसमें आतंकी गतिविधियों को रोकने हेतु यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) और इंटरपोल जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की भूमिका पर भी बल दिया गया है।

विश्लेषण

प्रस्ताव 2322 निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से बहुपक्षीय आतंकवाद-विरोधी प्रयासों को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है:

- इसमें प्रस्तावित न्यायिक सहयोग के माध्यम से न्यायालयों में स्वीकार्यता (admissibility) सुनिश्चित करने हेतु सुस्पष्ट साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी।
- अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस का एक व्यवस्थित उपयोग आतंकवादियों को एक राज्य क्षेत्र से दूसरे राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने से अथवा यात्रा करने से रोकने में मदद करना होगा। यह सीरिया और इराक से विदेशी आतंकवादियों की वापसी से उत्पन्न वर्तमान खतरे के विषय में भी महत्वपूर्ण है।

आतंकवाद का सामना करने में बाधक बने मुद्दें:

- मुंबई, ब्रुसेल्स, पेरिस सहित हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों से संबद्ध अधिकांश मामलों में यह देखा गया कि क़ानूनी कार्रवाई किए जाने हेतु आवश्यक घटक जैसे साक्ष्य, संदिग्ध व्यक्ति और गवाह आदि कई राज्यों (देशों) के न्यायिक-क्षेत्राधिकार में फैले हुए थे।
- इसके अतिरिक्त पुलिस बलों और न्यायपालिका के बीच सहयोग में भी कमी तथा आतंकवादी गुटों और उनके सदस्यों के बारे में अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस का अभाव भी एक प्रमुख मुद्दा है।

इससे कुछ अन्य चुनौतियां भी सामने आती हैं:

- ✓ प्रथम, स्पष्ट साक्ष्य के अभाव अथवा विभिन्न देशों से साक्ष्य जुटा पाने में अव्यवहार्यता के कारण प्रवर्तन एजेंसियां अधिकांशत: गलत लक्ष्यों को निशाना बनाती हैं।
- ✓ द्वितीय, फलत: यह न्यायिक विस्तार में परिणत हो जाता है जहाँ साक्ष्य प्रस्तुत करने का बोझ अभियोजन पक्ष से हटकर आरोपियों पर हस्तांतरित हो जाता है। इस संबंध में मुंबई हमलों की प्रतिक्रियास्वरुप 2008 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (Unlawful Activities (Prevention) Act:UAPA) में किया गया संशोधन उल्लेखनीय है।

- साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय में इन विदेशी आतंकवादियों पर लगाये गए आरोप साबित नहीं हो पाते हैं। अत: यदि इस प्रस्ताव का अक्षरश: कार्यान्वयन किया जाता है तो यह निश्चित ही सीरिया और इराक में इन आतंकवादियों की गतिविधियों से सम्बंधित साक्ष्य जुटाने में मदद करेगा।
- इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव 2322 द्वारा परिकल्पित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कानूनी सहयोग के माध्यम से वांछित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण में आने वाले गतिरोध को भी समाप्त किया जा सकेगा और इस प्रकार इससे अन्य राज्यों द्वारा आतंकवादियों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराने जैसी गतिविधियों का भी अंत हो जाएगा।

VISION IAS

निष्कर्ष

- आतंकवाद की गंभीर समस्या का सामना करने, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूहों की गतिविधियों को रोकने हेतु अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग पर सुरक्षा परिषद का यह प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण कदम है।
- निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद से उत्पन्न खतरे के विरुद्ध प्रतिक्रिया वैश्विक स्तर पर होनी चाहिए।
- एक विदेशी भूमि पर आपराधिक गतिविधियों में संलग्न आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाने से संबद्ध चुनौतियों पर काबू पाने के संदर्भ में निश्चित ही यह पहला व्यावहारिक कदम है।

4.2. अर्द्धसैनिक बलों से सम्बंधित मुद्दे

(Issues of Paramilitary Forces)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से BSF कांस्टेबल द्वारा LoC सीमा तैनाती पर निम्न और खराब गुणवत्ता के भोजन का आरोप लगाए जाने के बाद उठाए गए कदमों पर प्रश्न किया।

पृष्ठभूमि

- अर्द्धसैनिक बलों द्वारा केंद्र सरकार पर सेना (military) की तुलना में उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण के लिए
  - ✓ जवान द्वारा एक वीडियो में सैन्य कर्मियों की तुलना में वेतन और भत्तों में असमानता का आरोप लगाया गया।
  - ✓ अर्द्धसैनिक बलों में राशन के लीकेज का एक अन्य आरोप लगाया गया।
  - ✓ अर्द्धसैनिक बल का एक जवान **सहायक/बडी सिस्टम (buddy system)** के विरुद्ध था जिसमें सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों के व्यक्तिगत कार्य करने हेतु मजबूर किया जाता है।
  - ✓ वे समस्याओं के खिलाफ शिकायत करने पर कोर्ट मार्शल की कार्यवाही द्वारा उत्पीड़न का भी आरोप लगाते हैं।
- **पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो** (Bureau of Police Research and Development) (2005) के एक अध्ययन में अर्द्धसैनिक बलों के बीच तनाव संबंधी गंभीर समस्याएं पायी गईं।
- **गृह मंत्रालय (MHA)** द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 2009 के बाद से अर्द्धसैनिक बलों के 400 से अधिक जवान मारे गए जो की सेना में इस तरह से होने वाली मृत्यु की तुलना में कहीं अधिक है।

MHA के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

- **असम राइफल्स:** यह 1835 में अस्तित्व में आया। कार्य कार्य विद्रोह का सामना (counter insurgency) और म्यांमार सीमा पर सीमा सुरक्षा सम्बन्धी संचालन करना है।
- **सीमा सुरक्षा बल (BSF):** यह 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद अस्तित्व में आया। यह भारत का प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है जो भारत की पश्चिमी सीमाओं पर तैनात है।
- **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF):** इसका गठन 1969 में किया गया। यह विश्व में इस प्रकार का सबसे बड़ा सुरक्षा बल है। इसका कार्य विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और व्यावसायिक स्थानों को सुरक्षा प्रदान करना है।
- **केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF):** इसका गठन 1939 में किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। यह नक्सलविरोधी आपरेशन जैसी कार्यवाहियों द्वारा भारत की आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करता है। यह संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की भी सहायता करता है।
- **भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP):** इसका गठन 1962 में भारत-चीन युद्ध के बाद किया गया था। यह चीन से जुड़ी भारत की सीमा की रक्षा करता है। यह आपदा प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आदि में भी प्रशिक्षित है
- **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG):** यह आतंकवादी गतिविधियों और राज्यों में आंतरिक अशांति का सामना करते हैं।
- **सशस्त्र सीमा बल (SSB):** यह 1963 में गठित हुआ तथा नेपाल एवं भूटान से जुड़ी सीमाओं की रक्षा करता है। यह इन सीमाओं पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

निहित मुद्दे

- अर्द्धसैनिक बलों के लिए समर्पित शिकायत निवारण प्रणाली (Dedicated grievance redressal system) का अभाव है।
- सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायत निवारण को अवज्ञा के कृत्य के रूप में माना जाता है।
- इससे अन्य सैनिकों की मनःस्थिति प्रभावित होने की आशंका भी रहती है। इस प्रकार भारत की रक्षा तैयारियां प्रभावित होती हैं।
- रक्षा नौकरशाही, अर्द्धसैनिक बलों की मूल समस्याओं के समाधान में विलम्ब उत्पन्न करती है।

सेना और अर्द्धसैनिक बलों के बीच अंतर

- अर्द्धसैनिक बल पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं जबकि सेना, रक्षा मंत्रालय के अधीन है।

VISION IAS

- आदर्श स्थिति में, सेना अधिकांशत: सीमा युद्ध के लिए और कभी-कभी प्राकृतिक आपदाओं में तैनात की जाती है।
- अर्द्धसैनिक बलों को आंतरिक अशांति, उग्रवाद, सीमा सुरक्षा, चुनाव, VIP सुरक्षा, आतंकवाद आदि के लिए तैनात किया जाता हैं।
- अर्द्धसैनिक बलों के कार्य के घंटे सेना के जवानों की तुलना में अधिक लम्बे और अनम्य (कठोर) होते हैं।

असंतोष के कारण

- दूसरी ग्रुप 'ए' सेवाओं के समान एक संगठित सेवा दर्जा प्राप्त किये बिना वे पदोन्नति के लिए आवश्यक गैर कार्यात्मक उन्नयन (NFU) प्राप्त नहीं कर पाते हैं।
- इन पर सेना और पुलिस दोनों प्रकार के कार्यों का अत्यधिक बोझ डाल दिया जाता है। उदाहरणस्वरुप वे सीमाओं की सुरक्षा करते हैं तथा आतंकवादियों और विद्रोही तत्वों का सामना भी करते हैं।
- मानव शक्ति की कमी से इनके कार्यभार में वृद्धि होती है।
- इसमें शीर्ष पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों की नियुक्ति होती है जो अर्द्धसैनिक बलों की मूल समस्याओं को नहीं समझ पाते। परिणामस्वरूप इन बलों में मनोशक्ति में कमी आती है।
- कार्य की खराब परिस्थितियां जैसे आवास सुविधाओं का न होना, खराब भोजन और कम भत्ते समस्याओं को बढ़ाते हैं। (**नेपोलियन ने एक बार कहा था की "सेना अपने पेट के बल पर चलती है")।**
- वे न्याय से वंचित हैं। उदाहरणस्वरुप:

✓ सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरण उन्हें सम्मिलित नहीं करते हैं।

✓ इनके लिए न्यायिक प्रणाली कोर्ट मार्शल जैसी एक अपेक्षाकृत कम संरक्षण प्रदान करने वाली प्रणाली है जिसे सुरक्षा बल न्यायालय कहा जाता है।

✓ न्यायालयों और गृह मंत्री को अपील करना महंगा और जटिल है।

✓ यहां तक कि अनुच्छेद 33 उन्हें असैनिक (civilian) न्यायपालिका में पहुँचने से रोकता है।

सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- विवादों का बेहतर समाधान, कार्य क्षेत्रों में संचार सुविधायें, योग आदि प्रारंभ किया गया है।
- जवानों और अधिकारियों के बीच बातचीत में वृद्धि, सरकार द्वारा उनके मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए 14 उपायों का भाग थी।
- 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अर्द्धसैनिक बलों के ग्रुप 'ए' अधिकारियों को वेतन उन्नयन प्रदान करने के लिए सरकार को आदेश दिया।
- अर्द्धसैनिक बलों में लैंगिक समानता में सुधार करने के लिए -

✓ सरकार ने CRPF और CISF में कांस्टेबल पद पर 33% महिलाओं के आरक्षण को मंजूरी दी।

✓ यह BSF, SSB और ITBP सीमा बलों में भी महिलाओं के लिए 15% कोटा निर्धारित करता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- अर्द्धसैनिक बलों को संगठित सेवा श्रेणी के अंतर्गत लाने हेतु DoPT की अधिसूचना को गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। MHA को शीघ्र ही इसे अधिसूचित करना चाहिए।
- असम राइफल्स को MHA में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन अब भी यह रक्षा मंत्रालय के परिचालन नियंत्रण के अंतर्गत है। बेहतर तालमेल के लिए गृह मंत्रालय को पूर्ण नियंत्रण दिया जाना चाहिए।
- अर्द्धसैनिक बलों की मांग पर विचार किया जाना चाहिए, उदाहरणस्वरूप

✓ एक सैन्य सेवा वेतन

✓ कैरियर में समय पर पदोन्नति,

✓ बेहतर बुनियादी ढांचा

✓ जब वे लड़ते हुए मारे जाएँ तो शहीद का दर्जा।

- उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु पृथक मंत्रालय गठित किया जा सकता है।
- अर्द्धसैनिक बलों के लिए एक पृथक शिकायत निवारण तंत्र और एक अलग न्यायाधिकरण की आवश्यकता है।
- भत्ते में समता के लिए "**एक क्षेत्र, एक भत्ता**" लागू किया जाना चाहिए। यह एक ही क्षेत्र में तैनात सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों दोनों को एक ही भत्ता प्रदान करता है।
- वे विपरीत परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अधिक कठिनाई भत्ता (hardship allowance) चाहते हैं।

VISION IAS

4.3. कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत

(Cold Start Doctrine)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- एक साक्षात्कार में, थल सेनाध्यक्ष ने कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत (CSD) के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिसे भारत द्वारा आधिकारिक तौर पर अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत ने 1984 से 2004 तक पाकिस्तान के साथ संभावित युद्ध की स्थिति में सुंदरजी सिद्धांत (Sundarji Doctrine:SD) का पालन किया।
- SD के अनुसार, पाकिस्तान से जुड़ी सीमा पर सात नियंत्रक (होल्डिंग) सैन्यदलों और मध्य भारत में तीन प्रहारक (स्ट्राइक) सैन्यदलों को तैनात किया गया।
- नियंत्रक सैन्यदल, पाकिस्तान के आक्रामक प्रहार को प्रहारक सैन्यदल के आने तक रोक कर रखता है, जिसकी आक्रामक क्षमता पाकिस्तान को दंडात्मक प्रतिक्रिया देती है।
- 2001 में संसद में हुए आतंकवादी हमले के बाद, SD को ऑपरेशन पराक्रम के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया था। लंबी दूरी के कारण सैनिकों को लामबंद करने में इसने 3 सप्ताह का समय लिया।
- तब तक अंतरराष्ट्रीय दबाव ने भारत को कार्रवाई करने से रोक दिया।

कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत

- CSD का लक्ष्य पाकिस्तानी हमले की जवाबी कार्रवाई में किसी भी अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप से पहले पाकिस्तान को व्यापक रूप से नुकसान पहुँचाना है।
- इसे इस प्रकार किया जाना है कि पाकिस्तान परमाणु हमले के लिए उत्तेजित ना हो। इसके मुख्य तत्वों में शामिल हैं-

✓ "कोल्ड स्टार्ट" द्वारा आक्रमण करने के लिए रक्षात्मक या प्रधान सैन्यदलों के आक्रामक अभियानों की क्षमता बढ़ाना।

✓ प्रहारक सैन्यदल की छावनियों को सीमा के करीब ले जाना।

✓ पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने हेतु सीमित आक्रामक अभियान चलाने के लिए कुछ "एकीकृत युद्ध समूहों" का गठन किया जाना है।

✓ अधिकृत क्षेत्र का प्रयोग पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को संस्थागत समर्थन बंद करने पर मजबूर करने के लिए किया जा सकता है।

- SD की विफलता के बाद CSD को विकसित किया गया था। जहाँ SD बचाव की मुद्रा में आक्रमण की रणनीति अपनाता है, वहीं CSD आक्रामक मुद्रा में रक्षा की रणनीति को अपनाता है।
- CSD के अनुसार 2001 में ऑपरेशन विजयी भव और ऑपरेशन सुदर्शनशक्ति ने सफलतापूर्वक लामबंदी के समय को कम करके 48 घंटे कर दिया।

सिद्धांत का महत्व

- हाल ही में पठानकोट और उरी पर हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर हमारी रक्षा तैयारियों में सुधार करने में यह सिद्धांत मदद कर सकता है।
- यह किसी भी प्रतिक्रियात्मक सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में भारत की रणनीति तैयार करने में भी मदद कर सकता है।
- यह युद्ध के परमाणु आक्रमण तक विस्तृत हो जाने के खतरे को भी सावधानीपूर्वक टाल सकता है।
- यह रणनीति भारत की सहिष्णुता सीमा से पाकिस्तान को अवगत करने में मदद करती है और निवारक क्षमता सुदृढ़ करती है।
- यह पाकिस्तान की छद्म युद्ध नीति पर स्व-नियंत्रण स्थापित करेगा।

सिद्धांत की आलोचना

- यह पाकिस्तान को अपनी परमाणु शक्ति में वृद्धि करने के लिए एक औचित्य प्रदान करेगा। उदाहरणार्थ सीमित भारतीय सैन्य आक्रमण के भयादोहन के लिए कम दूरी की मिसाइलों का निर्माण जिन्हें **सामरिक परमाणु हथियार (tactical nuclear weapons)** कहा जाता है।
- भारत के रक्षा बजट में भी वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरुप सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के लिए कम धन आवंटित हो रहा है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि इसे लागू करने के लिए भारत के पास जनशक्ति और युद्ध-सामग्री का अभाव है।
- इससे परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी और परमाणु चोरी और आतंकवाद के खतरों में वृद्धि होगी।

आगे की राह

- भारत के दृष्टिकोण से CSD एक अनुकूल सिद्धांत है, लेकिन चूँकि पाकिस्तान की रणनीति में भारत की पारंपरिक सैन्य श्रेष्ठता का प्रत्युत्तर परमाणु हथियार हैं इसलिए यह सिद्धांत भारत की रणनीतिक स्थिरता पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। भारत की ओर से कोई भी दुस्साहस इस क्षेत्र को परमाणु आपदा की तरफ अग्रसर कर सकता है, इसलिए दोनों परमाणु शक्तियों को संयम बरतने की आवश्यकता है।

VISION IAS

4.4. क्वांटम क्रिप्टोग्राफी

(Quantum Cryptography)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रूसी क्वांटम सेंटर (Russian Quantum Center:RQC) ने कहा है कि यह भारत को बैंकिंग तथा राष्ट्रीय एवं आतंरिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हैक प्रूफ कम्युनिकेशन में अग्रणी बनाने के लिए "क्वांटम क्रिप्टोग्राफी" प्रदान करने के लिए तैयार है।

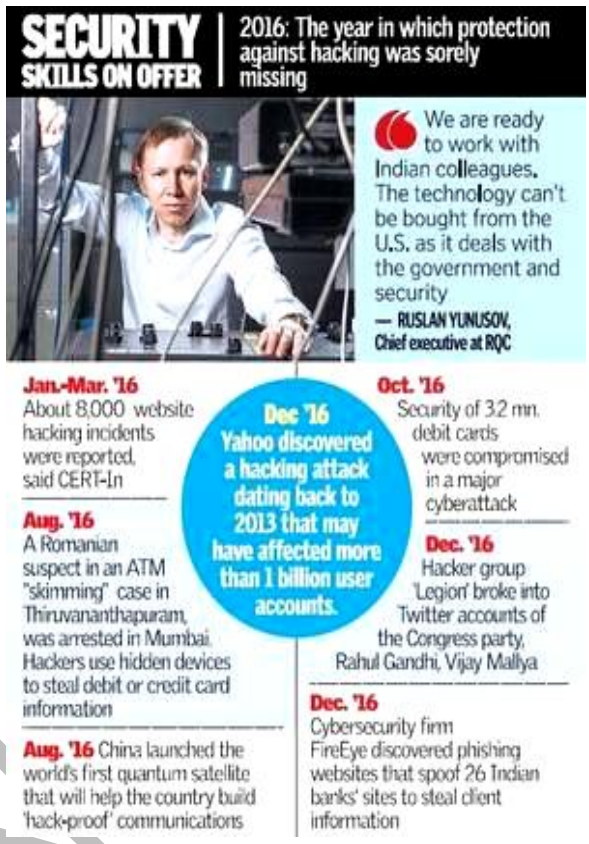

क्रिप्टोग्राफी क्या है?

- यह सूचनाओं या संदेशों की एन्कोडिंग और डिकोडिंग प्रक्रिया है जिससे सूचनाओं या संदेशों को संचार नेटवर्क में सुरक्षित रूप से भेजा जा सके।
- क्रिप्टोग्राफी, 1990 के दशक तक एल्गोरिदम- एक गणितीय प्रक्रिया या कार्यपद्धति, पर आधारित थी।
- इन एल्गोरिदम का प्रयोग कुंजियों (KEYs) के साथ संयोजित रूप में किया जाता है। ये कुंजियाँ बिट्स (आमतौर पर संख्या) का एक संकलन हैं।
- उचित कुंजी के बिना, इन कूट संदेशों को समझना लगभग असंभव है, भले ही कोई यह जानता हो कि कौन-से एल्गोरिदम का प्रयोग करना है।

क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्या है?

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्वांटम भौतिकी का प्रयोग करती है, गणित का नहीं।
- इसमें, ध्रुवीकृत (polarized) फोटॉनों का उपयोग कर कुंजी (key) उत्पन्न की जाती है।
- चूँकि, यह ध्रुवीकृत फोटॉनों (अर्थात फोटॉनों के चक्रण के रूप में कुंजी) का उपयोग करती है अतः गणित की सहायता से इसे तोड़ना (हल निकालना) अत्यंत कठिन होता है।
- यह साइबर हमलों में हुई वृद्धि के मद्देनजर महत्वपूर्ण है।

RQC बारे में

- RQC वैज्ञानिक अनुसंधान प्रायोजित करता है जो प्रौद्योगिकियों के नए वर्ग को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- इनमें बैंकों और सरकारी संगठनों के लिए 'अनब्रेकबल क्रिप्टोग्राफी' का विकास सम्मिलित है।
- अनुसंधान अधिकांशत: सरकारी धन से वित्त पोषित किये जाते हैं।

4.5. INS खंडेरी

(INS Khanderi)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्कॉर्पीन पनडुब्बी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी (INS Khanderi) का मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) में जलावतरण किया गया।
- भारतीय नौसेना में सम्मिलित होने से पहले इसे विभिन्न परीक्षणों से गुजरना होगा।

नई पनडुब्बी की आवश्यकता

- ये पनडुब्बियां दुश्मन के विरुद्ध गुप्त युद्ध संचालित करने में मदद करती हैं और नौसेना को जल के नीचे युद्ध करने की क्षमता प्रदान कर नौसेना की श्रेष्ठता को बनाये रखने में भी मदद करती हैं।
- पुरानी पनडुब्बियों का स्थान ग्रहण करने के लिए भी नई पनडुब्बियों का आधिक्य आवश्यक है।
- पुरानी पनडुब्बियों में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के आलोक में भी यह महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ INS सिंधुरक्षक पर अग्नि दुर्घटना।

पनडुब्बी की विशेषताएं

- कलवरी श्रेणी की ये पनडुब्बियां **उत्कृष्ट स्टील्थ तकनीकी और सुनिश्चित निर्देशित हथियारों (superior stealth and precision guided weapons)** से युक्त हैं।

प्रोजेक्ट 75

- प्रोजेक्ट 75 के तहत, फ्रांसीसी कंपनी DCNS, सार्वजनिक क्षेत्र की मझगांव डॉक्स को 2022 तक छह स्कॉर्पीन डीजल पनडुब्बियां निर्मित करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगी।

VISION

मिशन का महत्व

- खंडेरी, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की छह पनडुब्बियों में दूसरी है। पहली कलवरी थी।
- यह गोपनीय युद्ध करने की हमारी सामरिक क्षमता में वृद्धि करेगी।
- यह हमारे वाणिज्यिक समुद्री मार्गों की रक्षा करेगी।
- इससे हिंद महासागर में भारत की श्रेष्ठता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- इससे पनडुब्बी के निर्माण में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

- INS खंडेरी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों समेत सभी प्रकार के युद्ध क्षेत्रों में संचालित करने के लिए निर्मित किया गया है।
- नौसैनिक कार्यबल के अन्य सभी घटकों से पारस्परिकता/अंतरसंक्रियता सुनिश्चित करने के लिए इसे सभी साधनों और संचार से सुसज्जित किया गया है।
- INS खंडेरी, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, सूचना संग्रहण, बारूदी सुरंग (Mines) बिछाने तथा क्षेत्र- निगरानी जैसे विविध प्रकार के कार्य कर सकती है।
- यह टारपीडो से हमला करने में सक्षम है।

4.6. पिनाका रॉकेट

(Pinaka Rocket)

- हाल ही में, DRDO ने चांदीपुर (ओड़िशा) की एकीकृत परीक्षण रेंज से गाइडेड पिनाका रॉकेट का दूसरा सफल परीक्षण किया।
- गाइडेड पिनाका मार्क-II 70 km की बढ़ी हुयी परास (पहले 40 km) और 50 मीटर की बेहतर सटीकता (पहले 500 मीटर) के साथ पिनाका मार्क- I का उन्नत संस्करण है।
- पिनाका मार्क- II को अनुसंधान केंद्र इमारत (Research Centre Imarat: RCI), हैदराबाद द्वारा विकसित नेविगेशन, मार्गदर्शन (गाइडेंस) और नियंत्रण किट से सुसज्जित कर गाइडेड संस्करण में परिवर्तित कर दिया गया है। पिनाका मार्क-I गाइडेड नहीं थी।
- इसे पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना (Armament Research & Development Establishment:ARDE), RCI और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (Defence Research and Development Laboratory:DRDL), हैदराबाद द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
- पिनाका- I के समान ही पिनाका- II को भी मल्टी बैरल रॉकेट लांचर से प्रक्षेपित किया जाता है जोकि 44 सेकंड के भीतर विस्फोटकों से भरे हुए 12 रॉकेट्स प्रक्षेपित कर सकता है और एक बार में 4 वर्ग किलोमीटर के लक्ष्य क्षेत्र को नष्ट कर सकता है।
- इस सफल परीक्षण ने अनगाइडेड(अनिर्देशित) हथियारों को गाइडेड (निर्देशित) हथियारों में परिवर्तित करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित किया है।

4.7. रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया: प्रमुख मुद्दे

(Make in India in Defence: Issues)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वदेशी रक्षा विनिर्माण के लिए निजी भारतीय कंपनियों का चयन करने हेतु रणनीतिक साझेदारी (strategic partnership:SP) मॉडल को अंतिम रूप नहीं देने के कारण रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाएँ लंबित हैं।

लंबित परियोजनाएँ

- नौसेना के पनडुब्बी बेड़े में अविलम्ब प्रतिस्थापन (urgent replacements) के लिए परियोजना P-75 के तहत पनडुब्बियों का निर्माण।
- 36 राफेल लड़ाकू विमानों के अनुपूरक के तौर पर मध्यम वजन वर्ग वाले युद्धक विमानों का विनिर्माण। तीन विदेशी कंपनियाँ, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और साब अपने युद्धक विमान F-16, F-18 और ग्रिपेन (Gripen) का भारत में निर्माण करना चाहती हैं परन्तु SP मॉडल को अंतिम रूप देने की प्रतीक्षा में हैं।
- नौसैन्य उपयोगिता वाले हेलीकाप्टर का निर्माण भी भारतीय विनिर्माताओं पर निर्णय की प्रतीक्षा में हैं।

पृष्ठभूमि

- मार्च 2016 में जारी रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) में SP मॉडल के तहत निजी भारतीय रक्षा कंपनियों के चयन हेतु मानदंडों की सूची सम्मिलित नहीं थी।
- SP मॉडल सर्वप्रथम **धीरेन्द्र सिंह समिति** द्वारा परिकल्पित किया गया था जिसमें यह प्रस्तावित किया गया कि एक विशेष सैन्य मंच (प्लेटफ़ॉर्म) की सभी आवश्यकताओं के लिए सुनिश्चित अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) किसी चयनित विशेष निजी फ़र्म को दिए जाएंगे।
- इसका तात्पर्य यह है कि भारत में अगले 20 वर्षों के लिए सभी पनडुब्बियों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक कंपनी को जबकि सभी विमान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी दूसरी कंपनी को मिल सकता है।

SP मॉडल को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण

- मंत्रालय की अधिग्रहण विंग, प्रतिस्पर्धी निविदा (bidding) के माध्यम से मूल्य निर्धारण हेतु अनुमति देने के लिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए दो या दो से अधिक कंपनियों को रणनीतिक साझेदार के रूप में चयनित करना चाहती है।
- जबकि रक्षा विभाग SP मॉडल के पक्ष में है और कीमत का निर्धारण कॉस्ट प्लस मॉडल (cost-plus model) पर चाहता है।
- प्रस्तावित कॉस्ट प्लस मॉडल का रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाइयों द्वारा भी परित्याग कर दिया गया है, चूंकि इस मॉडल के कारण स्वदेश-निर्मित उपकरणों की लागत में अत्यधिक वृद्धि देखी गयी थी।
- समझौतों की कुल राशि 1000 करोड़ रुपये से अधिक होगी जोकि मंत्रालय की शक्तियों से परे है और इसे अनुमोदन के लिए रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के पास भेजना पड़ेगा, जो प्रतिस्पर्धी निविदा पर जोर दे सकती है।
- SP मॉडल को निविदा खोने वाली कंपनियों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

आगे की राह

- विश्व के तीसरे सबसे बड़े सशस्त्र बल वाले देश की आत्म-निर्भरता के लिए इस क्षेत्रक (sector) का स्वदेशीकरण महत्वपूर्ण है।
- इसके अलावा, इस क्षेत्रक में विनिर्माण को बढ़ावा देने और एक लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता है।
- रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विंगों और उद्योगों द्वारा उठाए गए मुद्दों का सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए, सौहार्दपूर्ण ढंग से हल निकाला जाना चाहिए।

4.8. सैन्य सलाहकार का नया पद

(New Post of Military Adviser)

- लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकटकर पैनल ने सैन्य सलाहकार के एक नए पद के सृजन की अनुसंशा की है जोकि फोर स्टार रैंक(four star rank); अर्थात् सेना, नौसेना और वायु सेना के मौजूदा प्रमुखों की रैंक के बराबर का पद होगा।
- रिपोर्ट के अनुसार, नए सृजित पद को या तो चीफ ऑफ़ डिफेन्स स्टाफ़ (CDS) या परमानेंट चेयरमैन चीफ्स ऑफ़ स्टाफ़ कमिटी (PC-COSC); कहा जाएगा। यह वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों में सशस्त्र बलों के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है।
- भारत के सशस्त्र बलों का कार्य देश की रक्षा करना और पडोसी देशों को स्थिर रखना है तथा रिपोर्ट के अनुसार उनकी मुख्य प्राथमिकता "पाकिस्तान की युद्धक स्थायीत्व (combat endurance), युद्धक सामर्थ्य (combat capability), युद्धक संभाव्यता (combat potential) और युद्धक शक्ति (combat capacity) को निम्नीकृत करना है"।

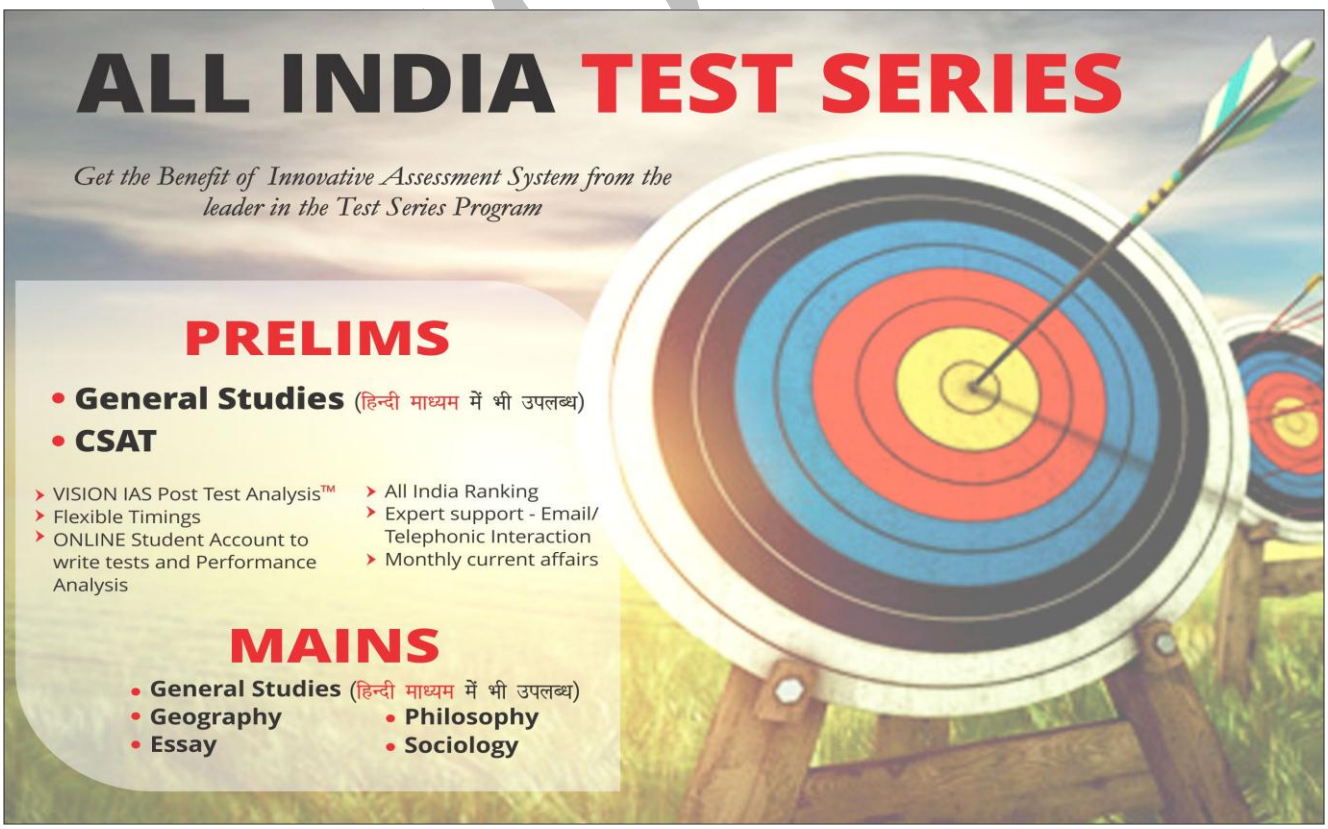

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1 क्योटो प्रोटोकोल

(Kyoto Protocol)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर क्योटो प्रोटोकॉल की दूसरी प्रतिबद्धता अवधि (2013-2020) के अनुसमर्थन को अनुमोदन प्रदान किया है।

क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में

- क्योटो प्रोटोकॉल, 11 दिसंबर 1997 को क्योटो, जापान में स्वीकार किया गया था तथा इसे 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया।
- 2001 में, COP 7 मार्रकिश, मोरक्को में प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम अपनाए गए तथा जिन्हें **"मार्रकिश समझौते"** के रूप में जाना जाता है। इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से प्रारंभ होकर 2012 में समाप्त हुई।
- यह प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत विकसित किया गया था।
- इसमें भाग लेने वाले देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि की है तथा ये देश मीथेन (CH4), नाइट्रस ऑक्साइड (N2O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बस (HFCs), परफ्लोरोकार्बस (PFCs), सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करने के लिए प्रतिबद्ध है।

क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज का वर्गीकरण

- **एनेक्स I**: UNFCCC के तहत पार्टीज, जो कन्वेंशन के एनेक्स I में सूचीबद्ध हैं। इनमें औद्योगिकृत (विकसित) देश तथा "संक्रमण काल से गुजरने वाली अर्थव्यवस्थायें" (EITs) सम्मिलित हैं। पूर्व केन्द्रीय रूप से नियोजित रूस (सोवियत) और पूर्वी यूरोप की अर्थव्यवस्थायें EITs हैं। यूरोपीय संघ-15 (EU-15) भी एक एनेक्स I में पार्टी है।
- **एनेक्स II**: UNFCCC के तहत पार्टीज, जो कन्वेंशन के एनेक्स II में सूचीबद्ध हैं। एनेक्स II पार्टीज में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के सदस्य सम्मिलित हैं। एनेक्स II पार्टीज से विकासशील देशों को उनके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जलवायु परिवर्तन को कम करने) को कम करने और जलवायु परिवर्तन (जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन) के प्रभावों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाने हेतु वित्तीय संसाधन प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- **एनेक्स B**: क्योटो प्रोटोकॉल के एनेक्स B में सूचीबद्ध पार्टीज, एनेक्स I पार्टीज हैं जिन्हें पहले या दूसरे दौर के क्योटो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य प्रदान किए गए हैं।
- **नॉन-एनेक्स I**: UNFCCC के तहत वे पार्टीज, जो इस कन्वेंशन के एनेक्स I पार्टीज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ये अधिकांशत: निम्न आय वाले विकासशील देश हैं। पर्याप्त रूप से विकसित होने पर विकासशील देश स्वेच्छा से **एनेक्स I** में सम्मिलित हो सकते हैं।
- **अल्प-विकसित देश (LDCs)**: 49 पार्टीज LDCs हैं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन में इनकी सीमित क्षमता के कारण संधि के तहत इन्हें विशेष दर्जा दिया गया है।

हरित निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु तंत्र

- **उत्सर्जन व्यापार**: उत्सर्जन व्यापार-तंत्र, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पार्टीज को उनके घरेलू उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने हेतु अन्य देशों से 'क्योटो यूनिट्स' (ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्सर्जन परमिट) खरीदने की अनुमति प्रदान करता है।
- **स्वच्छ विकास तंत्र (CDM)**: देश, क्योटो प्रोटोकॉल के **नॉन एनेक्स I** देशों से (परियोजना में) ग्रीनहाउस गैस रिडक्शन यूनिट्स को खरीदकर उनके घरेलू उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं।
- **संयुक्त कार्यान्वयन**: कोई भी देश घरेलू स्तर पर उत्सर्जन को कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में किसी **अन्य एनेक्स I** देश में उत्सर्जन में कमी करने वाली परियोजनाओं (जिन्हें "संयुक्त कार्यान्वयन परियोजना" कहा जाता है) में निवेश कर सकता है।

भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए उठाये गए कदम:

- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)**: भारत सरकार द्वारा NAPCC के भाग के रूप में विशिष्ट क्षेत्रों में **आठ मिशन** आरम्भ किए गए, जिनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु आवश्यक कार्रवाईयां शामिल हैं।

✓ राष्ट्रीय सौर मिशन
✓ राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन
✓ राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन
✓ राष्ट्रीय जल मिशन
✓ राष्ट्रीय हिमालयी पारितंत्र परिरक्षण मिशन

VISION IAS

- ✓ राष्ट्रीय 'हरित भारत' मिशन
- ✓ राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन
- ✓ राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन

- **मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह योजना, भू-क्षरण के मूल्यांकन और मानचित्रण, सूखा निगरानी एवं पूर्व चेतावनी प्रणाली, सूखा प्रबंधन योजना (ड्राउट प्रीपेरड्नस प्लैन) तथा स्वदेशी प्रौद्योगिकी आदि के विकास के लिए खेतों पर कृषि अनुसंधान जैसी गतिविधियों को आरंभ करने के लिए प्रस्तावित की गयी है।

5.2 ओलिव रिडले

(Olive Ridley)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले एक महीने में काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) के तट के नजदीक स्थित होप आइलैंड के तट पर मृत पाए गए 54 ओलिव रिडले कछुए यह संकेत करते हैं, कि इस वर्ष उनका प्रजनन काल गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।

इनकी आबादी क्यों घट रही है?

- मत्स्यन हेतु प्रयुक्त यंत्रचालित नाव (मेकनाइस्ड फिशिंग बोट) का अनियंत्रित और गैर-जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग जिसके नीचे कछुए फँस कर कुचल दिए जाते हैं।
- मत्स्य विभाग द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद, संभवतः जागरूकता की कमी के कारण नाव के मालिक अभी भी कछुओं को जाल से निकलने में मदद करने वाले टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (TED) का उपयोग करने हेतु तैयार नहीं हैं।
- सीधे वयस्क कछुओं एवं इनके अण्डों का संग्रहण इनकी घटती आबादी में योगदान करती हैं।
- एक अन्य प्रमुख कारण खुले बाजार में TED की अनुपलब्धता है।

ओलिव रिडले कछुए के बारे में

- ये समुद्री कछुओं की सभी प्रजातियों में सबसे छोटे होते हैं तथा सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं।
- यह नाम इनकी हृदयाकार कवच के ओलिव ग्रीन रंग के होने के कारण प्राप्त हुआ है।
- ये केवल दक्षिणी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर सहित अपेक्षाकृत गर्म जल में पाए जाते हैं।
- ये **समकालिक सामूहिक बसेरे (arribadas)** के लिए जाने जाते हैं, इस समयावधि के दौरान कुछ ही दिनों के अंतराल में अत्यधिक संख्या में (हजारों हजार की संख्या में) मादा कछुए बसेरा बनाने के लिए तट पर आते हैं।
- ओडिशा के **भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य में स्थित गहिरमाथा**, इन कछुओं द्वारा व्यापक पैमाने पर समुहात्मक बसेरा बनाए जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्थान है।
- पिछले कुछ वर्षों में **आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के होप आइलैंड** के रेतीले विस्तार भी इन कछुओं की प्रजनन भूमि के रूप में उभरे हैं।
- इनका प्रजनन काल अक्टूबर से फरवरी के मध्य होता है, जिसमें मादा कछुए द्वारा एक समय में 100-150 अंडे दिए जा सकते हैं।
- उच्च आबादी के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में इनकी संख्या में काफी गिरावट आई है। इन्हें **IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल** के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में अनुसूची I प्रजाति** के रूप में सूचीबद्ध है, और इस प्रकार इनके अधिकतम संरक्षण के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

5.3 हिरण के सींग

(Deer Antlers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केरल ने केंद्र सरकार से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन कर आयुर्वेदिक दवाओं में चीतल (**Spotted deer**) एवं सांभर हिरण के सींग का उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान करने की अनुमति मांगी है।
- सींग, हिरण की खोपड़ी का विस्तार है तथा केरल में पाई जाने वाली सभी तीन हिरण की प्रजाति चीतल (**Spotted deer**), सांभर (**Sambhar deer**) बार्किंग डियर प्रतिवर्ष अपने सींग निकाल देती हैं, जो अपनेआप पुन: विकसित हो जाते हैं।
- राज्य सरकारों और अन्य वन्य जीवन प्राधिकरणों के संरक्षण में बहुत अधिक संख्या में सींग विद्यमान है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत भारत में उनकी बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

VISION IAS

- हालांकि इस प्रस्ताव में केवल हिरणों द्वारा परित्यक्त सींगों का संग्रहण ही सम्मिलित है, परन्तु इस प्रस्ताव से हिरणों के शिकार में अनियंत्रित वृद्धि हो सकती है।

कुछ अतिरिक्त सूचना

- 1972 के अधिनियम में **वन्यजीव ट्रॉफी** की परिभाषा में सींग को सम्मिलित किया गया है, जो "किसी बंदी पशु या वन्यजीवों के पूरे शरीर या उनके किसी भी भाग" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **ट्रॉफी हंटिंग** (Trophy hunting), मनोरंजन के लिए जीवों का शिकार करना, जहां ट्रॉफी जीव/जंतु (या उसका सिर, त्वचा, सींग या शरीर का कोई अन्य अंग) होता है जिसे शिकारी एक स्मृति चिन्ह के रूप में रखता है।
- वन्यजीव और वन्यजीव ट्रॉफियां को सरकार के स्वामित्व के अंतर्गत माना जाता है।
- इस अधिनियम के तहत वन्यजीव ट्रॉफियों से जुड़े अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद और 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ।
- सींग में प्लीहा/तिल्ली (spleen) को मज़बूत बनाने, हड्डियों /मांसपेशियों की मजबूती, रक्त प्रवाह में वृद्धि करने जैसे औषधीय गुण निहित हैं।

5.4 हक्की हब्बा

(Hakki Habba)

- यह तीन दिवसीय बर्ड फेस्टिवल, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में विश्व प्रसिद्ध हम्पी के निकट स्थित **दारोजी स्लॉथ बीयर अभयारण्य** में आयोजित किया गया।
- इस फेस्टिवल का **तीसरा संस्करण** संयुक्त रूप से राज्य के वन विभाग और पारिस्थितिकी पर्यटन बोर्ड के साथ स्थानीय बर्ड वाचर्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया था।

स्लॉथ बीयर

- इंडियन स्लॉथ बीयर, भालू की एक प्रजाति है, जो केवल भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं।
- ये **निशाचर** जीव हैं, जो स्थानीय स्तर पर **कराडी** (**KARADI**) के नाम से जाने जाते हैं, खुली झाड़ियों वाले वनों के चट्टान, पत्थर और गुफाएं इनके आश्रय स्थल हैं।
- इनकी दृष्टि और श्रवण क्षमता कम होती है लेकिन इन्हें गंध की अच्छी समझ होती है।
- 1994 में स्थापित दारोजी अभयारण्य **एशिया में सबसे बड़ा स्लॉथ बीयर अभयारण्य** है।
- वर्तमान स्थिति: **IUCN रेड लिस्ट- वल्नरेबल**, CITES के **परिशिष्ट I** और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की **अनुसूची I** में शामिल है।

- इस फेस्टिवल के पहले दो संस्करण, रंगाथिट्टु पक्षी विहार, मांड्या जिले और काली बाघ अभ्यारण्य, उत्तर कन्नड़ जिले में आयोजित किये गए।
- इस समारोह का उद्देश्य पक्षियों के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, **बार-हेडेड गीस, तीतर/चकोर (Partridges), पेंटेड सैंड ग्राउस (Painted Sand grouses), येलो थ्रोटिड बुलबुल, ग्रेट हॉर्न्ड आउल, ब्लैक स्टॉर्क** जैसे पक्षी हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे देखे गए।

5.5 जिंजीबर स्यूडोस्क्वेयरसम

(Zingiber Pseudosquarrosum)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) के वनस्पति वैज्ञानिकों ने **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** में **अदरक की एक नई प्रजाति** की खोज की है।
- यह **जिंजीबर प्रजाति** से सम्बद्ध है और इसके औषधीय गुणों के कारण अंडमान के स्थानीय, विशेष रूप से अतिसंवेदनशील जनजातीय समूह (Vulnerable Tribal Groups: PVTGs) द्वारा उपयोग में लिया जाता है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

1890 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य, देश के पादप संसाधनों की खोज और पादप प्रजातियों के आर्थिक गुणों की पहचान करना हैं।

इसके गुण

- अन्य अदरक की तरह यह भी खाद्य है और इस प्रजाति का **आभासी तना** (**pseudo stem**) लाल रंग का होता है।
- इसके **एकबीजपत्री** (monocotyledonous) फूल कमल फूल के आकार का एवं लाल रंग के होते हैं, फल कुम्भाकार (pot shaped) होते हैं, जबकि पुष्पक्रम कलियां सुराही (pitcher) के समान होती हैं।

- इस विशेष प्रजाति में कंदिल (ट्युबरस) जड़ें पायी जाती हैं और कलियों में कोई सुगंध नहीं होती है।
- इसकी मांसल ट्युबरस जड़ों के रस का प्रयोग उदर संबंधी विकारों के उपचार हेतु किया जाता है।
- इसकी गाँठयुक्त जड़ें व्यापक रूप से मसाले या पारंपरिक औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं।
- इस प्रजाति का अनोखा आकार इसे जिंजीबर प्रजाति के अन्य सदस्यों से अलग बनाता है।
- अदरक की सबसे आम प्रजाति, जिंजीबर ओफिसिनल (Zingiber officinale) अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है तथा सम्पूर्ण भारत में व्यापक रूप से उपजाए जाते हैं।

5.6. इडुक्की वन्य जीव अभ्यारण्य

(Idukki Wildlife Santuary)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य (केरल) में पक्षियों और तितली का सर्वेक्षण किया गया।

इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- **वन प्रकार:**
  - ✓ पश्चिमी तटीय उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन,
  - ✓ अर्ध सदाबहार वन,
  - ✓ आर्द्र पर्णपाती वन,
  - ✓ पर्वतीय शोलास वन और घास भूमि।
- **औसत वर्षा** 3800mm है तथा सर्वोच्च चोटी वंजुर मेदु {Vanjur Medu (1272m)} है।
- **जैव विविधता**: यहाँ पाए जाने वाले सामान्य जंतु हैं - हाथी, सांभर, बार्किंग डीयर, माउस डीयर, बोनेट मकाक, नीलगिरि लंगूर, मालाबार विशाल गिलहरी।
- **पक्षी**: ओस्प्रे (फिश ईगल) जो IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रे-हेडेड बुलबुल आदि।
- यह मारिजुआना- विश्व प्रसिद्ध "इडुक्की गोल्ड" या "केरल गोल्ड" की अवैध कृषि के लिए भी कुख्यात है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

- अभयारण्य में हाल ही में देखे गए पक्षी- स्कैली थ्रश, बूटेड वार्बलर, पैडीफील्ड वार्बलर, ब्लू रॉकहिल आदि हैं।
- कभी-कभार दिखाई देने वाली हाल ही में देखी गयी तितली प्रजाति - मालाबार हेगड़े हूपर, मालाबार ट्री निम्फ आदि हैं।
- यह प्रवासी पक्षियों का पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है, क्योंकि यह इडुक्की आर्क डैम/बांध के निकट स्थित है।
- 555 फीट ऊँचा इडुक्की आर्क डैम एशिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है।

5.7. चीन द्वारा हांथी दांत के व्यापार पर प्रतिबंध

(China Bans Ivory Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- चीन ने 2017 के अंत तक हाथी दांत के व्यापार एवं प्रसंस्करण से सम्बंधित सभी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध की घोषणा की है। इस कदम को वन्य जीवन संरक्षणवादियों द्वारा एक **"संभावित गेम चेंजर"** के रूप में देखा जा रहा है।
- नए नियम के अनुसार, हांथी दांत उत्पादों के मालिक उन्हें तोहफे के रूप में दे सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं, या उन्हें आधिकारिक मंजूरी के साथ निगरानी में नीलाम कर सकते हैं।
- यह कदम पिछले अक्टूबर दक्षिण अफ्रीका में घरेलू हाथी दांत के बाजारों को बंद करने के लिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डैन्जर्ड स्पीशीज (CITES) में जारी संकल्प से प्रेरित है।

वर्तमान स्थिति

- हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाथी दांत के व्यापार पर 1989 के बाद से ही प्रतिबंध है, किन्तु यह व्यापार विश्व भर के कई देशों के घरेलू वैधानिक बाजारों में आज भी जारी हैं।
- ग्रेट एलीफैंट सेन्सस, 2016 के अनुसार, विगत 7 वर्षों में अफ्रीकी हाथियों की संख्या में 30% की गिरावट आयी है। वर्तमान में अवैध शिकार के कारण वनों में केवल 415000 हाथी ही बचे हैं।

- चीन विश्व में सबसे बड़ा हाथी दांत का बाजार है- कुछ अनुमानों के अनुसार विश्व व्यापार का 70% चीन में संपन्न होता है। यहाँ इसे एक प्रतिष्ठा सूचक वस्तु के तौर पर देखा जाता है और इसका मूल्य $ 1100 तक भी पहुँच जाता है।
- संरक्षणवादियों का अनुमान है कि पूर्व के वर्षों की भांति ही पिछले वर्ष 20,000-30,000 से भी अधिक हाथी, दांतों के लिए मारे गए थे।

प्रभाव

- इस प्रकार की अति महत्वाकांक्षी समयसीमा, विश्व के सबसे बड़े घरेलू हाथी दांत बाज़ार को स्थायी रूप से बंद करने हेतु वैश्विक तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे संरक्षण प्रयासों को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।
- यह हांथी दांत के तस्करों के लिए उनके अवैध भण्डार की बिक्री को कठिन कर देगा।
- इस तरह के प्रतिबंध ब्रिटेन, जापान और विशेष रूप से पड़ोसी हांगकांग (हाथी दांत के लिए विश्व का सबसे बड़ा वैध खुदरा बाजार) जैसे देशों पर अपने हाथी दांत बाजारों को बंद करने के लिए दबाव डालेंगे।

5.8. आइस शेल्फ लार्सन सी आइस में दरार की लम्बाई में वृद्धि

(Larsen C Iceshelf Poised to Calve)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

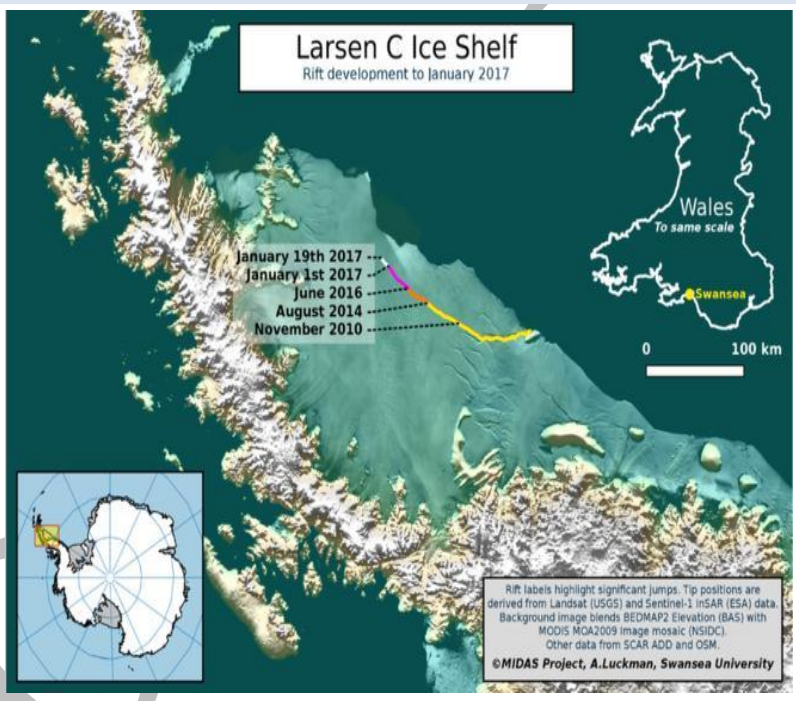

- अंटार्कटिक प्रायद्वीप पर स्थित लार्सन सी आइस शेल्फ में एक विशाल दरार उत्पन्न हो गया था, जिसमें पिछले कुछ महीनों में अत्यधिक वृद्धि देखी गई है और वर्तमान में यह भ्रंश बढ़कर 175 किमी लंबा हो चुका है।
- प्रोजेक्ट MIDAS के एक भाग के रूप में इस भ्रंश की निगरानी करने वाले ब्रिटिश शोधकर्ताओं का कहना है, कि अब केवल 12 मील (19 किलोमीटर) लंबा भाग इस आइसशेल्फ को मूल आइस शेल्फ से जोड़ता है।
- यदि भ्रंश का पूर्ण विस्तार होता है, तो परिणामी हिमखंड लगभग 5000 वर्ग किमी का होगा जो अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा हिमखंड होगा।
- हालांकि हिमखंड निर्माण की प्रक्रिया का सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने हेतु आवश्यक विश्वसनीय साक्ष्यों का अभाव है, किन्तु इससे यह प्रदर्शित होता है कि जलवायु परिवर्तन ही आइस शेल्फ के पतले होने का कारण है।

प्रभाव

- यदि यह हिमखंड अलग हो जाता है, तो लार्सन सी आइस शेल्फ अंटार्कटिक प्रायद्वीप के भूदृश्य को परिवर्तित करते हुए अब तक दर्ज की गई स्थिति की तुलना में सर्वाधिक विस्थापन की स्थिति (most retreated position) में होगा।
- नया विन्यास, दरार से पहले की तुलना में कम स्थिर होगा तथा इसका अंतिम परिणाम भी पड़ोसी आइसशेल्फ लार्सन A (1995 में ध्वस्त) और लार्सन B (2002 में ध्वस्त) के समान हो सकता है।
- लैंड आइस, जो विच्छेदित हिमखंड द्वारा अवरुद्ध कर दी गई हैं, अंततः समुद्र में गिर कर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि करती है।

आइसशेल्फ

- यह भूमि आधारित ग्लेशियरों का ही प्लावी विस्तार (floating extension) है, जो समुद्र में प्रवाहित होते हैं।
- चूंकि ये पहले से ही समुद्र में प्रवाहमान हैं, अतः इनके पिघलने से समुद्र का स्तर प्रत्यक्ष रूप से नहीं बढ़ता।
- आइस शेल्फ का टूटना एक **प्राकृतिक प्रक्रिया** है, किन्तु ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग ने इस प्रक्रिया को त्वरित कर दिया है।
- हाल के दशकों में कई प्रमुख आइसशेल्फ या तो विघटित हो चुके हैं या अपना एक बड़ा आयतन खो चुके हैं जैसे **प्रिंस गुस्टाव चैनल, लार्सन इनलेट, वर्डी, मुलर, जोन्स चैनल, विल्किंस, लार्सन A, लार्सन B** आदि।

5.9. विदेशी जीवों के चमड़े के आयात पर प्रतिबंध

(Ban On Import of Exotic Animals Skin)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- विदेश व्यापार महानिदेशक ने सरीसृप और मिंक (minks), लोमड़ियों और चिन्चिला जैसे जीवों के चमड़े और फर के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

वर्तमान स्थिति

- भारत की आयात नीति लोमड़ी, मिंक एवं सरीसृप आदि की अपरिष्कृत खाल, त्वचा, चमड़े, फर के आयात की अनुमति देती है।
- लेकिन वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डैन्जर्ड स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड फौना एंड फ्लौरा (CITES) के तहत नियंत्रणाधीन हैं।

विदेश व्यापार महानिदेशक:

- यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
- यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
- यह दूसरे देशों के साथ व्यापार संबंधों को विकसित करने में भूमिका निभाता है।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 केवल निर्वाह के लिए पशुओं के वध की अनुमति देता है, किन्तु यह रियायत भी पशुओं के दर्द और पीड़ा को कम करने हेतु विनियमित की जाती है।

आगे की राह

- विभिन्न राष्ट्र नकली सांप, नकली मगरमच्छ, अशुद्ध फर आदि जैसे क्रूरता से मुक्त विकल्प हेतु अपनी नीतियों में बदलाव कर रहे हैं ताकि पशुओं को अपनी फर युक्त त्वचा, खाल और चमड़ा उद्योगों के लिए मारने की आवश्यकता न हो।
- साथ ही पशु वस्त्र के समान नहीं हैं और इस प्रकार उनकी त्वचा/फर पहनने के पक्ष में कोई भी तर्क पर्याप्त नहीं हो सकता है।
- इस प्रतिबंध के साथ भारत ने पशुओं के लिए अनावश्यक दर्द और पीड़ा को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।

CITES के विषय में (1975 से लागू, इसे वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है)

- यह सरकारों के बीच किया गया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वन्य जीवों एवं पौधों की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा नहीं हो।
- यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रजातियों के समूह को परिशिष्टों में वर्गीकृत किया जाता है।
- **परिशिष्ट I:** इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन पर विलुप्त होने का खतरा है, केवल असाधारण स्थिति में व्यापार ; **परिशिष्ट II:** इसमें वे प्रजातियाँ सम्मिलित हैं जिन पर विलुप्ति का खतरा नहीं है , इनका व्यापार सख्ती से विनियमित; **परिशिष्ट III:** इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जो कम से कम किसी एक देश के द्वारा संरक्षित की गयी है और उस देश ने CITES के अन्य देशों को उन प्रजातियों के व्यापार को नियंत्रित करने में सहायता हेतु अनुरोध किया है।

5.10. पोलाचिरा आर्द्रभूमि

(Polachira Wetlands)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केरल के कोल्लम जिले में स्थित पोलाचिरा आद्रभूमि में 27वीं वार्षिक जलीय पक्षी गणना आयोजित की गयी।
- इस वर्ष 15 यूरेशियाई स्पूनबिल पोलाचिरा में देखे गए। ये प्रवासी पक्षी हैं जिनका प्रजनन क्षेत्र पश्चिम में ब्रिटेन एवं स्पेन से लेकर पूर्व में जापान तक है।
- आर्द्रभूमि वे क्षेत्र हैं जहां पर्यावरण और उससे सम्बद्ध वनस्पतियों और जीवों को नियंत्रित करने के लिए जल प्राथमिक कारक होता है।
- इन क्षेत्रों में मृदा या तो जल द्वारा आच्छादित होती है या पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूल मौसम (growing season) सहित वर्ष भर या वर्ष की अलग-अलग अवधियों में जल, मृदा-सतह पर अथवा उसके निकट विद्यमान रहता है।
- प्राकृतिक और मानव निर्मित मीठे या खारे जल की आर्द्रभूमियां कई पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करती हैं।
- आर्द्रभूमि के एक विशेष क्षेत्र में पक्षियों का घनत्व उस आर्द्रभूमि के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य (इकोलॉजिकल हेल्थ) का संकेतक हो सकता है।

रामसर सम्मलेन

- यह आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग हेतु अंतरराष्ट्रीय संधि है।
- इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया, जहां 1971 में आयोजित सम्मलेन में उपर्युक्त संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूमियों के रूप में 26 रामसर स्थल नामित किये गए हैं।
- उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ चिल्का झील (ओडिशा), प्वाइंट केलिमर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु), सांभर झील (राजस्थान) और ऊपरी गंगा नदी (उत्तर प्रदेश) हैं।
- प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पोलाचिरा आर्द्रभूमि के विषय में

- यह आर्द्रभूमि विश्व भर के प्रवासी पक्षियों हेतु प्रजनन स्थल है।

- गणना के दौरान देखे गए कुछ पक्षियों में कॉम्ब डक्स, ब्लेक हेडेड आइबस, पेंटेड स्टॉर्क्स, ग्लॉसी आइबस, इंडियन मुरहेन, यूरेशियन कूट, फेज़न्ट-टेल्ड शासना (Pheasant-tailed jacana), ग्रे हेरॉन, लार्ज कॉर्मरन्ट और लार्ज इग्रेट शामिल है।

आर्द्रभूमियों का महत्व

- यह मृदा के संतुलन और अवसादन में, जल को प्रदूषण मुक्त करने में , कार्बन चक्र और पोषक तत्वों के चक्र में सहायक होती है।
- यह वर्षा से प्राप्त अधिक जल की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है तथा बाढ़ के समय जल को अवशोषित कर लेता है और बाद में जरूरत के समय में इस्तेमाल किया जा सकता है।
- यह मत्स्यन और चावल की कृषि से लेकर यात्रा करने, पर्यटन और जल प्रबंधन के माध्यम से आजीविका का स्रोत प्रदान करती हैं।
- आर्द्रभूमियां व्यापक स्तर पर विभिन्न प्रकार के जीवों के आश्रय स्थल हैं, समुद्री तटरेखा की रक्षा करती हैं, नदी में बाढ़ के विरुद्ध प्राकृतिक अवशोषक और कार्बन डाइऑक्साइड का भण्डारण करके जलवायु परिवर्तन को विनियमित करने का भी कार्य करती हैं।
- ये वन्य जीवन और प्रवासी पक्षियों को निवास स्थान प्रदान करती है और पर्यावरण संरक्षण में मदद करती हैं।

5.11. खनन दुर्घटनाएं

(Mining Accidents)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिसंबर 2016 में, झारखंड के गोड्डा जिले के **ललमटिया ओपन कास्ट कोयला खदान** में 23 श्रमिक मलबे के नीचे दब गए।

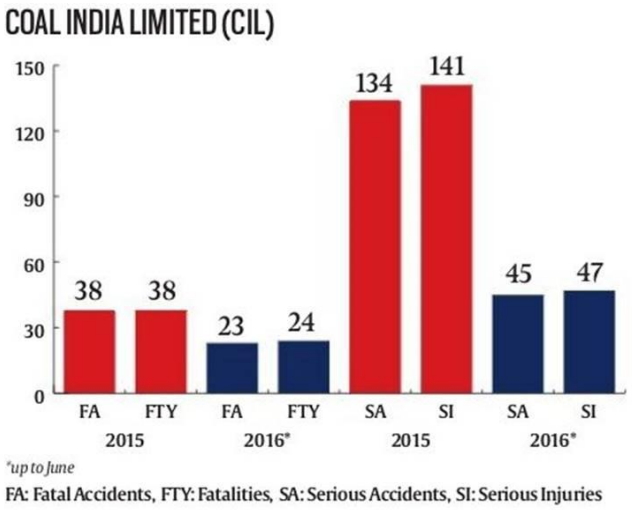

पृष्ठभूमि

- अपनी विद्युत् आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खदानों से कोयले की अत्यधिक खुदाई भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता बन गयी है।
- शिप ब्रेकिंग (ship breaking) के साथ ही, खनन को भारत में सबसे खतरनाक पेशा माना जाता है।
- NHRC की 2014 की रिपोर्ट, "व्यूज ऑन माइन सेफ्टी इन इंडिया (Views on Mine Safety in India)" के अनुसार:

✓ हाल के वर्षों में घटनाओं की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

✓ 2016 में प्रत्येक सात दिन में एक दुर्घटना अवश्य हुई है।

ऐसी दुर्घटनाओं के कारण

- श्रमिकों के लिए खराब सुरक्षा स्थितियां।
- मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का पालन नहीं किया जाना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपना कार्य निजी कंपनियों को आउटसोर्स करते हैं। ये निजी कंपनियाँ नियमों और शर्तों का अनुपालन नहीं करतीं हैं। उदाहरण के लिए:

✓ कोयले की धूल को उड़ने से रोकने के लिए ओपन कास्ट खदानों पर जल का छिडकाव सामान्यतः नहीं किया जाता है।

✓ ट्रकों को तिरपाल की चादरों से ढका नहीं जाता है।

- कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के लागू होने के बावजूद भी यह स्थिति विद्यमान है। इस अधिनियम द्वारा निजी क्षेत्र, जिन पर सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रिया की उपेक्षा करने का आरोप लगाया जाता था, का राष्ट्रीयकरण किया गया।
- विस्फोटकों का असावधानीपूर्वक उपयोग।

खनन उद्योग से सम्बद्ध अन्य मुद्दे

- पर्यावरणीय निम्नीकरण
- स्थानीय निवासियों और उनमें भी अधिकांशत: आदिवासियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन। उदाहरण के लिए विस्थापन को लेकर आदिवासियों में निरंतर भय की स्थिति।
- स्थानीय लोगों के विरोध को दरकिनार करने के लिए क्षेत्र के बाहर से संविदा मजदूरों की भर्ती।
- श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। बाल श्रमिक को रोजगार प्रदान करना।
- खनिज अन्वेषण हेतु स्वीकृत परियोजनाओं में अनियंत्रित भ्रष्टाचार।
- भू-स्वामियों और माफियाओं द्वारा अवैध खनन।
- खनन क्षेत्र, विशेष रूप से कोयला खनन क्षेत्र, माओवादी क्षेत्रों के पास स्थित हैं जिससे उनकी सुरक्षा लागत काफी बढ़ जाती है।

व्यावसायिक जोखिम

व्यावसायिक जोखिम एक श्रमिक के पेशे के कारण उसे होने वाला खतरा है। खतरे में रोगों से लेकर मृत्यु तक शामिल हैं। उदाहरण के लिए:

- पत्थर तोड़ने के उद्योग में फेफड़ों में सिलिका के जमा होने से सिलिकोसिस।
- ऊंचे पहाड़ों पर तैनात सैनिकों को फ्रॉस्टबाईट।

खनन सुरक्षा पर सरकार की पहल

- खान अधिनियम, 1952 में खदानों में श्रमिकों के स्वास्थ्य की रक्षा और श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है।
- प्रमुख घटनाओं की जांच तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा की जाती है।
- इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रूट कॉज एनालिसिस और लेसंस लर्न्ट रिपोर्ट तेल कंपनियों के साथ साझा की जाती हैं।
- खान मंत्रालय ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में डम्पर के लिए एंटी कॉलिज़न सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टेलीमानिटरिंग सिस्टम, स्लोप स्टेबिलिटी सिस्टम और गैस टेलीमानिटरिंग सिस्टम आरम्भ किये हैं।

क्या किया जाना चाहिए?

- NHRC ने अपनी 2014 की रिपोर्ट में खनन क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली (बेस्ट प्रेक्टिसेज) को अपनाने की आवश्यकता का उल्लेख किया है, जिनमें शामिल हैं:

✓ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए वैज्ञानिक 'प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (ट्रेनिंग नीड असेस्मेंट)' की व्यवस्था।

✓ इफेक्टिव ट्रेनिंग डिलीवरी सिस्टम का विकास करना।

✓ **दुर्घटना जांच हेतु व्यापक विशेषीकृत प्रशिक्षण** पर कार्य करना।

- व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ समाहित नहीं है। यह श्रम मंत्रालय का अधिदेश (मैंडेट) है। बेहतर तालमेल और वित्त आवंटन के लिए इसे स्वास्थ्य मंत्रालय को स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा पर एक नियामक की आवश्यकता है।

आगे की राह

- खनन उद्योग एक श्रम प्रधान उद्योग है। इसलिए सरकार और इसमें सम्मिलित कंपनियों को एक बहुआयामी रणनीति बनाने की आवश्यकता है जो व्यावसायिक सुरक्षा के साथ स्थानीय निवासियों और पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा को भी सम्मिलित करता हो।

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. कोआलिशन फॉर एपीडेमिक प्रीपेयर्डनेस इनोवेशंस

(Coalition for Epidemic Preparedness Innovations :CEPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आधिकारिक तौर पर इसका शुभारम्भ जनवरी 2017 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) की बैठक में, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सहित जर्मनी ,जापान और नॉर्वे द्वारा 460 मिलियन डॉलर के आरम्भिक निवेश के साथ किया गया था।

महत्व

- यह वैक्सीन विकास के जोखिम और लाभों की साझेदारी के माध्यम से महामारियों के लिए वैक्सीन के विकास के क्षेत्र में एक स्थायी एवं टिकाऊ मॉडल प्रदान करेगा।
- यह लंबे समय में विभिन्न हितधारकों की क्षेत्रीय क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगा।
- यह वायरस उन महामारियों के खिलाफ वैक्सीन के प्रभावी होने की समयावधि को कम करेगा जो वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों के रूप में अचानक उभर सकती हैं।

CEPI क्या है ?

- यह संक्रमण महामारियों की रोकथाम और नियंत्रण हेतु नए टीके के विकास के लिए समन्वय स्थापित करने एवं उनके वित्तपोषण के लिए सरकारों, WHO जैसे अंतर सरकारी संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, और परोपकारियों/दानकर्ताओं का एक वैश्विक गठबंधन है।
- CEPI ने WHO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सी बीमारी के सन्दर्भ में कार्य किया जाना चाहिए इसे तय करने के लिए यह WHO की प्राथमिकता सूची का उपयोग कर रहा है।
- टीकों का विकास आरम्भ करने के लिए CEPI ने तीन बीमारियों को अंतिम रूप से चयनित किया है: मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम (MERS), लासा बुखार और निपाह।

CEPI की आवश्यकता क्यों ?

- संक्रामक महामारियाँ मानव जीवन को खतरे में डाल कर, विभिन्न समाजों को अव्यवस्थित कर और खासतौर पर अर्थव्यवस्थाओं को क्षति पहुंचा कर विश्व को प्रत्येक वर्ष 60 बिलियन डॉलर (विशेषकर निम्न और मध्यम वर्गीय आय वाले देशों को) का नुकसान पहुँचाती हैं।
- पश्चिम अफ्रीका में इबोला वायरस और अमेरिका में ज़िका वायरस के प्रकोप ने संक्रामक महामारियों के प्रसार से निपटने में विश्व की क्षमताओं में व्याप्त गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है।

6.2. क्लेबसिएला निमोनिया बैक्टीरिया

(Klebsiella Pneumoniae Bacteria)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- एक अमेरिकी महिला की मृत्यु ऐसे संक्रमण के कारण हुई जो उपलब्ध सभी 26 एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधी था। इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर खतरनाक सुपरबगों के उदय को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
- मृत्यु के लिए ज़िम्मेदार जीवाणु का नाम क्लेबसिएला निमोनिया था जिसके जीन में न्यू डेल्ही मेटालो बीटा लैक्टामेज़ (NDM-1) नामक एंजाइम उपस्थित था।

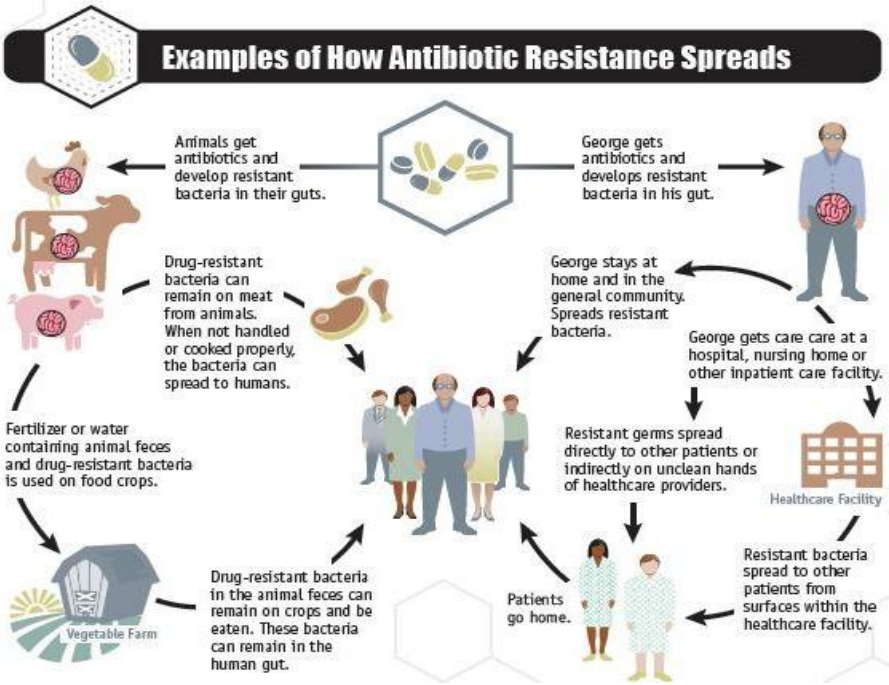

सुपरबग क्या है?

- ये जीवाणु उन जीनों को धारण कर सकते हैं जो उन्हें वर्तमान में उपलब्ध एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। इन्हें सुपरबग या एंटीबायोटिक दवाओं का प्रतिरोधी कहा जाता है।

VISION IAS

- इसमें प्रतिरोध के उद्भव के दो कारण हैं:
✓ जीवाणु के डीएनए का सहज उत्परिवर्तन
✓ एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट (ABR) जीनों का स्थानांतरण
- सुपरबग्स की संख्या बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग है।

सुपरबग्स के प्रसार को कैसे रोका जा सकता है ?

इस सन्दर्भ में स्थिति में सुधार के लिए तथा सुपरबग संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए, एक व्यक्ति और समाज के रूप में तथा सरकारों के माध्यम से भी बहुत कुछ किया जा सकता है।

- व्यक्तिगत जोखिम को कम करना
✓ उपयुक्त व्यक्तिगत देखभाल और स्वच्छता बनाए रखना
✓ एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग सीमित करना
- जानवरों में इसके उपयोग से बचना : विश्व भर में, 80% एंटीबायोटिक दवाएँ भोजन में इस्तेमाल होने वाले पशुओं के लिए प्रयोग की जा रही हैं, लेकिन अधिकांशतः एंटीबायोटिक दवा का या अत्यंत कम लाभ होता है या बिलकुल ही लाभ नहीं होता।
- सुरक्षित पानी पर पुनः ध्यान केन्द्रित करना- NDM-1 नई दिल्ली के क्लोरीनयुक्त पानी की आपूर्ति में पाया गया है।
- अनुसंधान और विकास समस्या का केवल दीर्घकालिक समाधान ही हो सकता है।
- सुपरबग्स के प्रसार के विषय में लोगों के मध्य जागरूकता का प्रसार तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

आगे की राह

भारतीय रेड लाइन अभियान जागरूकता की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसके आगे विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं को शेड्यूल X (डॉक्टर की पर्ची के बिना न बेची जाने वाली दवाइयां) में डालने जैसे कदम उठाये जाने चाहिए।

(सुपरबग्स के प्रसार के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए विज़न IAS करंट अफेयर्स - सितंबर,2016 का अंक देखिए)

6.3.अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्र

(Waste to Energy Plant)

- नगरीय ठोस अपशिष्ट (municipal solid waste: MSW) के आधार पर अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र दो प्रकार के हो सकते हैं:
✓ एक, जो नगरपालिका तथा अन्य प्रकार के सभी कचरों का दहन करता है
✓ दूसरा, जो रिफ्यूज्ड डिराइव्ड फ्यूल (REFUSED DERIVED FUEL: RDF) का दहन करता है।
- RDF, MSW के दहनशील घटकों (कांच इत्यादि जैसे घटकों को बाहर निकालने पर शेष बचे भाग) से बनाया जाता है। अपशिष्ट को पीस कर, सुखाकर उसका गठ्ठर बना लिया जाता है तत्पश्चात उसके दहन के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है।
- संयंत्र को लेकर तीन मुख्य चिंताएँ हैं:
✓ **प्रौद्योगिकी:** पायरोलिसिस एवं गैसीफिकेशन से हम भली-भाँति परिचित नहीं हैं और ये प्रोद्योगिकियाँ अत्यंत महंगी भी हैं।
✓ **संयंत्रों से उत्सर्जन** के कारण पर्यावरण के लिए और विशेष रूप से लोगों के स्वास्थ्य के सन्दर्भ में चिंताएँ उत्पन्न हो रही हैं।
✓ संयंत्रों की उच्च लागत के सन्दर्भ में **वित्तीय व्यवहार्यता** और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में ऊर्जा के उत्पादन की उच्च लागत।
- अन्य बाह्य चिंताओं में शामिल हैं- संयंत्रों के निकट रहने वाले लोगों, NGT, गैर सरकारी संगठनों तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे राज्य प्राधिकरणों का निरंतर विरोधी रवैया।

अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्रों के लाभ

- यह ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत हो सकता है क्योंकि MSW सदैव ईंधन के रूप में उपलब्ध रहेगा।
- लैंडफिल साइट्स सीमित हैं अतः इनकी अत्यधिक आवश्यकता है।
- यह विशुद्ध रूप से ग्रीनहाउस गैस में कमी लाता है क्योंकि मीथेन अधिकांशतः लैंड फिल साइट्स के अपघटन द्वारा उत्सर्जित होती है।
- उपोत्पादों (By-products) का इस्तेमाल उर्वरकों के तौर पर किया जा सकता है।
- जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता में कमी और उर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत की प्राप्ति।

संयंत्रों को और अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?

- स्रोत पर तथा संयंत्र में डालने से पहले भी अपशिष्ट का उचित ढंग से पृथक्करण करना।
- पायरोलिसिस तथा गैसीफिकेशन तकनीक से उर्जा उत्पादन में सक्षम तकनीकी रूप से उन्नत ऐसे संयंत्रों का प्रवर्तन जिनसे होने वाला उत्सर्जन अनुमन्य सीमा के भीतर ही हो।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे तकनीकी सहायता प्रदान करें और संयंत्रों के उत्सर्जन/पर्यावरणीय फुटप्रिंट पर भी नियंत्रण रखें।
- सरकार का समर्थन और सब्सिडी, संयंत्रों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए आवश्यक हैं।

आगे की राह

MSW के 3R (रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकल) पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए, किन्तु इन उपायों के बाद भी अपशिष्ट अवश्य उत्पन्न होगा। अतः ऐसे में ये संयंत्र अपशिष्ट से छुटकारा पाने और उर्जा उत्पादन में सहायक हो सकते हैं।

6.4. वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व

(Scientific Social Responsibility)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- प्रधानमंत्री ने 104वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) की तर्ज पर वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व (SSR) की अवधारणा प्रस्तुत की।

वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है?

- यह CSR के अनुरूप है। CSR के तहत वे पहलें शामिल हैं जो समाज को लाभ पहुँचाती हैं।
- इसी प्रकार, SSR में समाज के लाभ के लिए नवाचार को प्रोत्साहन देना और वैज्ञानिक मॉडलों को लागू करना शामिल होगा।
- SSR में भी हरित विकल्पों/जलवायु के अनुकूल नवाचारों और अनुसंधान मॉडलों को बढ़ावा देना शामिल है।
- SSR शैक्षिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों में वैज्ञानिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा।

आगे की राह

- सभी बड़े शहरों में प्रमुख संस्थानों, कॉलेजों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों को अनुसंधान संस्थानों और विज्ञान प्रयोगशालाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- यह विचारों और संसाधनों की साझेदारी को सरल बनाएगा और साथ ही युवाओं को वैज्ञानिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
- वैज्ञानिकों को भी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों के लिए चेतावनी दी जानी चाहिए और विकास के लिए प्रोद्योगिकियों से लाभ उठाने के लिए भी उन्हें तैयार रहना चाहिए।

6.5. द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)के तैरते हुए संयंत्र

(Floating Liquified Natural Gas [LNG] Plant)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में एक चीनी कंपनी ने तैरते हुए LNG संयंत्र की प्रणाली का अपना संस्करण विकसित किया है।
- एकल इकाई के रूप में प्रत्येक संयंत्र में LNG के लिए लोडिंग और भंडारण सुविधाएँ, पुनर्गैसीकरण और उर्जा उत्पादन जैसी सभी विशेषताएँ होंगी।
- सबसे छोटे चल संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट तथा सबसे बड़े संयंत्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 800 मेगा वाट होगी।

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस

- यह प्राकृतिक गैस है जिसे -260° F (-162 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडा करने पर यह द्रव में रूपांतरित हो जाती है।
- LNG, 85 से 95% तक मीथेन होती है जिसमें कुछ प्रतिशत ईथेन और उससे भी कम मात्रा में प्रोपेन और ब्युटेन तथा ट्रेस नाइट्रोजन होती है।
- यह रंगहीन,गंधहीन गैर संक्षारक और अविषैला तरल है।
- गैस का आयतन द्रवीकरण के दौरान 600 गुना संकुचित किया जाता है जिससे यह भंडारण एवं परिवहन के योग्य हो जाती है।
- तरल अवस्था में इसमें आग नहीं लगती।

लाभ

- कम कार्बन उत्सर्जन के कारण कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की तुलना में कहीं कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ यह उनके उपयोग का अधिक स्वच्छ विकल्प प्रदान करता है।
- यह निवेश के अनुकूल और लागत प्रभावी है क्योंकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को न्यूनतम करता है और साथ ही इसमें कम नागरिक कार्य होता है।

6.6. एक्सोप्लेनेट : Wolf1061C

(Exoplanet: Wolf1061C)

- हाल ही में खगोलविदों ने Wolf1061C नाम के एक एक्सोप्लेनेट का अध्ययन किया और पाया कि यह खगोलीय पिंड भविष्य में निवास करने योग्य (हैबिटेबल) हो सकता है क्योंकि यह अपने तारे के आवासीय क्षेत्र (गोल्डीलॉक्स जोन) में अवस्थित है।
- Wolf 1061c पृथ्वी से चार गुना द्रव्यमान वाला एक चट्टानी ग्रह है और Wolf 1061 प्रणाली का हिस्सा है।
- Wolf 1061c अव्यवस्थित जलवायु (chaotic climate) वाला ग्रह हो सकता है क्योंकि पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में मंद गति से परिवर्तन करती है, की तुलना में इसकी कक्षा में परिवर्तन की दर तीव्र है। यह ग्रह के लगातार तेजी से ठंडा या गर्म होने का कारण बन सकता है।

VISION IAS

- खगोलविद मानते हैं कि Wolf 1061c केवल एक शर्त पर जीवन को बनाए रख सकता है - तभी जब वह अल्प समयावधि, जिसमें इसकी कक्षा में परिवर्तन होता है, इस ग्रह को ठंडा करने के लिए पर्याप्त हो।
- इस एक्सोप्लेनेट की सतह और वातावरण को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध किये जाने की आवश्यकता है ।

एक्सोप्लेनेट (जिसे एक्स्ट्रासोलर ग्रह के रूप में भी जाना जाता है)

- एक्सोप्लेनेट ऐसा कोई भी ग्रह है जिसकी कक्षा सूर्य के अलावा दूसरे तारे से सम्बन्धित होती है, तथा जो किसी भी दूरी पर अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं।
- उनमें से कुछ ग्रहों की कक्षा उनके तारे से उतनी ही दूरी पर है कि वे 'रहने योग्य क्षेत्र' हों, जिसका अर्थ है कि उनकी सतह पर तरल पानी के लिए उचित तापमान है।

Wolf 1061 प्रणाली

- यह Ophiuchus तारामंडल से 14 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक M श्रेणी का लाल बौना तारा (**M class red dwarf star**) है।
- इसके 3 ग्रह हैं जिनके नाम Wolf1061b, Wolf1061c और Wolf1061d हैं।
- ये सभी ग्रह सुपर अर्थ हैं (सुपर-अर्थ पृथ्वी के एक से दस गुने के बीच द्रव्यमान वाला एक एक्सोप्लेनेट)। सुपर अर्थ का वर्गीकरण केवल द्रव्यमान के सन्दर्भ में किया जाता है, न कि सतही परिस्थिति या आवास अनुकूलता के आधार पर)।

6.7. जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स

(G-protein coupled receptors:GPCR)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने खोज की है कि दवा के अणुओं से GPCRs का विनियमन अब तक की मान्यता के विपरीत काफी आसान हो सकता है। दवा के प्रभावी होने के लिए इसके अणु का केवल रिसेप्टर के एक सिरे (टेल) से जुड़ना पर्याप्त है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में यह धारणा है कि किसी भी दवा के प्रभावी होने के लिए इसका रिसेप्टर के दोनों सिरों पर बंधना आवश्यक है - टेल पर कोशिका के बाहर तथा केंद्र में कोशिका के भीतर।
- हालांकि शोधकर्ता यह सिद्ध करने में सफल रहे कि एक सिरे अर्थात रिसेप्टर की टेल से जुड़कर भी दवा प्रभावी हो सकती है। उन्होंने विशिष्ट इंजीनियरिंग के द्वारा दूसरे सिरे अर्थात रिसेप्टर के केंद्र (कोर) को अप्रभावी बना दिया।

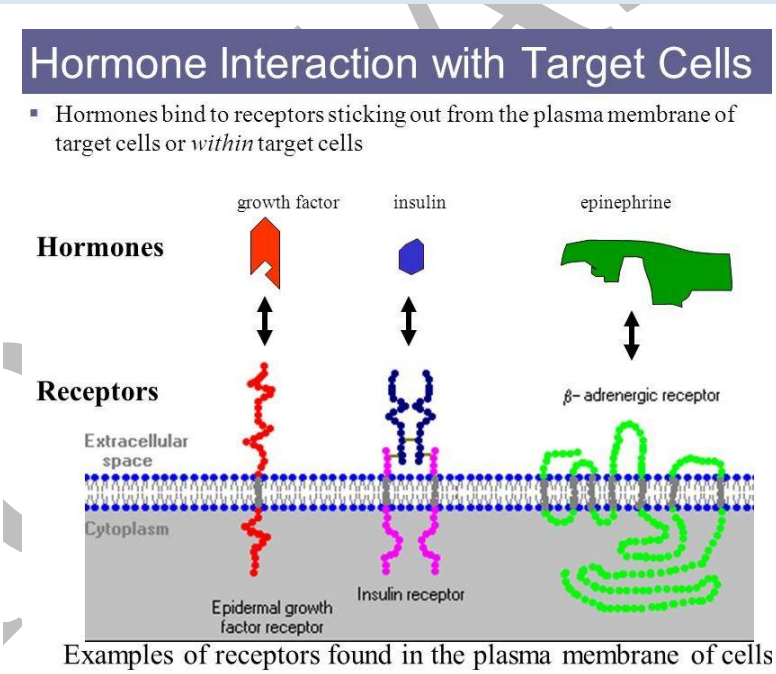

Examples of receptors found in the plasma membrane of cells

GPCRs कैसे काम करते है?

- रिसेप्टर्स, कोशिका झिल्ली में अंतःस्थापित अपने एक हिस्से के साथ कोशिका की सतह पर पाए जाते हैं। इनका दूसरा हिस्सा कोशिका के भीतर झिल्ली के बाहर निकला हुआ होता है।
- ये रिसेप्टर्स अपना आकार बदल कर **बाह्य उद्दीपन** के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं जिससे कोशिका के भीतर उपस्थित रिसेप्टर के आकार में बदलाव आता है। कोशिका के अन्दर आकार में परिवर्तन, रिसेप्टर को जी-प्रोटीन नामक विशेष प्रोटीन बंध बनाने की अनुमति प्रदान करता है। इससे कोशिका के अंदर बदलाव आता है जो हमारे अंदर शारीरिक परिवर्तन लाता है (G- प्रोटीन, प्रोटीनों का एक समूह है जो कोशिका के अंदर स्विच प्रणाली की तरह कार्य करता है और GPCRs द्वारा सक्रिय होता है)।
- ये **बाह्य उद्दीपन** किसी भी हार्मोन, दवा, फोटोन, न्यूरोट्रांसमीटर, वृद्धि कारक या ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा लाया जा सकता है।
- उच्च रक्तचाप से ग्रस्त किसी व्यक्ति में, एक निर्धारित (prescribed) दवा रिसेप्टर से बंध बनाती (binds to receptor) है और सेल अरेस्टिनों (इन विशिष्ट GPCRs के इफ़ेक्टर प्रोटीन) को सक्रिय करती है। परिणामस्वरुप अरेस्टिन रिसेप्टर को कोशिका के अंदर खींचता है (यह प्रक्रिया रिसेप्टर इंडोसाईटोसिस कही जाती है)। यह एन्जियोटेंसिन (रक्तचाप में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हार्मोन) को रिसेप्टर से बंधने से रोकता है भले ही यह रक्त में मौजूद ही क्यों न हो। इस प्रकार यह संकेत देने की प्रक्रिया को बाधित करता है परिणामस्वरूप रक्तचाप के नियंत्रण में मदद मिलती है।

महत्व

- यह शोध, सरल सस्ती और अधिक कुशल दवाओं को डिजाइन करने में मदद करेगा और इस प्रकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा।

- यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयगति रुकने, मोटापा, कैंसर और GPCRs को लक्षित करने वाली अन्य बीमारियों के लिए प्रभावशाली उपचार प्रदान करने की दिशा में शोधकर्ताओं के लिए आशा की एक किरण के समान है।
- यह खोज भारतीय जैव प्रौद्योगिकी और औषधि क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है।

6.8. गुरुत्वीय तरंग टेलीस्कोप: NGARI

(Gravitational Wave Telescope: NGARI)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- चीन ने भारतीय सीमा के पास स्थित तिब्बत के न्गारी [Ngari] क्षेत्र में दो चरणों वाली NGARI तरंग वेधशाला का निर्माण आरम्भ कर दिया है, जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुत्वीय तरंग टेलीस्कोप [दूरबीन] होगा।
- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्माण्ड के जन्म और विन्यास से सम्बन्धित बिग बैंग सिद्धांत के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है।

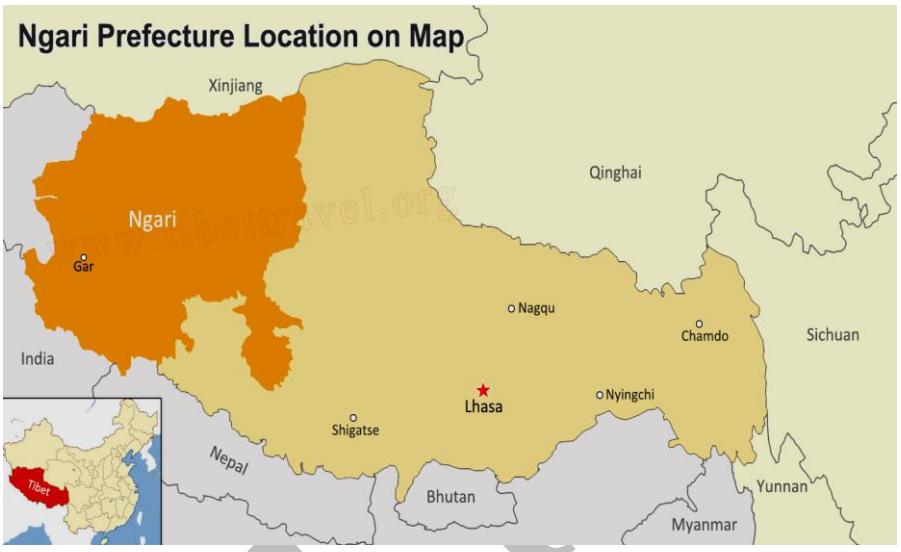

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- समुद्र के स्तर से 5250m ऊपर स्थित इस टेलिस्कोप के प्रथम चरण के 2021 तक आरम्भ होने की उम्मीद है।
- यह उत्तरी गोलार्द्ध में गुरुत्वीय तरंगो का पता लगाने और उनके आंकड़े इकट्ठा करने में सक्षम होगा।
- दूरबीन श्रृंखला के दूसरे चरण का निर्माण समुद्र स्तर से 6000 मीटर की ऊंचाई पर किया जा रहा है और यह प्रेक्षण आवृत्ति बैंड की परिशुद्धता में सुधार और विस्तार करने में सक्षम होगा।
- Ngari ऊंचाई, स्वच्छ आसमान और न्यूनतम मानवीय गतिविधियों की वजह से संसार के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है।

6.9. क्षुद्र ग्रहों के अन्वेषण के लिए नासा का मिशन

(NASA Mission to Explore Asteroids)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- प्रारंभिक सौर प्रणाली के सुराग की खोज में क्षुद्रग्रहों के अन्वेषण हेतु नासा ने दो मिशनों के शुभारंभ की घोषणा की है।
- पहले मिशन का नाम लूसी है, जिसे 2021 में बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए प्रक्षेपित किया जायेगा जबकि दूसरे मिशन को साइकी [Psyche] नाम दिया गया है, जिसे 2023 में एक विशाल धातु क्षुद्रग्रह, जिसे 16 साइकी [16 Psyche] के नाम से जाना जाता है, की खोज के लिए प्रक्षेपित किया जायेगा ।
- आशा है कि लूसी अपने पहले गंतव्य जो एक मुख्य बेल्ट क्षुद्रग्रह (main belt asteroid) है, पर 2025 में पहुँचेगा। यह 2027 से 2033 तक 6 बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगा लेगा।

16 साइकी [16 Psyche] क्षुद्रग्रह के विषय में

- यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित प्राथमिक एस्टेरोइड बेल्ट में स्थित विशाल क्षुद्रग्रह है। सूर्य से इसकी दूरी सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी की तीन गुना है। इसका व्यास 130 मील (210 किलोमीटर) है।
- यह अधिकांशतः लोहे और निकल से बना है, ना कि अन्य क्षुद्रग्रहों के समान बर्फ और चट्टानों से।
- कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह प्रारम्भिक ग्रह के कोर को उजागर करने में सहायक हो सकता है जिसने भीषण टक्करों की एक श्रृंखला में अपने बाहरी चट्टानी गठन को खो दिया था।

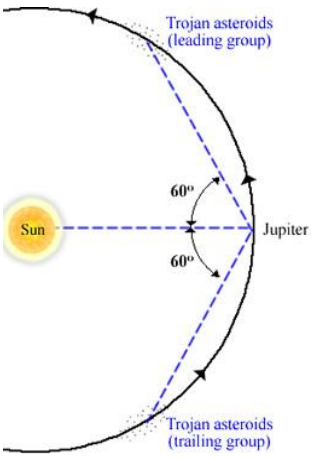

महत्व

- यह मिशन पृथ्वी के कोर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा कि किस तरह इसके क्रस्ट, मेंटल और कोर की परतों में विभाजन हुआ।
- यह समझने में भी मदद मिलेगी कि सूर्य और सौर परिवार के अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, समय

के साथ इनमें बदलाव कैसे हुआ, और यह उन स्थानों में विकसित कैसे हुए जहाँ जीवन की उत्पत्ति, विकास और उसकी निरंतरता को प्रश्रय मिला और इसके अलावा इस मिशन से यह जानने में भी सहायता मिलेगी कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है।

(क्षुद्रग्रहों और ट्रोजन क्षुद्रग्रहों पर अधिक जानकारी के लिए दिसंबर 2016 संस्करण का अनुच्छेद 6.3 देखिये)

6.10.अशलिम परियोजना

(Ashalim Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इजराइल नेगेव रेगिस्तान में अशलिम परियोजना नामक अपने विशालतम सौर ऊर्जा स्टेशन का निर्माण कर रहा है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

- अशलिम सौर टॉवर हेलिओस्टैट नामक 55000 प्रक्षेपी दर्पणों (projecting mirrors) से घिरा होगा।
- यहाँ 250 मीटर (820 फीट) की ऊँचाई वाला विश्व का सर्वाधिक ऊँचा सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
- परियोजना 130,000 परिवारों के लिए पर्याप्त 310 मेगावाट विद्युत् का उत्पादन करेगी।
- यह स्टेशन सौर तापीय विधि का प्रयोग करेगा जहां ये दर्पण बायलर को गर्म करने के लिए सूरज की किरणों को केन्द्रित करेंगे जिससे उत्पन्न वाष्प टरबाइन को घुमा कर विद्युत् उत्पादन करेगी।

हेलिओस्टैट: इस उपकरण में एक चालित दर्पण होता है जिसका इस्तेमाल एक निश्चित दिशा में सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किया जाता है। आकाश में सूर्य की अवस्थिति के अनुसार हेलिओस्टैट परावर्तित प्रकाश को एक लक्ष्य पर बनाए रखने के लिए स्वयं को समायोजित करता है। दर्पण जितना विशाल होता है उतनी ही अधिक ऊर्जा और प्रकाश लक्ष्य को प्राप्त होती है।

परियोजना का महत्व

- यह इजराइल को 2020 तक अपने विद्युत् उत्पादन का 10% भाग नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। वर्तमान में इजराइल की उर्जा आवश्यकताओं का केवल 2.5% भाग ही नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त होता है।
- स्थानीय स्तर पर, संयंत्र अपने निर्माण, परिचालन और रखरखाव के दौरान लंबी अवधि के रोजगार अवसर प्रदान करेगा।

6.11. भारत CERN का एसोसिएट सदस्य बना

(India Becomes an Associate Member of CERN)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुमोदन के पश्चात् भारत CERN का एक एसोसिएट सदस्य बन गया।

पृष्ठभूमि

- भारत और CERN ने वैज्ञानिक सहयोग के लिए प्राथमिकताओं की स्थापना हेतु 1991 में एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- CERN के साथ भारत की भागीदारी टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (Tata Institute of Fundamental Research), मुंबई द्वारा 1960 के दशक में CERN के प्रयोगों में भाग लेने के साथ आरम्भ हुई।
- 1990 के दशक में, राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर के वैज्ञानिकों ने CERN के लिए एक्सेलरेटर घटकों का निर्माण किया।
- 2004 में भारत को CERN में एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था।

CERN में भारत के योगदान

- कई भारतीयों ने CERN में LHC एक्सेलरेटर, ALICE तथा CMS प्रयोगों के निर्माण में अपना योगदान दिया है।
- LHC में हिग्स बोसॉन की खोज में भारतीय वैज्ञानिकों की सहायक भूमिका रही।
- लार्ज स्केल कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत ने वर्ल्ड वाइड लार्ज हैड्रान कोलाइडर ग्रिड (WLCG) के लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया, उसका विकास किया और उसे स्थापित भी किया है।

एसोसिएट सदस्य के दर्जे का महत्व

- इससे विभिन्न CERN परियोजनाओं में युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भागीदारी में वृद्धि होगी।
- इससे CERN में अर्जित ज्ञान को घरेलू कार्यक्रमों के लिए वापस लाने में मदद मिलेगी।

- इससे भारतीय उद्योगों को सीधे तौर पर CERN के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली लगाने की अनुमति मिलेगी जिससे उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त होंगे।
- अब भारत CERN परिषद और इसकी समितियों (वित्त समिति और वैज्ञानिक नीति समिति) की बैठकों में भाग ले सकता है।
- भारतीय वैज्ञानिक स्टाफ की नियुक्तियों के लिए पात्र हो जायेंगे।

CERN (यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन)

- CERN विश्व की सबसे बड़ी परमाणु और कण भौतिकी प्रयोगशाला है।
- CERN में वैज्ञानिक और इंजीनियर ब्रह्मांड की मूल संरचना की जांच कर रहे हैं।
- CERN जिनेवा में स्थित है।
- वर्तमान में CERN में 22 सदस्य राज्य, चार एसोसिएट सदस्य राज्य तथा चार राज्यों और तीन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित सात पर्यवेक्षक है।
- CERN में परियोजनाएं-

✓ **लार्ज हैड्रान कोलाइडर** - लार्ज हैड्रान कोलाइडर (LHC) दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली पार्टिकल एक्सिलरेटर है।

- इसका लक्ष्य ब्रह्मांड के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना है।

✓ **कॉम्पैक्ट म्युऑन सोलीनॉइड** (CMS) - यह LHC पर एक जनरल परपज़ डिटेक्टर है।

- यह स्टैंडर्ड मॉडल (हिग्स बोसॉन सहित) का अध्ययन करता है
- यह अतिरिक्त आयामों और कणों की भी खोज कर रहा है जो डार्क मैटर का निर्माण करते हैं।

✓ ALICE- अ लार्ज आयन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट (**A** Large **I**on **C**ollider **E**xperiment) का संक्षेपण है।

- यह अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर पदार्थ की भौतिकी के क्षेत्र में शोध करता है। उदाहरण के लिए प्रोटान और न्यूट्रान बनाने वाले क्वार्कों(QUARKS) पर अनुसंधान।

आगे की राह

- एसोसिएट सदस्यता के कारण वार्षिक तौर पर 80 करोड़ का खर्च आएगा। इसके अलावा भारत के पास इसके सदस्यों की भांति किसी भी तरह के मतदान का अधिकार नहीं होगा। किन्तु इसकी सदस्यता निश्चित रूप से भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढाने तथा वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए सही दिशा में उठाया गया कदम है।

6.12. ई-सिगरेट

(E-Cigarettes)

सुर्ख़ियों में क्यों

- कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार ई-सिगरेट ऐसे किशोरों के एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं जिन्होंने पहले तंबाकू उत्पादों का धूम्रपान नहीं किया था।

पृष्ठभूमि

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में मुख से ग्रहण किये जाने वाले तम्बाकू उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
- सरकार ने भी सिगरेट पर उच्च कर लगा दिए हैं।
- उपर्युक्त कदमों ने ई-सिगरेट की बिक्री को कम कर दिया है।

ई-सिगरेट इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स (ENDS) का एक प्रकार है।

- यह बिजली का उपयोग कर निकोटीन युक्त तरल पदार्थ को वाष्पीकृत करने के लिए एक बैटरी संचालित डिवाइस है।
- इनमें पारंपरिक सिगरेट की तरह टार नहीं होता है।
- एक असली सिगरेट जैसा दिखने के लिए इसके अग्र भाग पर एक लाल LED लगी होती है।
- यह नीला वाष्प भी मुक्त करता है जिसके कारण यह असली सिगरेट जैसा लगता है ।
- यह एक इलेक्ट्रॉनिक नॉन-निकोटीन डिलीवरी सिस्टम (ENNDS) भी हो सकता है जिसमें तरल पदार्थ निकोटीन नहीं होता।
- एयरोसोल के निर्माण के लिए इसमें उपस्थित तरल पदार्थ प्रोपाइलिन ग्लाइकोल या/और ग्लिसरीन में घुल जाता है ।

WHO ने दोनों ENDS तथा ENNDS को 'वैपिंग' नाम दिया है जिसका अर्थ है सिगरेट का तम्बाकू मुक्त संस्करण जिसमें तरल एक वैपराइजर के माध्यम से अन्दर खींचा जाता है।

ई-सिगरेट में समस्याएँ

- ऐसा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करता हो कि ई-सिगरेट धूम्रपान छोड़ने मदद करती है।
- अलग अलग फ्लेवर से युक्त ई-सिगरेट धूम्रपान न करने वालों में धूम्रपान की आदत डालकर 'निकोटीन की लत' को बढ़ावा दे सकती है।
- ई-सिगरेट के कुछ एयरोसौल्ज़ फॉर्मलडिहाइड (formaldehyde) की तरह कैंसर कारक एजेंट हैं।
- निकोटीन हृदय रोगों को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। निकोटीन भ्रूण में मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

भारत की स्थिति

- WHO ग्लोबल रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत में धूम्रपान करने वालों की संख्या कम हो रही है।
- चूंकि ई-सिगरेट में निकोटीन होता है पर तंबाकू नहीं, अतः यह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (COTPA) अधिनियम 2003 के दायरे में नहीं आते।
- अधिकांश ई-कॉमर्स वेबसाइट्स चिकित्सीय उत्पाद के रूप में इसकी बिक्री करती हैं जिससे इनके प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ता है।
- 2014 में एक समिति ने निकोटीन युक्त ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। केवल कुछ राज्यों ने ही इस पर प्रतिबन्ध लगाया है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003

- धारा 5 तंबाकू उत्पादों के प्रचार के सभी रूपों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) पर प्रतिबंध लगाती है।
- यह अधिनियम पैकेजिंग पर तथा तंबाकू उत्पादों के विज्ञापनों में स्वास्थ्य चेतावनी का प्रावधान करता है।

- एक समान दृष्टिकोण के अभाव में विक्रेता खामियों का लाभ उठाते हैं। जैसे पंजाब निकोटीन को एक जहर के रूप में वर्गीकृत करता है, जबकि महाराष्ट्र इसे अनुमोदित दवा के रूप में वर्गीकृत करता है।

तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन (FCTC) 2003

- WHO FCTC, तम्बाकू महामारी के वैश्वीकरण के जवाब में पहली वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संधि है।
- यह कानूनी तौर पर अपने सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। भारत ने इसकी पुष्टि की है।
- यह तम्बाकू नियंत्रण के लिए मांग पक्ष से सम्बंधित उपायों की सिफारिश करता है जैसे-

✓ तंबाकू की मांग कम करने के लिए **मूल्य एवं कर सम्बन्धी उपाय**।

✓ **गैर-मूल्य उपाय** जैसे- पैकेजिंग और तंबाकू उत्पादों की लेबलिंग; जन जागरूकता और तंबाकू के विज्ञापन आदि।

- यह अवैध तंबाकू व्यापार पर नियंत्रण, अल्पवयस्कों को तम्बाकू की बिक्री पर नियंत्रण इत्यादि जैसे कुछ आपूर्ति पक्ष सम्बन्धी उपाय भी प्रदान करता है।

क्या किया जाना चाहिए ?

ENDS पर नियमन के सन्दर्भ में WHO की रिपोर्ट निम्न सिफारिशें करती है -

- ENDS में फ्लेवर को जोड़ने पर निषेध
- घरों के अन्दर और सार्वजनिक स्थानों पर ENDS के उपयोग पर प्रतिबन्ध
- इसके विज्ञापन, संवर्धन, और प्रायोजन पर रोक
- धूम्रपान न करने वालों में ENDS का प्रचार बंद करने के लिए विनियमन तथा मौजूदा तम्बाकू नियंत्रण प्रयासों को संरक्षण ।
- ENDS के लाभों और जोखिमों का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता है।

आगे की राह

भारत ने तंबाकू नियंत्रण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन ई-सिगरेट की बढ़ती लोकप्रियता से वर्षों की कड़ी मेहनत के कमज़ोर पड़ने का खतरा है। अतः ऐसे में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु तत्काल कदम उठाये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

7. सामाजिक मुद्दे

(SOCIAL ISSUES)

7.1. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना

(SECC)

7.1.1. सुमित बोस पैनल ने सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) पर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी

(SUMIT Bose Panel Submits Report on SECC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) पर सुमित बोस की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह ने हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- सुमित बोस पैनल की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्य से की गई थी -

✓ सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) हेतु संसाधनों के आवंटन के लिए मापदंडों का अध्ययन करना।

✓ सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों का उपयोग करके विभिन्न गरीबोन्मुख कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान करना।

रिपोर्ट की आवश्यकता

- ग्रामीण क्षेत्रों की SECC के आंकड़े 2015 में जारी किए गए थे। सरकारी योजनाओं में तथा लक्षित लाभार्थियों के संबंध में आंकड़ों का बेहतर उपयोग करने के लिए समिति की आवश्यकता थी।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (2011)

- SECC का आयोजन देश के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति सम्बंधित आंकड़ों का संग्रह करने के लिए किया गया था।
- इसका आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय एवं राज्य सरकारों द्वारा किया गया था।
- इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समितियों की कार्य पद्धतियों का उपयोग किया –

✓ एन.सी. सक्सेना समिति (ग्रामीण क्षेत्रों के लिए) – इसकी स्थापना निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की जनगणना के नए प्रारूप का सुझाव देने के लिए की गयी थी। इसने घरों के तीन प्रकार के वर्गीकरण की अनुशंसा की-

- अपवर्जित (Excluded)- इन घरों की पहचान परिसंपत्तियों एवं आय के आधार पर की जाएगी तथा इन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले कल्याणकारी लाभों से बाहर रखा जाएगा।.
- स्वत: सम्मिलित – चरम सामाजिक अभाव का सामना करने वाले घरों को सम्मिलित किया जाएगा और वे सरकारी लाभों के लिए स्वत: सम्मिलित कर लिए जाएंगे।
- अन्य – उनका श्रेणीकरण विविध अभाव संकेतकों के आधार पर किया जाएगा और वे श्रेणीकृत लाभ प्राप्ति हेतु पात्र होंगे। उदाहरण के लिए, सक्षम तथा शिक्षित वयस्क की उपस्थिति आदि।

✓ एस. आर. हाशिम समिति (शहरी क्षेत्रों के लिए)–

- इसने भी एन.सी. सक्सेना की भांति भारतीय त्रि-चरणीय दृष्टिकोण का अनुपालन किया।
- अंतर केवल इतना है कि दोनों समितियों ने अलग-अलग मापदंडों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों में चार से अधिक कमरों वाले घर को, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तीन या उससे अधिक कमरों वाला घर अपवर्जित किया गया था।

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के प्रमुख निष्कर्ष- अभी तक केवल ग्रामीण SECC के आंकड़ों को सार्वजनिक रुप से जारी किया गया है।

✓ भारत की ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 19% भाग अभाव के सात सामाजिक-आर्थिक मापदंडों में से कम से कम एक धारण करता था।

✓ 30% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं तथा हस्तचालित/मैनुअल या आकस्मिक श्रम से अपनी आय प्राप्त करते हैं।

✓ अभाव का दूसरा सबसे बड़ा सामान्य रूप शिक्षा था, इस मापदंड पर 23.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई शिक्षित वयस्क सदस्य नहीं था।

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- इसने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (BPL) की अवधारणा के स्थान पर बहु आयामी सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना की अनुशंसा की।

- इसने केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी योजनाओं के लिए सही लाभार्थियों को लक्षित करने हेतु सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों का उपयोग करने की अनुशंसा की।
- इस पैनल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों के उपयोग के संबंध में अनुशंसाएं की -

✓ **मनरेगा (MNREGA)-** इसका ध्यान अभावग्रस्त परिवारों तथा भूमिहीन मजदूरों की अधिकता वाले क्षेत्रों पर होना चाहिए।

✓ **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)-** समिति ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, क्षमता के अभाव एवं अपर्याप्त मानव संसाधन के कारण समस्याओं का सामना करता है। अतः इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं कीं -

- निर्धनता मुक्त पंचायतों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करना।
- राज्यों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत संसाधन आवंटन हेतु निम्नलिखित प्रकार के अभाव मापदण्डों से युक्त सूचकांक का उपयोग करना -
  - महिला मुखिया वाले परिवार जिसमें कोई अन्य वयस्क सदस्य नहीं है।
  - अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवार जिसमें कोई साक्षर वयस्क सदस्य नहीं है।
  - अपनी आय का प्रमुख भाग हस्तचालित (मैनुअल) आकस्मिक मजदूरी से प्राप्त करने वाले भूमिहीन परिवार।

  आरंभिक रूप से, इस सूचकांक का प्रयोग करके 70% संसाधनों का आवंटन करना और बाद में इसे 80% और 100% तक बढ़ाना।

- **प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) -** वर्तमान में, सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आवास अभाव संबंधी आंकड़े को 75% तथा निर्धनताग्रस्त व्यक्तियों की संख्या को 25% भारिता के आधार पर संसाधन आवंटन किया जाता है।

✓ यह समिति सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आवास अभाव संबंधी आंकड़े को 100% भारिता दिए जाने की अनुशंसा करती है।

- **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)** – समिति अनुशंसा करती है कि -

✓ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले सहयोग को सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

✓ विधवा पेंशन, विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की फीस एवं चिकित्सा बीमा कार्यक्रम आरंभ करना।.

✓ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार वृद्धि करना।

✓ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राज्यों को कम से कम केंद्र के बराबर योगदान देना चाहिए।

रिपोर्ट का महत्व

- यह रिपोर्ट सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों को कार्यान्वित करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करती है।
- यह रिपोर्ट ध्यान दिलाती है कि सामाजिक आर्थिक जनगणना का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों में सहयोग करेगा -

✓ कार्यक्रम में किए जाने वाले हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता में सुधार तथा इसके बेहतर परिणाम प्राप्त करना।

✓ कार्यक्रम प्रशासन को सुचारु रूप प्रदान करना।

✓ कार्यक्रमों के दायरे का विस्तार करना एवं लाभ प्राप्त करने में दोहराव एवं जालसाजी की संभावनाओं को कम करना।

✓ समय के साथ लाभार्थियों के जीवन स्तरों में होने वाले परिवर्तनों की गतिशील निगरानी करना।

✓ समाज के सुभेद्य वर्गों को बेहतर रूप से लक्षित करना तथा कवरेज को और व्यापक करना।

✓ विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बेहतर बजट प्रबंधन एवं संसाधनों का आवंटन करना।

चुनौतियाँ

- यह रिपोर्ट सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों को नियमित रुप से अद्यतन करने एवं इनके पुष्टीकरण की मांग करती है, इससे सार्वजनिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
- शहरी जाति आंकड़े अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, अतः वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों का उपयोग केवल ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सीमित हो जाता है।

7.1.2. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011: वरदान या अभिशाप

(Socio-Economic Caste Census, 2011: Boon or Bane)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों को हटाते हुए प्रभावी रूप से निर्धनता से निपटने के लिए सामाजिक-आर्थिक कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने हेतु निर्धनता रेखा विधि के स्थान पर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 का उपयोग करने का निर्णय लिया है।
- जैम (JAM: जन धन-आधार-मोबाइल) ट्रिनिटी के सरोकार को आगे बढ़ाने की सरकार की योजना के एक भाग के रूप में मनरेगा, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि योजनाओं में लाभार्थियों की पहचान करने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को विस्तारित करने के लिए अब सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का उपयोग किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- किसी भी कल्याणकारी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में निर्धनों की पहचान करना पहला महत्वपूर्ण कदम है। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने निर्धनों की संख्या की गणना करने के लिए निर्धनता रेखा विधि का प्रयोग किया है।

- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले (BPL) परिवार सब्सिडीयुक्त खाद्य सामग्री (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से), पेंशन, और स्व-रोजगार कार्यक्रम इत्यादि जैसे कई सरकारी लाभ प्राप्त करने के पात्र होते हैं।
- वर्तमान में भारत में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों (BPL) का निर्धारण सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार किया जाता है। यह निर्धनता रेखा बास्केट पर आधारित है जिसमें खाद्य सामग्रियाँ (कैलोरी मानदंडों का उपयोग करके निर्धारित) एवं गैर-खाद्य सामग्रियाँ (वस्त्र, शिक्षा, किराया, आदि) दोनों सम्मिलित होती हैं। इस समिति के अनुसार निर्धनता रेखा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमश: 27 रु. और 33 रु. निर्धारित की गई है और इस प्रकार निर्धन लोगों की कुल जनसंख्या 27 करोड़ (कुल जनसंख्या का 22%) अनुमानित की गई है।

निर्धनता रेखा विधि की तुलना में सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना बेहतर क्यों है?

- निर्धनता रेखा विधि निर्धनों की संख्या की पहचान करती है, जबकि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना यह पहचान करती है कि वास्तव में निर्धन कौन है। इसलिए यह अधिक लक्ष्य केन्द्रित और सटीक है।
- यह अयोग्य उम्मीदवारों, विशेष रूप से संपन्न लोगों, को अलग करके लाभार्थियों की सूची को अधिकाधिक सुस्पष्ट करने तक में भी सहायता करेगी और इस प्रकार यह जालसाजी एवं दोहराव के मुद्दे का समाधान करती है।
- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (BPL) संबंधी दृष्टिकोण संकीर्ण था क्योंकि यह आय और उपभोग व्यय पर ध्यान केन्द्रित करता था दूसरी ओर सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना ने समग्र और सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत किया ।
- निर्धनता रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों (BPL) की विधि का द्विआधारी दृष्टिकोण परिवारों को या तो सम्मिलित करता है या पूर्ण रूप से बाहर कर देता है लेकिन यदि सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना का आधार उपयोग किया जाएगा तो प्रत्येक परिवार को विभिन्न अभाव (वंचन) कारकों पर मानचित्रित किया जाएगा और अभावग्रस्त (वंचित) पाए जाने पर वह उस विशिष्ट योजना के लिए पात्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए कुछ घर-परिवार खाद्य सब्सिडी हेतु पात्र हो सकते हैं जबकि अन्य एलपीजी सब्सिडी के लिए पात्र हो सकते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना न केवल निर्धनता अपितु विभिन्न प्रकार के वंचनों को समाप्त करने में सहायता करेगी।

आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों को अनिवार्यत: नियमित रूप से विशेष रूप से सीमांतों पर स्थित एवं कालांतर में अपने अभावों (वंचनों) पर विजय प्राप्त कर चुके लाभार्थियों को हटाने के लिए अद्यतित किया जाना चाहिए, जो अन्यथा सार्वजनिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे।
- सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सरकार को "वास्तविक वंचित" लोगों को पृथक करने का उपयुक्त अवसर एवं दीर्घावधि में निर्धनता के उन्मूलन में सहायता प्रदान करती है।

7.2. दत्तक ग्रहण विनियमन 2017

(Adoption Regulations 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में वर्ष 2015 के गोद लेने हेतु दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करने के लिए केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) द्वारा गठित दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 को अधिसूचित किया।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA)

- यह किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है।
- यह भारतीय बच्चों के एडॉप्शन (गोद लेना) के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह अनाथ, परित्यक्त या आत्म समर्पण कर चुके बच्चों के मामलों को देखता है।
- यह हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन, 1993 के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के मामलों को देखता है ।

पृष्ठभूमि

- पहले विधिक रूप से गोद लेने का अधिकार केवल हिन्दू समुदाय को हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उपलब्ध था।
- अन्य समुदाय अभिभावक और प्रतिपालित अधिनियम, 1890 के अंतर्गत केवल कानूनी संरक्षक के रूप में भूमिका निभा सकते हैं।
- किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act) ने सभी समुदायों हेतु गोद लेने की प्रक्रिया के लिए एक समान संहिता का समर्थन किया।

संलग्न मुद्दे

- यह विनियमन गोद लेने की प्रक्रिया को विनियिमत करने के लिए संस्थागत प्रणाली स्थापित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता एवं जवाबदेही में बढ़ोत्तरी करता है।
- भारत में विश्व के बच्चों की सर्वाधिक जनसंख्या है।
- एडॉप्शन, नि:संतान दम्पत्तियों एवं बेघर बच्चों दोनों के लिए एक समाधान है। यह शोषणकारी माने जाने वाली सरोगेसी का विकल्प हो सकता है।

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 68 केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी बनाती है:

- अंत-देशीय एवं अंतर्राज्यीय एडॉप्शन को बढ़ावा देना।
- दत्त गोद लेने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में विनियम बनाना।
- अंत- हेग कन्वेंशन ऑन इंटर-कंट्री एडॉप्शन के अनुसार अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना।

विनियमन की आवश्यकता

- 2015 के दिशा-निर्देशों में किसी भी प्रकार की विधिक शक्तियाँ नहीं थीं, जबकि 2017 के विनियमनों में प्रवर्तन शक्तियाँ समाहित होंगी।
- ये विनियमन हितधारकों हेतु गोद लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, जन्म प्रमाण-पत्रों, पासपोर्ट, याचिकाओं हेतु आवेदन करने के लिए समय-सीमाएँ निर्धारित करेंगे।

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना मार्गदर्शन प्रणाली (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स इनफार्मेशन गाइडेंस सिस्टम: CARINGS)

- यह बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का ई-गवर्नेंस उपाय है।
- यह दत्तक ग्रहण के योग्य बच्चों एवं भावी दत्तक माता-पिता (PAPs) का केंद्रीकृत डेटा बैंक होगा।
- सभी जिला बाल संरक्षण इकाईयों को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन सूचना मार्गदर्शन प्रणालियों (CARINGS) से ऑनलाइन जोड़ा जाएगा।

विनिमयमन क्या कहता है?

- अंतरा-देशीय और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
- CARA गोद लेने के प्रत्येक मामले को CARINGS के माध्यम से किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत रिपोर्ट करेगा एवं सुविधाजनक बनाएगा।
- सुरक्षा उपायों के लिए, CARA गोद लिए गए बच्चों के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा एवं गोद लेने के बाद का फॉलोअप सुनिश्चित करेगा।
- वर्तमान में सौतेले माता-पिता (step parent) को किसी कानूनी जिम्मेदारी से बाहर रखते हुए **केवल जैविक माता-पिता या दत्तक माता-पिता को मान्यता** प्रदान की जाती है। यह विनिमयन–

✓ सौतेले माता-पिता को विधिक रूप से परिभाषित करता है।
✓ गोद लिए गए बच्चों के जन्म प्रमाण-पत्रों पर उनके (गोद लेने वालों के) नाम लिखे जाने की अनुमति प्रदान करता है।

- जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) पेशेवर या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल संधारित करेगी।
- तीन से अधिक बच्चों वाले दम्पत्ति केवल विशेष आवश्यकताओं को छोड़कर गोद लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

विनियमन का महत्व

- यह संवैधानिक अनुच्छेद 44 के अनुसार समान नागरिक संहिता की दिशा में किए जाने वाले सुधारों का भाग है।
- यह दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को सुचारु रुप प्रदान करने के लिए CARA एवं दत्तक ग्रहण एजेंसियों द्वारा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सामना की जाने वाली चुनौतियों का निराकरण करेगा।
- यह संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में दत्तक ग्रहण किए गए बच्चों को विधिक उत्तराधिकारी बनाता है।

चुनौतियाँ

- उचित कार्यान्वयन का अभाव दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को बच्चों के लिए शोषक बना सकता है।
- विनियमन की सफलता के लिए कार्यबल संबंधी क्षमता निर्माण एक पूर्व आवश्यकता है।

आगे की राह

- दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 गोद लेने की प्रक्रिया को सुचारु रूप प्रदान करने में सहायता करेगा। इसके अतिरिक्त CARA को उचित वित्तपोषण एवं कुशल कार्यबल द्वारा सशक्त करना इस क्षेत्र के बेहतर विनियमन में योगदान करेगा। यह बाल अधिकार और वयस्क अभिभावकता (adult parenthood) पूर्ण करने की दिशा में स्वागत-योग्य कदम है।

7.3. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016

(National Action Plan for Children, 2016)

सुर्ख़ियों में क्यों?

✓ बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NPAC), 2016 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (WCD) द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस आयोजित करने के लिए आरम्भ की गई थी।

राष्ट्रीय बाल नीति, 2013

- यह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देती है।
- इसका मानना है कि बच्चे समरूप समूह नहीं हैं तथा उन्हें भिन्न-भिन्न प्रकार की अनुक्रियाओं की आवश्यकता होती है।
- इसका उद्देश्य बच्चे के पालन-पोषण हेतु परिवार को सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना है।

- इसके अनुसार प्रत्येक बच्चे को सावर्भौमिक, अभिन्न और अविभाज्य मानव अधिकार प्राप्त हैं।
- इसके चार प्राथमिकता क्षेत्र हैं:
✓ जीवन रक्षा, स्वास्थ्य और पोषण
✓ शिक्षा और विकास
✓ बाल संरक्षण
✓ बच्चे की भागीदारी

संलग्न मुद्दे

- भारत में बच्चे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के अभाव से ग्रस्त सर्वाधिक सुभेद्य समुदायों में से एक हैं।
- वे विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जैसे निर्धन बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, बाल श्रम, बाल विवाह इत्यादि।
- संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध लोगों (विशेष रूप से बच्चों) को अधिकार प्रदान करता है एवं इसकी रक्षा को राज्य का कर्तव्य बनाता है ।

पहल की आवश्यकता

- बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति भारत सरकार (GOI) द्वारा 2013 में अपनाई गई थी।
- NPAC वर्ष 2013 की नीति को अपने प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत कार्रवाई करने योग्य रणनीतियों से जोड़ती है।.
- इसका उद्देश्य बाल अधिकारों पर ध्यान देने के लिए भारत सरकार एवं नागरिक समाज सहित सभी हितधारकों का समन्वय करना है।

भारत ने 2013 में उभरते मुद्दों के लिए राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत की और इसे कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना भी प्रस्तावित की।

कार्य योजना के प्रावधान

राष्ट्रीय बाल कार्य योजना, 2016 के कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं -

- **बाल जीवन, स्वास्थ्य और पोषण पर**

✓ यह मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल को सार्वभौमिक रूप प्रदान कर बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने में सहायता करेगी।
✓ यह सार्वभौमिक टीकाकरण जैसी पहलों के माध्यम से नवजातों की देखभाल पर भी जोर देगी।
✓ यह माँ और बच्चे की प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान और प्रसवोत्तर देखभाल के लिए समयोचित उपायों के माध्यम से मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं की रोकथाम करेगी।

- **शिक्षा और विकास पर**

✓ यह कार्ययोजना छ: वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन: ECCE) के लिए सार्वभौम और न्यायपूर्ण पहुँच प्रदान करेगी।
✓ यह सभी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर तक सस्ती और सुलभ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगी।

- **बाल संरक्षण पर**

✓ यह सभी स्तरों पर बाल संरक्षण के लिए विधायी, प्रशासनिक और संस्थागत निवारण तंत्रों को मजबूत बनाने में सहयोग करेगी

- **बाल भागीदारी पर**

✓ यह योजना सुनिश्चित करेगी कि बच्चे स्वयं से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लें।

कार्य योजना का महत्व

- NAPC संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) पर ध्यान देगी एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए रोडमैप प्रदान करेगी।
- NPAC बच्चों के लिए उभरती चिंताओं जैसे ऑनलाइन बाल दुर्व्यवहार, आपदाओं और जलवायु परिवर्तन आदि से प्रभावित बच्चों इत्यादि पर ध्यान केन्द्रित करती है।
- राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के अनुसार, NPAC, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय समन्वयन एवं कार्य समूह (NCAG) का निर्माण करेगा। यह योजना का समन्वयन, कार्यान्वयन एवं निरीक्षण करेगा।

7.4. खाद्य विनियमन

(Food Regulations)

7.4.1. खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण (फोर्टीफिकेशन) पर प्रारूप विनियम

(Draft Regulations on Fortification of Foods)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ के लिए खाद्य पदार्थों में फूड फोर्टीफिकेशन (खाद्य सुदृढ़ीकरण) की अनुमति देने के लिए मसौदा विनियमों को जारी किया है।

FSSAI

- FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार सांविधिक निकाय है।
- FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है।
- इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी विषयों के लिए संदर्भ बिंदु की स्थापना करना है।

विनियमन की आवश्यकता

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट में बार-बार भारत को उसकी स्थिर कुपोषण समस्या के संबंध में सचेत किया गया है।
- कुपोषण से बचने के लिए, एक व्यवहार्य समाधान फ़ूड फोर्टीफिकेशन है।

पृष्ठभूमि

- 2016 में "शिक्षा और स्वास्थ्य- सार्वभौमिक पहुँच और गुणवत्ता" पर सचिवों के समूह ने भारत में कुपोषण से निपटने के लिए नमक, दूध आदि जैसी खाद्य सामग्रियों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की सहायता से फ़ूड फोर्टीफिकेशन की आवश्यकता को चिन्हित किया था, जिसे 3 वर्षों में पूरा किया जाना है।
- फ़ूड फोर्टीफिकेशन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2016 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- 2017 में, FSSAI ने भी फ़ूड फोर्टीफिकेशन पर व्यापक प्रारूप नियमों का विमोचन किया है।

फ़ूड फोर्टीफिकेशन

- यह चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में उनकी पोषण सामग्री में सुधार करने के लिए लोहा, आयोडीन, जिंक, विटामिन A, D जैसे विटामिन और खनिजों का संयोजन है।
- ये पोषक तत्व प्रसंस्करण से पहले खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
- इससे सूक्ष्म पोषक तत्वों (विटामिन और खनिज) की कमी पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलेगी।
- इससे न तो वर्तमान खाद्य पैटर्न, आदतों में परिवर्तन आता है, न ही व्यक्तिगत अनुपालन में।

संलग्न मुद्दे

- फ़ूड फोर्टीफिकेशन अभी भी अनिवार्य नहीं है और यह केवल स्वैच्छिक पहलों तक सीमित है।
- फोर्टीफाइड फ़ूड (सुदृढ़ीकृत खाद्य) पदार्थों की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए कोई फोर्टीफिकेशन मानक उपलब्ध नहीं हैं।

विनियमन के संबंध में

- इन विनियमनों में नमक, तेल, दूध, वनस्पति, आटा, मैदा और चावल के फोर्टीफिकेशन के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।
- FSSAI सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिमाण और गंभीरता पर आधारित भारत सरकार (GOI) के आदेश के आधार पर खाद्य पदार्थों का फोर्टीफिकेशन अनिवार्य बना सकता है।
- यह खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों की न्यूनतम और अधिकतम सीमा परिभाषित करता है।
- गुणवत्ता आश्वासन के लिए, निम्नलिखित चरणों का प्रस्ताव किया गया है-

✓ FSSAI द्वारा अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला से अपेक्षित प्रमाणन।
✓ खरीदे जा रहे फोर्टीफिकेंट का स्रोत सहित रिकार्ड रखना।
✓ फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों का औचक परीक्षण।
✓ प्रसंस्करण चरणों की नियमित लेखा परीक्षा।
✓ FSSAI द्वारा यथा आदेशित उत्तम विनिर्माण पद्धतियों का अंगीकरण।

- सभी फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों, चाहे अनिवार्य हों या स्वैच्छिक, के पैकेज पर फोर्टीफिकेशन लोगो और फोर्टीफिकेंट का विवरण होना चाहिए।
- FSSAI फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों के उत्पादन, विनिर्माण, वितरण, बिक्री और उपभोग प्रोत्साहित करने के लिए निम्नोक्त तरीकों से उत्तनरदायी होगा-

✓ सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों में फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों के संबंध में सलाह देना।
✓ फोर्टीफाइड खाद्य पदार्थों पर जन जागरूकता, शिक्षा और समर्थन अभियानों का आयोजन करना।
✓ फोर्टीफिकेशन के संबंध में छोटे निर्माताओं के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
✓ खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन के लिए विनिर्माताओं हेतु सब्सिडी और ऋण जैसे वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए सरकारों को प्रोत्साहित करना।
✓ शिशु दुग्ध स्थानापन्न, दूध की बोतलें और शिशु खाद्य अधिनियम, 1992 के प्रावधान इस विनियमन से प्रभावित नहीं होंगे।

बायो-फोर्टीफिकेशन

- बायो-फोर्टीफिकेशन से कृषि पद्धतियों, पारंपरिक पादप प्रजनन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषणात्मक गुणवत्ता में सुधार आता है।

- पारंपरिक फोर्टीफिकेशन में फसल प्रसंस्करण के दौरान मैनुअल साधनों से फसल में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ाया जाता है जबकि इसके विपरीत बायो-फोर्टीफिकेशन पादप वृद्धि के चरण के दौरान ही फसलों में पोषक तत्वों का स्तर बढ़ा देता है।

इस विनियम का महत्व

- यह विनियम खाद्य पदार्थों के फोर्टीफिकेशन को बढ़ाने में FSSAI की विशिष्ट भूमिका के लिए प्रावधान करता है।
- यह वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार स्वास्थ्य गंभीरता के आधार पर खाद्य पदार्थों का फोर्टीफिकेशन अनिवार्य बनाने की अनुमति देता है।
- पहली बार फोर्टीफिकेशन के लिए एक लोगो होगा जिससे उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।
- यह प्रच्छन्न भूख (hidden hunger) अर्थात मानव शरीर में महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों के अभाव की समस्या हल करने में सहायता करेगा।
- यह खाद्य सुरक्षा के स्थान पर पोषणात्मक सुरक्षा प्राप्त करने की दिशा में ध्यान केंद्रित करता है।

चुनौतियां

- FSSAI के पास- फंड, पदाधिकारी/मानव शक्ति और कार्यों अर्थात् **3Fs** (Funds, Functionaries/Man power,Functions) का अभाव है। संभव है कि इन खामियों के कारण विनियम आरम्भ ही न हो पायें।
- यह विनियम स्पष्ट रूप से अपने कथित प्रावधानों का पालन नहीं होने पर अर्थदंड का प्रावधान नहीं करता है।
- अभी भी सभी आवश्यक खाद्य पदार्थों के लिए खाद्य पदार्थों का फोर्टीफिकेशन अनिवार्य नहीं होगा।
- बायो-फोर्टीफिकेशन का कोई उल्लेख नहीं है जिसकी पारंपरिक फूड फोर्टीफिकेशन की तुलना में बेहतर पहुंच है।

आगे की राह

- फोर्टीफिकेशन पहल, उच्च कुपोषण का मुकाबला करेगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देगी और साथ ही ग्राहक संतुष्टि में भी सुधार लाएगी। इसलिए इस महत्वपूर्ण पहल को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को अपनी संस्थागत संरचना और इसके समग्र कार्यान्वयन में सुधार करना होगा।

7.4.2. खाद्य कानूनों पर विधि आयोग की अनुशंसाएं

(Law Commission Recommendation on Food Laws)

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत खाद्य अपमिश्रण

- धारा 272 और 273 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) भी खाद्य अपमिश्रण के लिए दंडात्मक प्रावधान प्रदान करता है।
- खाद्य अधिनियम अधिकतम आजीवन कारावास के दण्ड का प्रावधान करता है।
- खाद्य अधिनियम की तुलना में, भारतीय दंड संहिता अधिकतम 6 महीने की कैद या एक हजार रुपए के जुर्माने या दोनों का प्रावधान करता है।
- उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य दण्ड को बढ़ा कर आजीवन कारावास
- करने और साथ ही जुर्माना भी बढ़ाने के लिए IPC में संशोधन के लिए कानून लेकर आए हैं।

सुर्ख़ियों में क्यों?

अपनी 264वीं रिपोर्ट में भारतीय विधि आयोग ने ऐसे व्यापारियों, कारोबारियों और दुकानदारों के लिए आजीवन कारावास की अनुशंसा की है जो अपने ग्राहकों को जानबूझकर मिलावटी या "हानिकारक" खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री करके उनकी मृत्यु के दोषी पाए जाते हैं।

खाद्य कानून आवश्यक क्यों है?

- बढ़ती दैनिक आवश्यकता और तेजी से विकसित हो रही जीवन शैली ने खाद्य पदार्थों और खाद्य उत्पाद बाजारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है जिसने खाद्य अपमिश्रण द्वारा जल्दी धन कमाने के लिए लोभी लोगों को अवसर प्रदान किया है।
- अधिकांश खाद्य अपमिश्रण बहुत हानिकारक और विषाक्त हैं जो नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरुप अंततः विभिन्न बीमारियां और यहां तक कि समय से पूर्व मृत्यु होती है।
- खाद्य कानून यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किए जाते हैं कि खाद्य सुरक्षा का स्वीकार्य न्यूनतम स्तर सुनिश्चित हो; और ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले मानक सख्ती से लागू किए जा सकें।

वर्तमान कानूनी ढांचा और इसकी आलोचनाएं

- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (खाद्य अधिनियम) पिछले सभी खाद्य कानूनों का समेकन करने के लिए लाया गया था, इस प्रकार यह खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित सभी विषयों के लिए एकल संदर्भ बिंदु का निर्माण करता है।
- यह एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण - खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (खाद्य प्राधिकरण) की स्थापना करता है, जिसके निम्नलिखित कार्य हैं-

✓ खाद्य सामग्रियों के लिए वैज्ञानिक मानक निर्धारित करना।

✓ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनका निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात विनियमित करना।

- राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के साथ खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत प्रासंगिक अपेक्षाओं और उसके प्रवर्तन की निगरानी और सत्यापन करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह अधिनियम खाद्य अधिनियम के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानकों के कुशल कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त और स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

विधि आयोग की अनुशंसाएं

- IPC की धारा 272 और 273 के दंडात्मक ढांचा को खाद्य अधिनियम और संहिता में राज्य द्वारा लाए संशोधनों में उल्लिखित वर्तमान दंड योजना के साथ समान स्तर पर लाने के लिए इनमें संशोधन किया जाना चाहिए।
- दण्ड मिलावटी खाद्य और पेय पदार्थ के उपभोग के कारण उपभोक्ता को हुई हानि के अनुपात के साथ वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
- ऐसे प्रकरणों में जहां खाद्य अपमिश्रण मृत्यु का कारण बना है, वहाँ अधिकतम दण्ड के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान करने के लिए IPC में संशोधन किया जाना चाहिए।

आगे की राह

कठोर दण्ड और अधिक जुर्माने का प्रावधान करने के लिए IPC में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह ऐसे असामाजिक व्यक्तियों के लिए निवारक के रूप में काम करे जो लोभ और लाभ के उद्देश्य से खाद्य अपमिश्रण में लिप्त हैं।

7.5. आय असमानता पर ऑक्सफेम की रिपोर्ट 2017

(Oxfam Report on Income Disparity 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय **गैर-सरकारी संगठन ऑक्सफेम** ने **'ऐन इकॉनमी फॉर 99%'** रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्टों की वार्षिक श्रृंखला का एक भाग है जिसे विश्व आर्थिक मंच की दावोस बैठक के आरंभ होने से ठीक पहले प्रकाशित किया जाता है।

निस्यन्दन सिद्धांत (ट्रिकल डाउन थ्योरी)

- यह आर्थिक विकास उत्प्रेरित करने के लिए व्यापारों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए कर छूट या अन्य वित्तीय लाभों का तर्क देता है।
- यह दो मान्यताओं पर टिका है:
  - ✓ संवृद्धि (growth) से समाज के सभी सदस्य लाभान्वित होने चाहिए।
  - ✓ उन लोगों से संवृद्धि में योगदान की संभावना अधिक होती है जो उत्पादक आउटपुट (productive output) में वृद्धि करने वाले कौशल और संसाधनों से युक्त हैं।

निहित मुद्दे

- समय के साथ असमानता बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, 21वीं सदी में थॉमस पिकेटी की कैपिटल, के अनुसार शीर्ष 1% की 300% की वृद्धि की तुलना में निम्नतम 50% की आय में वृद्धि शून्य रही है ।
- विश्व की जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद आय असमानता बढ़ती जा रही है, जो इस दुष्चक्र में आगे और योगदान देगी।
- यह ट्रिकल-डाउन सिद्धांत की विफलता है।
- इससे पता चलता है कि बाजार हमेशा सही नहीं होता है और सरकार की कल्याणकारी भूमिका समय की मांग है।
- धनसंपत्ति संकेंद्रित करना महात्मा गांधी द्वारा यथा प्रतिपादित ट्रस्टीशिप और सर्वोदय जैसी नैतिक अवधारणाओं के विरूद्ध है।
- संविधान के अनुच्छेद 38 का उद्देश्य है कि राज्य आय में असमानता कम से कम करे और दर्जे और अवसर में असमानता समाप्त करे। अत: ऑक्सफेम की रिपोर्ट शासन की विफलता दर्शाती है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 1989, बाजार विस्तारवाद और व्यक्तिवाद के विचारों पर केन्द्रित वाशिंगटन सहमति के उद्भव का साक्षी बना।
- 1990 के दशक में, भारत ने अभिप्रेरण (inducement) द्वारा नियोजन पर केंद्रित **मिश्रित अर्थव्यवस्था** अपनाई।
- सरकार को व्यापक नीति तैयार करनी थी और निजी क्षेत्र को उन रूपरेखाओं के भीतर काम करना था।
- 2016 में, बराक ओबामा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कहा था - "ऐसा विश्व कभी स्थिर नहीं होगा जिसमें 1% मानवता उतनी धनसंपत्ति पर नियंत्रण रखती है जितनी कि निम्नतम 99% के पास है।"

रिपोर्ट के निष्कर्ष

- विश्व के शीर्ष 8 अरबपतियों की कुल संपत्ति (इनमें से 6 अमेरिका के हैं) विश्व की निम्नतम 50% आबादी की संपत्ति की तुलना में अधिक है।
- विश्व की निम्नतम 50% आबादी के पास विश्व की संपत्ति का मात्र 0.2% है।
- भारत के सबसे धनी 1% देश के कुल धनसंपत्ति के 58% पर नियंत्रण रखते है- जो 50 प्रतिशत के वैश्विक आंकड़े की तुलना में अधिक है।
- भारत की शीर्ष सूचना कंपनियों के CEO अपनी कंपनी के आम कर्मचारी के वेतन से 416 गुना अधिक आय अर्जित करते हैं।

बढ़ती आय असमानता के कारण

- समाज के लाभ के लिए करों का भुगतान किए बिना अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के लिए कर परिहार और कर अपवंचन। टैक्स हैवन्स की गोपनीयता इसकी पूरक है।

- जाति, लिंग, जाति, धर्म आदि में मजदूरी भेदभाव
- काले धन के कारण समानांतर अर्थव्यवस्था का अस्तित्व भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है और असमानता बढ़ाता है।
- निर्वाह कृषि जैसे कम भुगतान वाले क्षेत्रों में संकेंद्रित बड़ी आबादी ।
- क्रोनी कैपिटलिज्म की उपस्थिति। उदाहरण के लिए, ऑक्सफेम ने अपनी 2016 की रिपोर्ट 'ऐन इकॉनमी फॉर 1%' में अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग कर सरकार की नीतियों को आकार देते हुए निगमों को दिखाया है।

आय असमानता के परिणाम

- यह कम मजदूरी वाले लोगों के उपभोग के स्तर में कमी लाती है इस प्रकार मांग कम करती है और विकास को धीमा करती है।
- निम्न कर संग्रह मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं में व्यय की कमी का कारण बनता है जिससे आगे रोजगार प्रभावित होता है।
- अपनी स्थिति बदलने के लिए पिछड़ों के पास पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन जारी रहता है।
- भौतिकवादी और उपभोगवादी व्यवहार को बढ़ावा मिलता है जिससे मानवता में भावनात्मक जुड़ाव में कमी आती है।
- बढ़ती असमानता से पर्यावरण का अति दोहन होता है। उदाहरण के लिए समृद्धिशाली लोग संसाधनों की बर्बादी द्वारा जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं।
- इससे समाज में अपराध और असुरक्षा बढ़ती है।
- राजनीतिक परिदृश्य में मौद्रिक प्रभाव से समानता, निष्पक्षता और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का ह्रास होता है। उदाहरण के लिए, असमानता दक्षिणपंथी पार्टियों के उदय का एक कारण है।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- कृषि को सभी के लिए लाभदायक बनाने हेतु सरकार भूमि पट्टे पर देने जैसे कृषि भूमि सुधारों का अनुसरण कर रही है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है।
- प्रत्यक्ष सब्सिडी और शुल्कों की छूट के रूप में MSME उद्योगों को समर्थन दिया जा रहा है।
- मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- क्षेत्रीय आर्थिक असमानता पर अंकुश लगाने के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र विकास जैसे विशेष क्षेत्र कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- भारत ने भी कर परिहार पर अंकुश लगाने के लिए अपने दोहरे कर परिहार समझौते में संशोधन किया है।
- सरकार सभी के लिए सार्वभौमिक मूलभूत आय आरंभ करने की योजना भी बना रही है।

असमानता पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक उपाय

- ऑक्सफेम का सुझाव है कि हर किसी को लाभान्वित करने वाली मानव अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का समय आ गया है। यह सुझाव देता है कि सबसे धनी लोग अपनी धनसंपत्ति से कुछ रचनात्मक करें।
- विश्वस्तर पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
- भेदभाव को रोकने के लिए व्यवहार संबंधी परिवर्तन की आवश्यकता है।
- कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
- कर जानकारी और आसूचना साझा करने के लिए सहयोग में वृद्धि की आवश्यकता है।

आगे की राह

- असमानताएं कम करने के लिए SDG 10 को लागू करने हेतु भारत को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। श्रमिकों, महिलाओं के अधिकारों के हित में काम करने वाली जवाबदेह और दूरदर्शी सरकार, व्यवसाय और निष्पक्ष कराधान की मजबूत प्रणाली, इस भयावह असमानता को कम करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।

7.6. हरियाणा में लिंगानुपात

(Sex Ratio in Haryana)

सुर्खियों में क्यों?

- विगत दो दशकों में पहली बार हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (**Sex Ratio at Birth:**SRB) ने 900 के आंकड़े को छुआ। दिसम्बर 2016 में SRB 914 अंकित किया गया था।
- SRB प्रति 1000 बालक शिशु पर जन्मी बालिका शिशुओं की संख्या को संदर्भित करता है।

हरियाणा: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार

- औसत राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 की तुलना में, यहाँ प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 877 है, जो संपूर्ण देश में निम्नतर है।
- सभी राज्यों के औसत राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 की तुलना में, निम्नतर शिशु लिंगानुपात (0-6 वर्ष) 834 भी यहीं अंकित किया गया था।

उठाए गए कदम:

- जनवरी 2015 में केन्द्र सरकार द्वारा पानीपत में ***बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ*** **(BBBP)** अभियान से राज्य में लिंगानुपात की निराशाजनक स्थिति में प्रारम्भिक सुधार और प्रेरणा मिली है।
- जिला स्तर पर सभी विभागों में कन्वर्जेन्स, सहयोग और समन्वय को कठोरता से लागू किया गया।

- कार्यक्रम की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष B3P प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी।
- राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि **प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डाइगनोस्टिक टेक्नीक (PCPNDT) एक्ट, 1994** और **मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP)** एक्ट का कठोरता से पालन हो।
- राज्य सरकार ने लिंग-चयन, लिंग-चयनात्मक गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध व्यापक अभियान आरम्भ किये।
- शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित बैठकें, रैलियां और नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु **"सेल्फी विथ डॉटर"** जैसे अभियान भी बहुत सफल हुए।
- दीपा मलिक, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, बबिता फोगाट जैसी हरियाणा की बेटियों द्वारा खेलों में देश के लिए सम्मान प्राप्त करने से इस उद्देश्य को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्राप्त हुआ।
- राज्य सरकार की हाल ही की कुछ योजनाएं जैसे "**आपकी बेटी हमारी बेटी**", "**हरियाणा कन्या कोष**" इस दिशा मे सही कदम सिद्ध हुए।

चुनौतियाँ:

- भारत में अभी भी पुरुष प्रधान मानसिकता व्याप्त है, जिसमें बेटियों की तुलना में बेटों को प्राथमिकता दी जाती है।
- पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पंजाब, दिल्ली के अल्ट्रासाउंड केन्द्रों में तेजी से बढ़ती अवैध प्रैक्टिस, जहाँ माता-पिता को कुछ धन के बदले, भ्रूण के लिंग के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।

आगे की राह

- चिकित्सकों, झोलाछाप चिकित्सकों और अवैध अल्ट्रासाउंड केन्द्रों के बीच खतरनाक सांठगाठ पर कड़ी कार्यवाही के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय आवश्यक है।
- अब समय आ गया है कि इसे समझा जाए कि कोई भी समाज यदि अपनी आधी जनसंख्या के साथ भेदभाव करता है, तो वह समृद्ध नहीं हो सकता।
- बालिकाओं को शिक्षित करने एवं उन्हें बालकों के समकक्ष लाने हेतु प्रोत्साहन देने से दीर्घकाल में उच्च लिंगानुपात का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

हरियाणा सरकार की योजनाएं:

- ***आपकी बेटी हमारी बेटी* योजना:**

✓ राज्य में घटते बाल लिंगानुपात की समस्या का सामना करने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी।
✓ इस योजना के अनुसार 22 जनवरी 2015 के पश्चात SC और BPL परिवारों में जन्मी पहली बालिका 21000 रूपये प्राप्त करने हेतु पात्र है।
✓ इसी प्रकार से 22 जनवरी 2015 के पश्चात सभी परिवारों में जन्मी दूसरी बालिका को 21000 रूपये प्राप्त होंगे।
✓ जिन परिवारों में जुड़वां बालिकाएं या इससे अधिक बालिकाएं जन्म लेती हैं उन्हें प्रति बालिका 21000 रूपये प्राप्त होंगे। यह राशि हरियाणा कन्या कोष से दी जाएगी।

- **हरियाणा कन्या कोष:**

✓ यह एक विशेष निधि है, जिसे राज्य की बालिकाओं और महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु स्थापित किया गया है।
✓ निर्धन और अनुसूचित जातियों के परिवारों की बालिकाओं के लिए इस कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
✓ बालिकाओं के कल्याण हेतु इस निधि में कोई भी व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है।

7.7. मोटे अनाज: भोजन एवं कृषि का भविष्य

(Millets: Future of Food and Farming)

सुर्खियों में क्यों?

- मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए **स्मार्ट फूड (SF)** नामक पहल (जिसमें मोटे अनाज और ज्वार को प्रचलित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है) को '**लॉन्च (LAUNCH)** फूड प्रोग्राम' द्वारा वर्ष 2017 के उत्कृष्ट नवोन्मेषों में चुना गया।

मोटे अनाज क्या हैं?

- यह छोटे दाने वाले घास प्रजाति के अनाज की फसल है।
- मोटे अनाज को दानों के आकार के आधार पर बड़े (ज्वार और बाजरा) और छोटे अनाजों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। कुछ समय पूर्व तक, इस वर्गीकरण को इन फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संकेतक के रूप में भी देखा जाता था।
- यद्यपि छोटे अनाज सभी राज्यों/क्षेत्रों मे उगाए जाते हैं, किसी विशिष्ट मोटे अनाज का वितरण एक समान नहीं है।

मोटे अनाजों के लाभ:

- ये जलवायु-परिवर्तन अनुकुल फसलें होती हैं, क्योंकि यह गर्म वातावरण एवं अनिश्चित वर्षा को सहन कर सकती हैं। उदाहरण के लिए मोटे अनाज सरलता से जलवायु परिवर्तन सहन कर सकते हैं, जबकि गेहूं की फसल ताप-संवेदनशील होती है।
- ये आश्चर्यजनक रूप से निम्न जल उपभोगी फसलें हैं। उदाहरण के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए गन्ना और केले की तुलना में 25% कम तथा धान की तुलना में 30% कम वर्षा की आवश्यकता होती है। भविष्य में जहां जल और खाद्य संकट की चुनौती विद्यमान हो, ऐसे स्थानों में मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।
- मानव शरीर को कई लाभ प्रदान करते हैं, जैसे:
  - ✓ हृदयरोग और मधुमेह के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।
  - ✓ खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करते हैं।
  - ✓ ये क्षारीय प्रकृति के हैं, इसलिए सरलता से पच जाते हैं।
  - ✓ स्तन कैंसर से बचाव करते हैं।
  - ✓ शरीर को डीटाक्सकेट (detoxicate) करते हैं तथा रक्तचाप कम करने में प्रभावी हैं।
  - ✓ कब्ज, अत्यधिक गैस, पेट के फूलने और मरोड़ (bloating and cramping) जैसी समस्याओं का सरलता से समाधान करते हैं।
  - ✓ किडनी, लीवर को अनुकूल बनाने एवं स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रतिरोधक रूप से कार्य करने मे सहायक हैं।

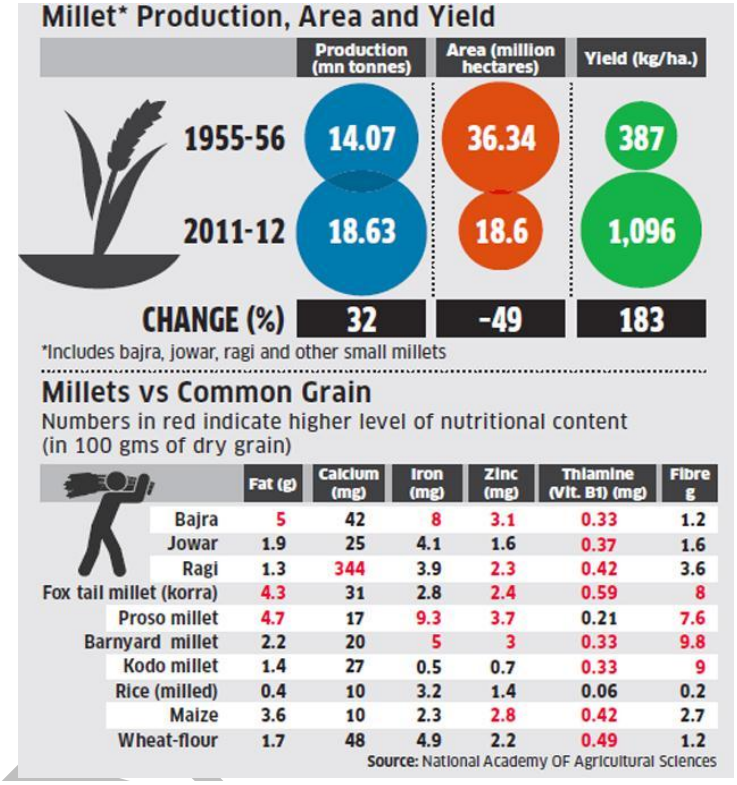

- अधिकांश मोटे अनाजों को अत्यंत अनुपजाऊ मृदा में भी उगाया जा सकता है। कुछ को अम्लीय एवं कुछ को क्षारीय मृदा में उगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान की रेतीली मिट्टी में बाजरा उगाया जा सकता है। रागी क्षारीय मिट्टी में भी भलीभांति उगाई जा सकती है।

आगे की राह

- मोटे अनाजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन का भाग बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे निर्धन लोगों और बच्चों को कम लागत पर पोषक भोजन प्रदान कर उनके पोषण स्तर में वृद्धि हो सकती है।
- मोटे अनाजों की कृषि के अंतर्गत अधिकतम कृषि क्षेत्र को लाने हेतु इसे किसानों के लिए लाभप्रद बनाने की आवश्यकता है। किसानों को इनकी कृषि के लिए बहुविधि रणनीतियों जैसे सब्सिडी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आदि प्रदान किया जाना चाहिए।
- उपभोक्ताओं को इनके पोषण संबंधी लाभों के बारे में संवेदनशील बनाना।

7.8. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

(Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

- नववर्ष की संध्या पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, कि प्रत्येक गर्भवती महिला को अस्पताल में ठहरने, टीकाकरण और पोषण के लिए 6000 रूपए प्रदान किए जाएंगे।

यह क्या है?

- गर्भवती महिलाओं को यह लाभ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, जिसे UPA सरकार द्वारा वर्ष 2010 में प्रारम्भ किया गया था।
- यह योजना 53 जिलों में प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की गई थी।
- हालाँकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ने इसकी सार्वभौमिक पहुँच को अनिवार्य बना दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अनुच्छेद 4(b) में कहा गया है कि प्रत्येक गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला कम से कम 6000 रूपये के मातृत्व लाभ की अधिकारी है।
- मूल रूप से IGMSY में 4000 रूपये प्रदान किए जाते थे, जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ बढ़ा कर 6000 रूपये कर दिया गया है। नकद हस्तान्तरण की यह योजना 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं हेतु दो जीवित बच्चों तक ही लागू होती है।

- सभी गर्भवती महिलाएं इसकी पात्र हैं, जब तक कि उन्होंने पहले से ही अपने नियोक्ताओं (निजी या सरकारी किसी भी क्षेत्र के) से सवैतनिक अवकाश (पेड लीव) या कोई मातृत्व सहायता प्राप्त न की हो।

नए सुधार:

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना बनाई है कि 6000 रूपये के इस लाभ को तीन किश्तों मे पहले दो जीवित बच्चों के जन्म के लिए दिया जायेगा।
- राज्य इस लागत का 40% वहन करेंगे और शेष राशि केन्द्र द्वारा प्रदान की जाएगी।
- केन्द्र सरकार ने अपने 2017-18 के बजट में, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 2700 करोड़ रूपए की राशि आवंटित की है।

प्रतिबंधक कारक (Limiting Factors):

- इस तथ्य के बावजूद कि यह योजना लगभग तीन वर्ष से चल रही थी, इसका सफलतापूर्वक कार्यान्वयन नहीं हो रहा था। इसका मुख्य कारण धन का अभाव है।
- एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना में केवल दो जीवित बच्चों के जन्म तक ही यह सहायता प्रदान की जाती है, इस वजह से 15-49 आयु वर्ग की 60 प्रतिशत महिलाएं इससे बाहर हो जाती हैं।
- ये प्रमुख रूप से आदिवासी महिलाएं हैं, जो औसतन 3 से 7 बार गर्भ धारण करती हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

योजना का महत्त्व:

- योजना के उचित कार्यान्वयन से बाल मृत्यु दर, गर्भावस्था और शिशु जन्म की जटिलताओं से होने वाली मृत्यु दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- इस योजना का व्यापक लाभ कामकाजी महिलाओं को, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को होगा।

7.9. अन अधिसूचित, ख़ानाबदोश और अर्ध-ख़ानाबदोश जनजाति (डिनोटीफाईड, नोमैडिक एंड सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स)

(Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes)

सुर्खियों में क्यों?

- ख़ानाबदोश, अर्ध-ख़ानाबदोश और अन अधिसूचित जनजातियों पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- जहां इनमें से कुछ समुदाय SCs/STs और OBC के अंतर्गत मान्यता चाहते हैं, वहीं कुछ अन्य DNTs/NTs के रूप में मान्यता चाहते हैं।

पृष्ठभूमि:

- औपनिवेशिक शासनकाल में, यदि किसी स्थानीय सरकार को यह विश्वास हो जाता था कि कोई जनजाति समूह **"व्यवस्थित रूप से गैर-जमानती अपराध करने का आदी है"** तो उसको **अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871** के अंतर्गत एक **अपराधिक जनजाति** के रूप में पंजीकृत कर दिया जाता था।
- उनके आवगमन पर प्रतिबंध लगाए जाते थे और उस समुदाय के वयस्क पुरुष सदस्यों को नियमित रूप से पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ता था।
- इसके पश्चात् **अपराधिक जनजाति अधिनियम, 1924** आया। इसके अंतर्गत स्थानीय सरकारें सुधार विद्यालयों की स्थापना कर सकती थीं, जिसमें वे अपराधिक जनजाति बच्चों को उनके माता-पिता और सरंक्षकों से अलग कर इन विद्यालयों मे डाल सकती थीं।
- अनंथासयान्म आयंगर समिति (1949-50) समिति ने सम्पूर्ण भारत में अपराधिक जनजाति अधिनियम (CTA) के कार्य के सम्बन्ध में एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की।

✓ इसने ब्रिटिश क्षेत्रों में 116 और रियासती क्षेत्रों में 200 जनजातियों को सूचीबद्ध किया।

✓ इसने सुझाव दिया कि CTA को समाप्त कर देना चाहिए और बिना किसी जाति, पन्थ और वंश के भेदभाव के सभी पेशेवर अपराधियों के लिए एक केन्द्रीय अधिनियम बनाया जाना चाहिए।

- वर्ष 1949 में CTA को निरस्त कर दिया गया और उसके स्थान पर **आभ्यासिक अपराधी अधिनियम, 1951** लाया गया।
- वर्ष 2002 में न्यायमूर्ति वेंकटचेलैया आयोग ने DNTs के आर्थिक और शैक्षणिक विकास के कार्यक्रमों को सशक्त बनाने की संस्तुति की। इसने DNTs की आवश्यकताओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक विशेष आयोग के गठन की संस्तुति भी की।
- इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में एक **राष्ट्रीय अन-अधिसूचित, ख़ानाबदोश एवं अर्ध-ख़ानाबदोश जनजाति आयोग** की स्थापना की गई।

ख़ानाबदोश, अर्ध ख़ानाबदोश और अन-अधिसूचित जनजातियों के लिए चुनौतियाँ:

- इस समुदाय के लोग अभी भी रूढ़िबद्ध परंपरा पर चल रहे हैं। उनमें से कई पर तो भूतपूर्व अपराधिक जनजाति का ठप्पा लगा है।
- उन्हें आर्थिक कठिनाइयों और विरक्ति का भी सामना करना पड़ता है।
- उनके अधिकांश पारंपरिक व्यवसाय जैसे सँपेरे, सड़कों पर कलाबाजी और जानवरों के साथ खेल प्रदर्शन को आपराधिक गतिविधि के रूप मे अधिसूचित कर दिया गया है, जिससे इनको आजीविका उपार्जित करना कठिन हो गया है।
- वे किसी आरक्षित श्रेणी में भी नहीं आते हैं, इसलिए सरकार द्वारा उन्हें शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों मे किसी प्रकार के आरक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

संस्तुतियां:

- वर्तमान स्थिति में अन अधिसूचित जनजाति को उनके अतीत से हट कर देखने की आवश्यकता है।
- इन समुदायों को SCs/ST और OBC श्रेणी मे सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि वे अति-आवश्यक आरक्षण की सुविधा का लाभ उठा सकें।
- राज्य स्तर पर शिकायत निवारण समितियों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी समस्याओं की पहचान हो सके और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

ख़ानाबदोश, अर्ध ख़ानाबदोश और अन अधिसूचित जनजाति में अंतर:

- "अनुसूचित जाति" शब्द पहली बार भारत के संविधान में प्रकट हुआ। अनुच्छेद 366 (25) उन्हें ऐसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इस संविधान के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति माना गया है।
- उन्हें अनुसूचित इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उन्हें संविधान की एक अनुसूची में सम्मिलित किया गया है।
- मूल रूप से ये लोग आदिवासी क्षेत्रों में रहते थे (मुख्यतः वनों में)।
- ख़ानाबदोश और अन अधिसूचित जनजाति दोनों ही CTA के अंतर्गत अपराधिक जनजाति माने जाते थे।
- ख़ानाबदोश जनजाति का शब्दिक अर्थ है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं।

7.10. सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम

(Universal Immunisation Programme:UIP)

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP)

- सर्वप्रथम, वर्ष 1985 में चरणबद्ध ढंग से लांच किया गया था।
- UIP में ऐसी निवारक औषधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिसको प्राप्त करने का अधिकार भारत में जन्मे प्रत्येक शिशु को है।
- अभी तक, UIP बॉस्केट में 10 वैक्सीन शामिल हैं, जो निम्न हैं:
- तपेदिक, डिफ्थीरिया पर्टुसिस (कुक्कुर खांसी), टिटनेस, मायलाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, डायरिया, जापानी एन्सेफलाइटिस और न्यूमोनिया।

सुर्खियों में क्यों?

- भारत सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत दो नए वैक्सीन : **खसरा-रूबेला (MR) वैक्सीन एवं न्यूमोकोकल कान्जगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine: PCV)** आरम्भ करने जा रही है।
- इसके अतिरिक्त पांच राज्यों में रोटावायरस वैक्सीन को भी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) में सम्मिलित किया जा रहा है।

खसरा-रूबेला वैक्सीन (Measles-Rubella Vaccine)

- खसरा एक विषाणुजनित संक्रमण है, जो मुख्य रूप से, बच्चों को प्रभावित करता है और विश्व भर में बच्चों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। खसरा वैक्सीन, विश्व भर में इसके प्रसार को रोकने में अत्यधिक सफल जानी जाती रही है।
- दूसरी ओर रूबेला एक विषाणुजनित संक्रमण है, जिसमें त्वचा पर लाल चकत्ते उभर आते हैं।
- रूबेला को जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है, जो भारत में प्रतिवर्ष जन्मे लगभग 25000 बच्चों को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है।

- इसके लक्षणों में मोतियाबिन्द एवं बहरापन शामिल हैं। यह हृदय एवं मस्तिष्क को भी प्रभावित कर सकता है।
- खसरा-रूबेला वैक्सीन फरवरी में पांच राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और तमिलनाडु में आरम्भ की जाएगी।
- खसरा-रूबेला वैक्सीन के शुरू हो जाने के पश्चात् मोनोवैलन्ट खसरा वैक्सीन (वर्तमान में UIP का भाग) को बन्द कर दिया जाएगा।

न्यूमोकोकल कान्जगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine:PCV)

- PCV, न्यूमोकोकल कुल के अनेक जीवाणुओं का मिश्रण है।
- न्यूमोकोकल जीवाणु जनित निमोनिया सबसे आम तौर पर सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रकारों में से एक है।
- अनुमान के अनुसार निमोनिया, भारत में 5 वर्ष की आयु के अन्दर होने वाली शिशु मृत्यु के 20 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।
- मार्च 2017 से, PCV को हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों एवं बिहार में आरम्भ किया जाएगा।
- डेढ़ महीने, साढ़े तीन महीने एवं नौ महीने की अवधि पर तीन खुराक दी जाएंगी।

रोटावायरस वैक्सीन

- रोटावायरस वैक्सीन, सर्वप्रथम अप्रैल 2006 में UIP में सम्मिलित की गई थी।
- डायरिया का सबसे सामान्य कारण रोटावायरस संक्रमण है।
- यह वैक्सीन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और आन्ध्रप्रदेश में दी जाती है। फरवरी से, यह असम, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य-प्रदेश और तमिलनाडु में UIP का भाग होगी।

7.11. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

(Varishtha Pension Bima Yojana: VPBY)

- केंद्रीय कैबिनेट ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना को अनुमोदित कर दिया है तथा यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के माध्यम से 1 अप्रैल 2017 से लागू की जाएगी।

यह क्या है?

- विमुद्रीकरण के बाद बैकों ने सावधि जमाओं पर ब्याज दरें घटा दीं, इसलिए वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा हेतु सरकार ने VPBY की घोषणा की है।
- इस योजना को, 10 वर्ष के लिए 8 प्रतिशत की गारंटीकृत ब्याज दर के साथ घोषित किया गया है।
- भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उत्पादित प्रतिफल (रिटर्न) एवं गारंटीकृत 8 प्रतिशत ब्याज दर के मध्य अन्तराल की क्षतिपूर्ति, भारतीय जीवन बीमा निगम को दी गई सब्सिडी के माध्यम से की जाएगी।
- यह योजना लॉन्च किए जाने की तिथि से एक वर्ष तक सब्स्क्रिप्शन के लिए खुली रहेगी।
- सब्सक्राइबर मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं।
- वरिष्ठ नागरिक 7.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं।

लाभ

- इस योजना का सर्वाधिक लाभदायक पक्ष यह है, कि ब्याज दर को अगले 10 वर्ष के लिए नियत कर दिया गया है।
- हालांकि, वर्तमान में इसी तरह की या इससे बेहतर ब्याज दर युक्त प्रतिस्पर्धी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है, कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के अनुसार इनकी ब्याज दरें निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. बुद्धवनम परियोजना

(Buddhavanam Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, भूटान की राजमाता आशी दोरजी वांग्मो वांगचुक ने नलगोंडा जिले (तेलंगाना) के नागार्जुन सागर बांध क्षेत्र में बुद्धवनम परियोजना का दौरा किया।

बुद्धवनम परियोजना के संबंध में

- यह तेलंगाना राज्य पर्यटन विकास निगम (TSTDC) का बौद्ध विरासत थीम पार्क है, जिसकी परिकल्पना वर्ष 2005 में की गई थी।
- ऐतिहासिक रूप से, यह वह स्थान था जहाँ आचार्य नागार्जुन ने विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्य केंद्र था।
- यह बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं का चित्रण करने वाले कई विषयगत क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाली देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है।

आचार्य नागार्जुन (दूसरे बुद्ध/ चिकित्सक बुद्ध के रूप में भी प्रसिद्ध) के संबंध में

- वह महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक (मध्य मार्ग) संप्रदाय के दार्शनिक और संस्थापक थे।
- वह स्वयं बुद्ध के बाद सबसे प्रभावशाली बौद्ध विचारक थे।
- उन्हें आयुर्वेद के प्राचीन विद्वानों और शिक्षकों में से एक माना जाता है।

8.2. हक्की पिक्की

(Hakki Pikki)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- कर्नाटक सरकार ने हक्की-पिक्की समुदाय के सदस्यों का स्थायी रूप से पुनर्वास करने का निर्णय लिया है।
- पूर्व में अन्य समुदाय के सदस्यों द्वारा विरोध किए जाने के बाद इस समुदाय के लगभग 150 व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश महिलाएँ और बच्चे थे, को श्रीरंगपटनम में मोगेरहल्ली की सरकारी भूमि से बलपूर्वक निकाल दिया गया था।

हक्की-पिक्की समुदाय के संबंध में

- यह जनजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में पाई जाती है और इसकी प्रकृति (स्वभाव) अर्द्ध-यायावर है।
- कहा जाता है कि इस जनजातीय समुदाय का संबंध राणा प्रताप से है और ये क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं।
- ये जनजाति मातृसत्तात्मक नियमों का पालन करती हैं और इनमें सगोत्र विवाह कठोरतापूर्वक वर्जित है।
- इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना है, किन्तु ये कृषि और पुष्प सज्जा में अधिक रुचि प्रदर्शित करते हैं।
- ये अपनी स्थानीय बोली वाघरी, कन्नड़, तमिल और हिंदी के अच्छे जानकार हैं और इनमें से कुछ मलयालम और तेलुगु भी बोलते हैं।
- ये दीवाली, शिवरात्रि, युगादि, गणेश चतुर्थी इत्यादि विभिन्न त्योहार मनाते हैं एवं पशुबलि की प्रथा का पालन करते हैं।

8.3. कराई कोलक्कनाथम

(Karai Kolakkanatham)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India:GSI) ने राज्य सरकार को कर्नाटक के पेराम्बलुर जिले के कराई-कोलक्कनाथम के जीवाश्म निक्षेपों का संरक्षण करने का परामर्श दिया है।
- यह विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है जहां संपूर्ण भूवैज्ञानिक अनुक्रम संरक्षित है, जिससे संकेत प्राप्त होता है कि यह स्थल दीर्घावधि तक जलमग्न बना रहा है।
- यहाँ पाए जाने वाले जीवाश्म लगभग 110 मिलियन वर्ष पुराने हैं।
- ये जीवाश्म पिरामिड जैसी संरचनाओं में पाए जाते हैं और यहाँ पशुओं एवं अन्य समुद्री प्रजातियों के सम्पूर्ण आकार पूर्णतः संरक्षित रहे हैं।
- नवंबर 2016 में, राज्य पर्यटन विभाग ने GSI की अनुशंसाओं पर संपूर्ण क्षेत्र को "भूवैज्ञानिक विरासत स्थल" के रूप में घोषित किया था।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)

- यह खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयला भंडारों की खोज करने के लिए की गई थी।
- इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं खनिज संसाधन आकलन का निर्माण करना एवं उसे अद्यतन करना है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है।

भूवैज्ञानिक विरासत स्थल (GHS)

- GSI संरक्षण, सुरक्षा और रख-रखाव हेतु भूवैज्ञानिक धरोहर स्थलों/ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों की घोषणा करता है।
- GSI या संबंधित राज्य सरकारें इन स्थलों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक उपाय करते हैं।

8.4. केम्पे गौडा काल का मंडप

(Kempe Gowda ERA Mantapa)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में बेंगलुरू में होसकेरेहल्ली झील में अवगादन(desilting) कार्य के दौरान केम्पे-गौडा काल के माने जाने वाले ऐतिहासिक अवशेष का उत्खनन किया गया, जिसे मंडप (mantapa) कहा जाता है।
- यह धूसर-काले ग्रेनाइट का बना हुआ है।

मंडप

- यह चार स्तम्भों वाली संरचना होती है, जिसमें छत एवं फर्श दोनों सम्मिलित होते हैं, जो वस्तुत: पाषाण पट्टिकाएँ होती हैं।
- यह पुष्प नक्काशियों से सुसज्जित होता है, जबकि छत पर एक गड्ढा होता है जो पालने (क्रेडल) जैसा प्रतीत होता है।
- स्थानीय रूप से इसे गंगाम्माना थोट्टिलु (गंगा जी का पालना) के नाम से जाना जाता है।

केम्पे गौडा कौन थे?

- ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत एक सामंत थे, जिन्होंने 16 वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के अधिकांश भाग पर शासन किया।
- ये बेंगलुरु नगर के संस्थापक माने जाते हैं। एक कथा के अनुसार, इन्होंने 16 वीं शताब्दी में होसकेरेहल्ली झील का निर्माण किया।

8.5. सावित्रीबाई फुले

(Savitribai Phule)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में गूगल ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले को उनकी 186वीं जन्म वर्षगांठ पर डूडल के रूप में श्रद्धांजलि दी।

सावित्रीबाई फुले के संबंध में

- इनका जन्म नायगाँव, महाराष्ट्र में 3 जनवरी, 1831 को समृद्ध और प्रभावशाली किसान परिवार में हुआ था।
- यद्यपि इनका विवाह केवल 9 वर्ष की आयु में ही ज्योतिराव फूले के साथ हो गया था लेकिन ये अध्ययन करने के लिए प्रतिबद्ध थीं और अपने युग की कुछ ही शिक्षित स्थानीय महिलाओं में से एक थीं।
- इस दम्पत्ति ने पुणे में 1848 में बालिकाओं के लिए भारत का पहला विद्यालय स्थापित किया, जब तत्कालीन समाज में स्त्री शिक्षा को निषिद्ध माना जाता था।
- दंपति ने गर्भवती बलात्कार पीड़िताओं के लिए **"बालहत्या प्रतिबंधक गृह"** नामक देखभाल केंद्र भी खोला।
- इन्होंने अपने समय में प्रचलित सामाजिक बुराइयों जैसे बाल विवाह, बाल विधवाओं, सतीप्रथा, अछूतों द्वारा अनुभव किए जाने वाले अनुचित व्यवहार और अपमान के विरुद्ध संघर्ष किया।
- इन्होंने 1897 में पुणे में गिल्टी प्लेग (bubonic plague) के पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक खोला, लेकिन इसी वर्ष वह इस रोग का शिकार हो गईं।
- इनकी कविताओं की दो पुस्तकें मरणोपरांत प्रकाशित हुई थीं – **काव्य फुले** एवं **बावन काशी सुबोध** रत्नाकर।

8.6. तांगलिया बुनाई

(Tangalia Weaving)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार **तांगलिया बुनकरों** को करघे के मूल्य की 90% मात्रा तक वित्तपोषण प्रदान कर करघे की खरीदारी करने में सहयोग करेगी।

तांगलिया बुनाई क्या है?

- यह 700 वर्ष प्राचीन स्वदेशी शिल्पकला है, जो सूती या ऊनी धागों का प्रयोग करके कुछ बिंदुओं से लेकर अधिकाधिक विस्तृत व्यवस्था वाले 'दानों' (danas) या 'मोतियों' (beads) से निर्मित थीम समाविष्ट करने वाली विशिष्ट बुनाई तकनीक का उपयोग करती है।
- इसका अभ्यास **केवल** गुजरात के **सुरेंद्रनगर जिले** में **डांगसिया (Dangasia) समुदाय** द्वारा किया जाता है।
- तांगलिया परिधान का प्रयोग सामान्यत: **भारवाड़ गड़रिया समुदाय** की महिलाओं द्वारा शॉल के रूप में और लपेटे जाने वाले घाघरे के रूप में किया जाता है।

- तांगलिया शॉल को केन्द्र सरकार द्वारा 2009 में **भौगोलिक संकेतक (GI)** की मान्यता प्रदान की गई है।

डांगसिया समुदाय

- डांगसिया शब्द डांग शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। स्थानीय भाषा में डांग का अर्थ छड़ी होता है। यह गड़रियों द्वारा अपने भेड़ों के झुंड को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छड़ी का वाचक है।
- डांगसिया **हिंदू धर्म** का अनुपालन करते हैं। वे **देवी पार्वती** के एक रूप **चामुंडा देवी** में विश्वास करते हैं एवं नवरात्रि मनाते हैं।
- वे सभी प्रमुख हिंदू त्यौहारों जैसे होली, दीवाली, उत्तरायण और जन्माष्टमी मनाते हैं और साथ ही साथ अन्य स्थानीय त्यौहारों एवं मेलों में सक्रिय भागीदारी करते हैं।
- वे **भारवाडों** के साथ सहजीवी संबंध साझा करते हैं, जहाँ भारवाड़ ऊन प्रदान करते हैं और डांगसिया उनके लिए वस्त्र बुनते हैं।

8.7. विरासत का अपमान

(Disrespecting Heritage)

प्रसंग

- संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में दी गई एक टिप्पणी प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 में संशोधनों का प्रस्ताव देती है।
- यह संरक्षित स्थलों में नवीन निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार को विधिक शक्तियाँ प्रदान करेगा।

विरासत का महत्व

- निर्मित विरासत महत्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति है और संविधान की सातवीं अनुसूची में उसी रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह स्थानों के संबंध में हमारी सामूहिक स्मृतियों को पोषण प्रदान करती है और शहरों की पहचान का महत्वपूर्ण अवयव है।
- इसमें न केवल इतिहास एवं कला अपितु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में भी हमारे ज्ञान में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की अमूल्य क्षमता विद्यमान है।
- देश भर में कई इमारतें और स्थल, यहां तक कि ऐतिहासिक नगरों के संपूर्ण क्षेत्र या कुछ भाग, संधारणीय विकास के उदाहरण हैं।
- इस प्रकार के संसाधनों से प्राप्त ज्ञान, विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने हेतु रचनात्मक उपाय प्रदान कर सकता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(f) के अनुसार हमारी सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना हमारा मूल कर्तव्य भी है।

संघ सूची (Union List)

संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।

राज्य सूची (State List)

राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख।

विकास बनाम विरासत

- औपनिवेशिक काल से उत्पन्न होने वाले इस पुराने कानून को समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि, सर्वेक्षण और प्रलेखन के बिना संरक्षण अवांछनीय है।
- भौतिक योजना एवं शहरी विकास विरासत के मूल्य की उपेक्षा कर सकते हैं।
- विरासत स्थल पर्यटन उद्योग हेतु आय प्राप्ति के साधन मात्र बनकर सीमित हो सकते हैं।
- विरासत के संरक्षण को मानव आवश्यकता एवं विकास हेतु प्राथमिकता के रूप में देखा जाना चाहिए।

मुद्दे

- यदि 2016 का यह विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रीय महत्व की संरक्षित परिसम्पत्तियों के सन्निकट ही इस प्रकार का निर्माण हो सकता है।
- ऐतिहासिक संरचनाएँ एवं पुरातात्विक अवशेष इस क्षेत्र में भारी कंपनों, रासायनिक प्रभावों या यांत्रिक प्रतिबलों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं।
- संरक्षित स्थलों पर नवीन निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार को विधिक शक्तियाँ प्रदान करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण (NMA) जैसे वर्तमान निकायों का दमन करेगा।

टिप्पणी में दिए गए प्रस्ताव: प्रस्ताव में उचित ठहराई गई तीन में से दो परियोजनाओं में विरोधाभास है।

- अकबर के मकबरे के निकट ऊंची सड़क का निर्माण।
  - ✓ यह ऐतिहासिक संरचना की दर्शनीयता को विरूपित कर देगा।
  - ✓ यातायात की गतिविधि और ऑटोमोबाइल के धुएं से सुसज्जित चित्रित प्रवेशद्वार दागदार हो जाएगा।
  - ✓ निकटवर्ती क्षेत्र में संचालित होने वाली क्रेन एवं अन्य उपकरण अत्यधिक कंपन उत्पन्न करेंगे।
- पाटन, गुजरात में स्थित रानी-की-वाव को एक रेलमार्ग ट्रैक के निर्माण की साईट बनाया जाना प्रस्तावित था।

9. नैतिकता

(ETHICS)

9.1. फेक न्यूज़ और मीडिया नैतिकता

(Fake News and Media Ethics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पाकिस्तान द्वारा सीरिया में थल सेना भेजे जाने पर इजरायल द्वारा परमाणु हथियारों का उपयोग किए जाने का निश्चय किए जाने संबंधी फेक न्यूज़ रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इजराइल को प्रतिकारी परमाणु हमला करने की धमकी दी।

पोस्ट ट्रुथ (Post truth)

- यह ऐसी परिस्थितियों को व्यक्त करता है जिसमें वस्तुनिष्ठ तथ्यों के बजाय भावना और व्यक्तिगत विश्वास से सम्बंधित अपीलें जनता की राय को आकार देने में अधिक समर्थ हो जाती हैं।
- यह अधिकतर राजनीति के संबंध में देखा जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही के अमेरिकी चुनाव।

निहित मुद्दे

फेक न्यूज़, तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार होता है जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर निर्मित किया जाता है ताकि लाभ प्राप्त हो सके।

- इंटरनेट और सामाजिक मीडिया के प्रभाव के साथ यह विशेष रूप से बढ़ रहा है। यह पोस्ट ट्रुथ की स्थिति है।
- सार्वजनिक बनाम निजी हित का मुद्दा अर्थात् शक्ति प्राप्त प्राधिकारी की सार्वजनिक हितों के लिए कार्य करने की जिम्मेदारी न कि स्वार्थपूर्ण-लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य करना।

समाविष्ट नैतिक प्रश्न	क्या किया जाना चाहिए
1. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार बनाम नैतिक जानकारी उत्पन्न करने की जिम्मेदारी।	• प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके पास अपने विचारों को व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। • लेकिन यह उत्तरदायी संस्था भी है। इसे अपने निजी लक्ष्यों की तुलना में अपने सार्वजनिक कर्तव्यों से समझौता नहीं करना चाहिए।
2. गलत जानकारी वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद एवं निरीक्षण तथा सुधार की भावना विकसित करने के नैतिक कर्तव्य के विरुद्ध है।	• प्रेस द्वारा प्रसारित की गई सूचना वृहत् जनसंख्या तक पहुँचती है। • इसलिए सूचना नकली और अंध-विश्वासपूर्ण न होकर निष्पक्ष एवं जनता के हित की होनी चाहिए।

गलत सूचना के प्रभाव

- **राजनीतिक प्रभाव**

✓ गलत सूचना लोकतांत्रिक आदर्शों एवं सिद्धांतों को क्षति पहुँचाती है। उदाहरण के लिए हिलेरी क्लिंटन से सम्बंधित एक पिज़्ज़ेरिया में बच्चों की तस्करी से जुड़े गिरोह के संचालित होने की फेक न्यूज़ के आधार पर वाशिंगटन डीसी पिज़्ज़ेरिया में हुई गोलीबारी की घटना।

✓ यह सुशासन में समस्यायें उत्पन्न कर सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय करेंसी के ₹2000 रु. के नए नोट में जीपीएस ट्रैकिंग चिप होने की नकली खबर ने कुछ लोगों को भ्रमित कर दिया।

- **आर्थिक प्रभाव**

✓ गलत सूचना बाजार विफलताओं का कारण बन सकती है। उदाहरण के लिए कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शेयरों में कुछ लोगों द्वारा किये गए ट्वीट के कारण गिरावट देखी गयी।

- **सामाजिक प्रभाव**

✓ झूठे प्रचार (propaganda) और समाचार आतंकवादी कट्टरता का उदय होने के कारणों में से रहे हैं।

✓ यह सार्वजनिक भाईचारे की भावना को बाधित करती है तथा असहिष्णुता को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए झूठी ऑनलाइन धमकियों के कारण बेंगलुरु से असमिया लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन।

✓ यह मानवीय सभ्यता में अंतर्निहित विश्वास की नींव को धीरे-धीरे नष्ट कर सकती है।

क्या किया जाना चाहिए?

- फेक न्यूज़ को विधिक रूप से परिभाषित किया जाए।
- उक्त परिभाषा का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था हेतु भारी दंडात्मक उपाय।
- समस्याओं (मुद्दों) का समाधान करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र एवं माध्यम होने चाहिए।
- यूनाइटेड किंगडम में **लॉर्ड जस्टिस लेवेसन ने मीडिया स्व-नियमन पर अनुशंसाएँ प्रदान कीं,** जैसे -

✓ विषयवस्तु को नियंत्रित करने के लिए स्वतंत्र निकायों का गठन।

✓ कठोर आंतरिक संपादकीय और विज्ञापन मानक।

✓ मीडिया स्वतंत्रता की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य।

✓ पत्रकारों के लिए विसल ब्लोअर हॉटलाइन।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मीडिया की स्वायत्तता के साथ ध्येयपरक विषयवस्तु विनियमन (objective content regulation) को संतुलित करने के लिए स्व-विनियमन महत्वपूर्ण है।
- विषयवस्तु की जांच और फीडबैक को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच डिजिटल मीडिया साक्षरता।
- ऑनलाइन परिसंचारित होने वाली जानकारी की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए तकनीकी समाधान भी आवश्यक हैं।

मीडिया क्षेत्रक में अन्य नैतिक समस्यायें

- **क्रॉस मीडिया स्वामित्व**- विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी इत्यादि के बीच निगमीकरण हित-संघर्ष उत्पन्न करता है। यह एकाधिकार प्रथाओं को भी बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए इनाडु टीवी समूह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के अप्रत्यक्ष निवेश द्वारा क्रास-मीडिया आधिपत्य स्थापित करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की जांच-पड़ताल।
- **पेड न्यूज** पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण निर्मित करती है और झूठे प्रचार को प्रसारित करती है। उदाहरण के लिए भारतीय चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर नज़र रखता है।
- **पीत पत्रकारिता** (Yellow journalism) समाचार को सनसनी का रूप देना केवल दर्शकों की संख्या को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए मीडिया द्वारा मुंबई आतंकवादी हमलों की लाइव रिकार्डिंग।
- **मीडिया ट्रायल** द्वारा निष्पक्ष न्याय वितरण में हस्तक्षेप किया जाना। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अभिस्वीकार किया कि मीडिया ट्रायल ने मुठभेड़ में हुई हत्याओं के मामले में हस्तक्षेप किया।

9.2. पशु अधिकार बनाम परंपराएँ

(Animal rights vs traditions)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों को पारंपरिक लड़ाइयों के लिए तैयार किए गए मुर्गों को जब्त करने की अनुमति प्रदान करने संबंधी आन्ध्र-प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
- यह लड़ाइयाँ आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में किसानों द्वारा पोंगल/संक्रान्ति समारोहों के भाग के रूप में आयोजित की जाती हैं।

पृष्ठभूमि

- हाल ही में भारत में पशुओं से दुर्व्यवहार की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है उदाहरण के लिए कुत्तों को छत से फेंकना, हाल की में शक्तिमान नामक घोड़े की जान लेने की घटना इत्यादि।
- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एवं पेटा (PETA) वर्तमान में पशु अधिकारों के सक्रिय समर्थक रहे हैं।

निहित मुद्दे

- क्या पशुओं के अपने अधिकार हैं या उनके अधिकार मानव अधिकारों के अधीन हैं।
- "किसी राष्ट्र की महानता एवं उसकी नैतिक प्रगति का निर्धारण इसके द्वारा अपने पशुओं से किए जाने वाले व्यवहार से लगाया जा सकता है।" महात्मा गांधी

समाविष्ट नैतिक प्रश्न	क्या किया जाना चाहिए
• अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का अधिकार बनाम पशुओं के अधिकारों को बढ़ावा देना।	• संस्कृति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए किन्तु यह कार्य पशुओं पर अत्याचार की अनुमति प्रदान करने की कीमत पर नहीं दिया जाना चाहिए।
• पशुओं के प्रति संवेदना को बढ़ावा देने का नैतिक कर्तव्य	• मानवों को अन्य जीवों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए।
• किसान पशुओं का पालन-पोषण आजीविका के साधनों के रूप में करते हैं और इसलिए अपनी आजीविका हेतु पशुओं पर नियंत्रण का अधिकार रखते हैं।	• अनुच्छेद 19(1)(g) - उपजीविका का अधिकार – कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। इसलिए मनुष्य आजीविका का कोई भी साधन चुन सकता है। • लेकिन आजीविका प्राप्ति के साधन उचित भी होने चाहिए। • पशुओं का पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पशु को खरीदने वाला व्यक्ति उसे कष्ट देने के लिए तो नहीं खरीद रहा है।
• परंपरा के नाम पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जैसे नियमों तथा कानूनों का उल्लंघन।	• कानून सार्वभौमिक है और समानता का बढ़ावा देता है। कानूनों का उल्लंघन करने के लिए परंपरा कोई कारण नहीं होनी चाहिए।

परंपरा बनाम पशु अधिकार पर न्यायिक निर्णय

- भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराज और अन्य (2014) – सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु जल्लीकट्टू कानून को निरस्त कर दिया और इसे निषिद्ध कर दिया। इसने अनुच्छेद 21 को विस्तारित कर इसमें पशुओं तथा मानवों समेत "प्रत्येक प्रजाति" को सम्मिलित कर लिया।
- वर्ष 2014 का गौरी मौलेखी मामला – सर्वोच्च न्यायालय ने गधीमाई महोत्सव में पशु बलिदान के लिए नेपाल हेतु पशुओं के अवैध

परिवहन को निषिद्ध कर दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने केरल की मंदिर प्रबंधन व्यवस्थाओं को बन्दी हाथियों पर अत्याचार किए जाने पर आपराधिक अभियोजन की चेतावनी दी।
- कर्नाटक के तटीय जिले 1000 साल पुराने पारंपरिक खेल कम्बाला अर्थात् भैंस दौड़ पर लगाए गए निषेध को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक ने जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इसे निषिद्ध कर दिया था।

पशुओं के प्रति क्रूरता के अन्य मामले

- आजीविका के नाम पर सर्कस के जानवरों को कष्ट दिया जाना।
- सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशज पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखने पर प्रश्न उठाए तथा उनके उड़ान भरने के मूल अधिकार का पक्ष-समर्थन किया। सर्वोच्च न्यायालय यहां पालतू पक्षियों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- जंतुओं पर परीक्षण, पशु का शिकार किया जाना इत्यादि भी जंतुओं पर क्रूरता के कार्य हैं।

पशु अधिकारों का विश्लेषण

- **पशु अधिकार स्वतंत्र न होने के संबंध में तर्क**

✓ पशु मानवों की भांति विचार नहीं करते हैं।
✓ पशु पृथ्वी पर मानवों की सेवा करने के लिए हैं। उदाहरण के लिए विशेष रूप से निर्धन अर्थव्यवस्थाओं में पशुओं को आजीविका के साधन के रूप में देखा जाता है।
✓ जैव विविधता और अमूर्त विरासतों पर कन्वेंशन के अंतर्गत प्राचीन पारंपरिक प्रथाओं को अपवादस्वरूप छोड़ देने की प्रथा है क्योंकि वे उचित विनियमन के साथ सम्पन्न की जाती हैं।
✓ परंपरा देशी पशुओं का पालन-पोषण करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

- **पशुओं के स्वतंत्र अधिकार होने के पक्ष में तर्क**

✓ उनमें अपना विवेक होता है और वे मानवों की भांति प्रेम एवं कष्ट का अनुभव कर सकते हैं।
✓ अन्य जीवों के प्रति दया का भाव रखना मानवों का नैतिक कर्तव्य है।
✓ अंतरराष्ट्रीय समुदाय पशु अधिकारों पर अब विचारशील होता जा रहा है। जैसे केटलोनिआ राज्य ने बुलफाइटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
✓ परंपरा के आधार पर पशुओं का शोषण किया नहीं जा सकता। यदि परंपरा सर्वोच्च होती तो यहां तक कि सती प्रथा भी उचित थी।
✓ परंपरा के स्थान पर विज्ञान जैव विविधता को अधिक बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- उद्योग छद्मरूप से जारी रखे जाने की संभावना समाहित करने वाले एकल आधारीय प्रतिबंध के स्थान पर पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु अधिकाधिक विनियमन की आवश्यकता है। प्रतिबंध मूल समस्याओं का समाधान नहीं है। भारत जैसे बहुसांस्कृतिक समाज में परंपरा और पशुओं के अधिकारों के बीच संतुलन से समाधान उत्पन्न होगा। इस सन्दर्भ में जागरूकता कार्यक्रम पहला कदम हो सकता है।

9.3. डेरेक परफिट

(Derek Parfit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- महान दार्शनिक और नैतिक विचारक डेरेक परफिट का देहांत हो गया। उन्होंने Reasons and Persons (1984) और On What Matters (2011) जैसी पुस्तकें लिखी थीं।
- उनका काम महत्वपूर्ण था क्योंकि उनके तर्क की प्रकृति और नैतिकता की वस्तुनिष्ठता ने समकालीन विचारकों के लिए केंद्रीय चिंता के रूप में नैतिकता को पुनर्स्थापित किया है।

उनके विचार

- **व्यक्तिगत पहचान पर:** (बौद्ध धर्म के बहुत निकट)- उनका निष्कर्ष है कि – "पहचान वह चीज नहीं है जो महत्व् रखती है, जो चीज महत्व रखती है वह है सही प्रकार के हेतुक के साथ मनोवैज्ञानिक संयुक्तता और/या मनोवैज्ञानिक सांतत्य।"
- **त्रिपक्षीय सिद्धांत:** सार्वभौमिक नैतिकता के लिए समर्थन: परफिट ने नैतिकता के तीन प्रतिस्पर्धी सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया- एक परिसंकल्पनात्मक संविदा के विचार पर आधारित था (थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो), दूसरा पूर्णतया कार्य के परिणामों पर आधारित था (उपयोगितावाद, सुखवाद, कर्म सिद्धांत आदि) और तीसरा कांट की कर्तव्य की संकल्पना पर आधारित था [परिणाम निरपेक्ष (डिऑन्टोलॉजी)]।
- उन्होंने तर्क दिया कि तीनों संप्रदायों के दार्शनिक, वास्तव में "एक ही पर्वत पर अलग-अलग तरफ से चढ़ रहे" थे।
- **समता का समर्थन:** जो चीज महत्त्व रखती है वह औसत भलाई, न कि कुल भलाई है।
- **संपन्न लोगों द्वारा वापस देने के नैतिक दायित्व का समर्थन किया:**

✓ उन्होंने प्रभावशाली परोपकारिता आंदोलन में भाग लिया। यह तर्क देता है कि लोगों पर वह करने का दायित्व है जो वे इस संसार को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शाकाहार अपनाना, प्रभावी परोपकारों के लिए अपनी आय का कम से कम 10 प्रतिशत दान करना इत्यादि।

- ✓ वह यह भी तर्क देते हैं कि: संसार में निर्धनतम लोगों को प्राप्त दुखदैन्य और शीघ्र होने वाली कई मौतें, वस्तुतः इन्हें रोकने में संपन्न लोगों की विफलता का द्योतक है।
- ✓ सायंकालीन मनोरंजन पर व्यय किया जाने वाला धन कुछ गरीब लोगों को मृत्यु, अंधापन, या पुरानी और गंभीर पीड़ा से बचा सकता है।
- ✓ आप अपनी धनसंपत्ति नहीं दे रहे: (भारतीय विचार के निकट कि व्यक्ति मात्र 'कर्ता' है जिसके द्वारा 'कार्य' किया जा रहा है। ये कार्य उसके 'कर्म' से नियत है)
- ✓ वह यह भी तर्क देते हैं कि व्यक्ति का मंतव्य गलत है कि यह दान दी जा रही संपत्ति उसकी है। यह धनसंपत्ति केवल कानूनी रूप से उसकी है। लेकिन इन निर्धनतम लोगों का उसकी कुछ धनसंपत्ति पर काफी अधिक मजबूत नैतिक दावा है।

- **विश्व स्तर पर बहुपक्षीय और सामूहिक कार्रवाईयों का समर्थन किया:**

- ✓ वह अस्तित्व संबंधी जोखिम निवारित करने के महत्व का समर्थन करते हैं जिसने मानवता का भविष्य खतरे में डाल दिया है एवं ग्लोबल वार्मिंग, महामारियों, परमाणु विनाश आदि जैसे जोखिमों की आशंका पैदा की है।
- ✓ अभी जो चीज सबसे अधिक महत्व रखती है वह यह है कि हम मानवता के अस्तित्व के लिए विभिन्न जोखिमों का कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। हम इनमें से कुछ जोखिमों का निर्माण कर रहे हैं और खोज कर रहे हैं कि हम इन तथा अन्य जोखिमों का कैसे प्रत्युत्तर दे सकते हैं। यदि हम इन जोखिमों को कम कर देते हैं और मानवता अगली कुछ सदियों तक बची रहती है, तो हमारे वंशज या उत्तराधिकारी इस आकाशगंगा में फैलकर इन जोखिमों को समाप्त कर सकते हैं।
- ✓ जीवन अद्भुत होने के साथ ही भयानक भी हो सकते हैं, और हमारे पास जीवन अच्छा बनाने की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी।

डेरेक परफिट का प्रसिद्ध विचार प्रयोग:

- परफिट हमसे कल्पना करने के लिए कहते हैं कि वह दुर्घटना में घातक रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क अधिकांशत: हानिरहित रहता है। उनके दो भाई भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और मस्तिष्कीय रूप से मृत हो जाते हैं, लेकिन शरीर स्वस्थ बना रहता है। तब चिकित्सक उनके स्वस्थ मस्तिष्क को दो अर्द्धभागों में विभाजित करते हैं और उनके प्रत्येक भाई के शरीर में आधा-आधा प्रत्यारोपित करते हैं।
- "भविष्य में दो लोग होंगे, जिनमें से प्रत्येक का मेरे भाइयों में से एक का शरीर और मेरे साथ पूर्णतया मानसिक सांतत्य होगा, क्योंकि उसमें मेरा आधा मस्तिष्क होगा,"
- यदि पहचान महत्व रखती है, तो यह परिणाम मृत्यु जितना बुरा होगा, क्योंकि दोनों ही अपनी पहचान मिटा लेंगे। लेकिन यह स्पष्ट रूप से मृत्यु जितना बुरा नहीं है, उसका मनोवैज्ञानिक अस्तित्व दो बार आगे बढ़ना जारी रखेगा। इसलिए पहचान वह चीज नहीं है जो महत्व रखती है।

9.4. छेड़छाड़: बंगलुरू केस स्टडी

(Molestation: Bengaluru Case Study)

अतिरिक्त जानकारी

- भारतीय दंड संहिता(IPC) में छेड़छाड़ से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं, जैसेकि:
- ✓ IPC की धारा 354 किसी महिला का शील भंग करने के अभिप्राय से उस पर आक्रमण से संबंधित है।
- ✓ IPC की धारा 509 महिला के शील के प्रति अनादर से संबंधित अपराधों से संबंधित है।
- 2015 के राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो(NCRB) के आंकड़ों के अनुसार भारत में महिलाओं के प्रति कुल अपराधों में से 25% (पिछले वर्ष की तुलना में 0.2% की वृद्धि) से भी अधिक अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 2-3% (2014 की तुलना 10.8% तक कमी आई है) IPC की धारा 509 के अंतर्गत थे।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत की IT राजधानी बेंगलुरू में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पार्टी में गयी महिलाओं से छेड़खानी की गई।

कारण

- भारत जैसे पितृसत्तात्मक समाज में, पुरुष यह मानने के आदी हैं कि महिलाएं उनके अधिकार में हैं और इसलिए वे उनको ऐसी वस्तु के रूप में देखते हैं जिसका आनंद के लिए पुरूषों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।
- घर एवं कार्यस्थल पर लोग या उनकी मित्र मंडली क्या कहेगी? इसका भय पीड़ित और न्याय की उसकी तलाश के बीच दीवार के रूप में कार्य कर सकता है।
- प्रतिघात का भय जैसेकि हमलावर वापस आ सकते हैं और अधिक हानि पहुँचा सकते हैं, जो कुछ प्रकरणों में एसिड हमलों जितना गंभीर हो सकता है, महिलाओं को दुर्व्यवहार के प्रकरणों की सूचना देने से पीछे खींचता है।

- यहाँ तक कि यदि पीड़िता पुलिस थाने जाने के लिए पर्याप्त साहस जुटा भी लेती है और शिकायत दर्ज कराती है तो प्राय: वह पुलिस के उदासीन और प्रतिकूल व्यवहार से हतोत्साहित होती हैं।
- एक और भी कारण कष्टप्रद और लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो बाधा का काम करती है।
- आज भी अधिकांश मामलों में अभियुक्त के लिए जमानत पाना काफी आसान है क्योंकि जमानत राशि प्राय: नाममात्र होती है। यह वैसे पुरूषों में लापरवाह रवैया उत्पन्न करता है।
- अंत में, भारत में 'पर्सनालिटी कल्ट' की प्रवृत्ति के कारण विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का गैर-जिम्मेदार वक्तव्य पुरूषों सत्ता के मनोविज्ञान को सशक्त करते हैं ।

चुनौतियाँ

पितृसत्ता के तत्व निम्न कारणों से मजबूत हो रहे हैं:

- राजनीतिक दृष्टिकोण: उदाहरण के लिए हिंसा का दोष "पश्चिमी संस्कृति" पर मढ़ने का कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर का प्रयास
- मीडिया / सिनेमा: महिलाओं का वस्तुकरण (उदाहरण के लिए: आइटम सॉंग आदि)
- लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिए: पुरुषों के लिए शक्ति पर बल देना और महिलाओं के लिए भीरुता, कोमलता और परवशता पर बल देना स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि महिलाओं द्वारा किसी भी रूप में हिंसा चाहे वह शारीरिक, मौखिक या व्यवहारात्मक हो स्वीकार की जानी चाहिए)
- **आर्थिक नि:शक्तिकरण:**

✓ कार्यबल: महिलाओं को कम वेतन, निचली श्रेणी पर नियुक्त किया जाना आदि।

✓ सेवा और विनिर्माण से संबंधित कॉर्पोरेट जगत में ग्लास सीलिंग।

✓ पुरुषों ने विषम रूप से राजनीति और सरकारी सेवाओं में नेतृत्व के शीर्ष पदों पर अधिकार जमा रखा है।

- पारंपरिक परिवार की संरचना: 'मुखिया' के रूप में पुरूष और ''पालन-पोषणकर्ता' के रूप में महिलाओं वाला पारंपरिक परिवार अभी भी प्रचलित है। महिलाओं से अधिकार और निर्णय लेने की कोई भी शक्ति छीनने से उनका नि:शक्तकरण होता है।
- महिलाएं यह सब सहती हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही चुप रहना सिखाया जाता है।

अन्य चिंताएँ

- **प्रशासनिक लोकाचार:** उदाहरण के लिए: असंवेदनशील पुलिस। महिलाओं के प्रति समानुभूति, सहिष्णुता और करूणा और आवश्यक संवेदीकरण की आवश्यकता है।
- **सामाजिक संस्कृति:** यदि महिला अपने लिए न्याय मांगना चाहती है, तो उस पर त्यौरियां चढ़ाई जाती हैं और पारंपरिक मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए उसे तिरस्कार पूर्ण ढंग से देखा जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है: बंगलुरू घटना में लगभग कोई मामला दर्ज या पंजीकृत नहीं किया गया।
- **नैतिक दृष्टिकोण:** उदाहरण के लिए: शराब पीने वाली, धूम्रपान करने वाली और/या '*स्किन रिवीलिंग*' कपड़े पहनने वाली महिलाओं को अनैतिक और/या पुरुषों की तलाश करने वाली महिलाओं के रूप में देखना।

समाधान: अधिक CCTV कैमरों, पुलिस, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से निगरानी और सुरक्षा बढ़ाना इस हेतु निवारक उपाय हैं। लेकिन वास्तविक समाधान युवाओं (पुरुषों और महिलाओं दोनों) की मानसिकता में परिवर्तन लाने में निहित है:

- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता:** लड़कों और पुरुषों को प्रमाणिक रूप से अपनी भावनाएं संप्रेषित करना और सहानुभूतिपूर्ण ढंग से दूसरों की भावनाएं सुनना सिखाना। इससे वे महिलाओं की स्थिति और दुर्दशा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनेंगे।
- **सहिष्णुता और समग्रता:** उन महिलाओं का भी सम्मान किया जाना चाहिए जो पश्चिमी मानकों को जी रही हैं।
- **व्यापक यौन शिक्षा का कार्यान्वयन:** यदि, महिलाओं की सहमति की समझ तथा उसे महत्त्व दिया जाना, गर्भनिरोधक और सेक्स का अधिक ज्ञान, यह समझ होना कि बलात्कार वास्तव में क्या है; जैसी जानकारियाँ दी जाएँ तो स्वस्थ संबंधों के पनपने की बहुत अधिक संभावना होगी। इस हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जाने चाहिए:

✓ सूचना और शिक्षा अभियान।

✓ हमारी सामाजिक मान्यताओं में बदलाव होना चाहिए।(उदाहरण के लिए: अक्सर फिल्मों में, पुरुष द्वारा प्रेम निवेदन हेतु महिलाओं का पीछा करना (stalking) सामान्य समझा जाता है, और महिला की सहमति को आवश्यक नहीं माना जाता।)

- यौन हिंसा से निपटने के लिए सामूहिक जवाबदेही प्रणाली का निर्माण करना।

✓ गंभीर यौन अपराधियों के लिए *नेमिंग और शेमिंग* विधि

✓ कम्युनिटी पुलिसिंग

- पुरुषों को प्रशिक्षित करना और यह दृष्टिकोण मजबूत बनाना कि पुरुषों को पितृसत्तात्मकता से निपटने में सक्रिय होना चाहिए। पुरुषों को अन्य पुरुषों को उनके पितृसत्तात्मक सोच और सेक्सिस्ट विचारों/कार्यों पर चुनौती देनी चाहिए।
- महिलाओं को सशक्त बनाकर परिवार की मानसिकता परिवर्तित करना। वह लड़का जो प्रतिदिन देखता है कि उसकी मां को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है, यह सीख सकता है कि महिलाएं समान सम्मान के लायक नहीं हैं। ऐसा परिवर्तन (उदाहरण के लिए: DWACRA जैसे स्वयं सहायता समूह) केवल शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण द्वारा किया जा सकता है।

- यह युवा ही हैं जिनके कंधों पर वैश्विक प्रगतिशील, समावेशी और सहिष्णु समाज का निर्माण करने का उत्तरदायित्व है।

दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए, पितृसत्तात्मकता के मूल गुण लक्षित किए जाने चाहिए:

- पारंपरिक पुरुषोचित गुण को केंद्र में रखना, जबकि अन्य गुण अधीनस्थ मानना।
- भूमिकाओं की द्वैतवादी और लिंगभेद समाहित करने वाली सोच। (उदाहरण के लिए: हाल तक भारतीय सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं में महिलाओं की नियुक्ति की अनुमति नहीं थी)
- परंपरागत पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाओं का संरक्षण। (उदाहरण के लिए: खाप पंचायतों, नैतिक पुलिसिंग, लव जिहाद आदि के माध्यम से)
- पुरूष मानते हैं कि पितृसत्तात्मक और सेक्सिस्ट विचारों/कार्यों पर अन्य पुरुषों को चुनौती देने की बजाय उन्हें चुप रहना चाहिए।

10. सुर्ख़ियों में

(ALSO IN NEWS)

10.1. शहरीकरण और अवैध कालोनियां

(Urbanization and Illegal Colonies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की याचिका अस्वीकार कर दी।
- न्यायालय ने उद्धृत किया कि अतीत में अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने से अतिक्रमण करने वालों को प्रोत्साहन मिला है।
- इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण के पीछे एक मुख्य कारण शहर आने वाले नए प्रवासियों के लिए उचित बंदोबस्त का अभाव है।

अवैध कॉलोनियों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियां

- इससे शहरी नियोजन प्रभावित होता है और उचित जल निकासी, सीवेज प्रणाली और जलापूर्ति उपलब्ध कराना कठिन हो जाता है।
- चूंकि मकानों का निर्माण निर्धारित पैटर्न के अंतर्गत नहीं किया गया है (जैसे कि ग्रिड प्रणाली), इसलिए उचित सड़कों का निर्माण अत्यंत दुष्कर हो जाता है।
- उचित नागरिक सुविधाओं के अभाव के परिणामस्वरूप मलेरिया, तपेदिक और दस्त जैसे रोगों का प्रसार होता है।
- अवैध कॉलोनियां, शहर का मास्टर प्लान रेगुलेशन ख़राब कर देती हैं।

10.2. जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध हटाने हेतु लाए गए अध्यादेश का मुद्दा

(Ordinance to Lift ban on Jallikattu Issue)

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जल्लीकट्टू पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसे राष्ट्रपति की सहमति भी प्राप्त हो गयी है।
- संविधान के अंतर्गत, राज्यपाल केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है।
- पशुओं के प्रति क्रूरता पर प्रतिबन्ध, समवर्ती सूची में निहित है और संसद ने इस विषय के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम, 1960 का अधिनियमन किया है।
- प्रस्तावित अध्यादेश इस अधिनियम में संशोधन करना चाहता है, यही कारण है कि इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता थी।

10.3. उत्तर-पूर्वी पर्यटन विकास परिषद (NETDC)

(North East Tourism Development Council)

- केन्द्र सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक और निजी भागीदारी व्यवस्था के तहत NETDC का गठन किया है।
- देश में पहली बार किसी विशिष्ट क्षेत्र को समर्पित किसी ऐसी पर्यटन संस्था का गठन किया गया है।
- यह सभी भागीदारों की प्रभावी भागीदारी से पर्यटन उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए एक सामूहिक संस्थागत मंच का कार्य करेगी।
- उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु हाल ही में उठाये गए कुछ अन्य कदम इस प्रकार हैं:

✓ किसी भी युवा उद्यमी या स्टार्ट-अप जो उत्तर-पूर्व में कोई उद्यम या प्रतिष्ठान की स्थापना करना चाहता है, को प्रारम्भिक पूँजी सहायता प्रदान करने के लिए एक "वेंचर फंड" की स्थापना की गयी है।

✓ भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) शिलांग में "डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस" की स्थापना। यह सेंटर, उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए अनुसंधान और विश्लेषण हेतु सुविधा प्रदान करेगा।

10.4. भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स :CPI)

(Corruption Perception Index)

- कुछ ही समय पूर्व ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में 168 देशों की सूची मे भारत को 79वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- CPI-2015 में 168 देशों की सूची में 38/100 अंक अर्जित कर भारत को 76वाँ स्थान मिला था। वर्ष 2014 एवं वर्ष 2013 में भारत के क्रमशः 85वें और 94वें स्थान की तुलना में वर्ष 2015 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
- वर्ष 2016 में भारत को 40 अंकों की प्राप्ति के साथ 79वें स्थान पर रखा गया है।
- डेनमार्क, न्यूज़ीलैंड और फिनलैंड सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची मे शीर्ष स्थान पर हैं।
- सोमालिया, सूडान और उत्तरी कोरिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं।

भ्रष्टाचार बोध सूचकांक (करप्शन परसेप्शन इंडेक्स) के सम्बन्ध में:

- भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का प्रकाशन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है।

- सूचकांक में रैंकिंग के लिए मानदंडों में पुलिस और न्यायपालिका जैसी सार्वजनिक संस्थाओं के प्रकार्य, प्रेस की स्वतंत्रता, लोक व्यय के संदर्भ में सूचनाओं तक पहुँच, लोक प्राधिकारी के लिए सत्यनिष्ठा के उच्च मानक शामिल हैं।

10.5. सार्वजनिक भूमि पर उपासना स्थल

(Places of Worship on Public Land)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रश्न को हल करने का निर्णय किया है कि क्या धर्मनिरपेक्ष सरकार द्वारा सार्वजनिक भूमि को धार्मिक उपासना स्थलों का निर्माण करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान करना सही है।
- इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने धार्मिक उपासना स्थलों का निर्माण करने हेतु सार्वजनिक भूमि के अनुदान के लिए सभी लंबित मामलों की एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया है, भले ही यह मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या यहूदी उपासनागृह आदि हो।

संवैधानिक प्रावधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- संविधान की प्रस्तावना यह निर्धारित करती है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
- अनुच्छेद 25-28 धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार निर्मित करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2009 में सार्वजनिक स्थानों पर उपासना स्थलों के निर्माण पर उस समय तक प्रतिबंध लगा दिया था जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय न प्रदान कर दिया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता माना है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये संवैधानिक प्रावधान निहित रूप से धार्मिक राष्ट्र की स्थापना का निषेध करते हैं तथा राज्य द्वारा स्वयं को किसी विशिष्ट धर्म से पहचान दिए जाने या किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय या पंथ का पक्ष लिए जाने से वर्जित करते हैं।

10.6. संविधान की आठवीं अनुसूची

(Eighth Schedule of Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हिन्दी के प्रोफेसरों के एक समूह ने हिन्दी की बोलियों जैसे भोजपुरी और राजस्थानी को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित न करने हेतु प्रधानमंत्री को लिखा है।

आठवीं अनुसूची के संबंध में

- संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ सम्मिलित हैं। आरम्भिक रूप से संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ सम्मिलित थीं।
- 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को 1992 में जोड़ा गया था।
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में जोड़ा गया था।
- वर्तमान में, आठवीं अनुसूची में न्यूनतम 38 और भाषाओं को जोड़े जाने की मांग है।
- आठवीं अनुसूची में भाषाओं के समावेश के लिए **"मापदंडों का कोई स्थापित सेट नहीं"** है।
- आठवीं अनुसूची में और अधिक भाषाओं के समावेश के लिए वस्तुनिष्ठ मापदंडों का सेट विकसित करने के लिए **सीताकांत महापात्र समिति** स्थापित की गई थी जिसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- उपर्युक्त रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

10.7. सूचना का अधिकार (RTI) अनुपालन दर

(Right to Information (RTI) Compliance Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) रिपोर्ट, 2015-16** के अनुसार, 94% केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में विवरण प्रदान किए हैं।
- 2005-06 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद से सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा **पहली बार** इसकी अनुपालन दर 90% से अधिक रही है।
- इस तरह का उच्च अनुपालन यह प्रदर्शित करता है कि सरकार पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करने की ओर बढ़ रही है।

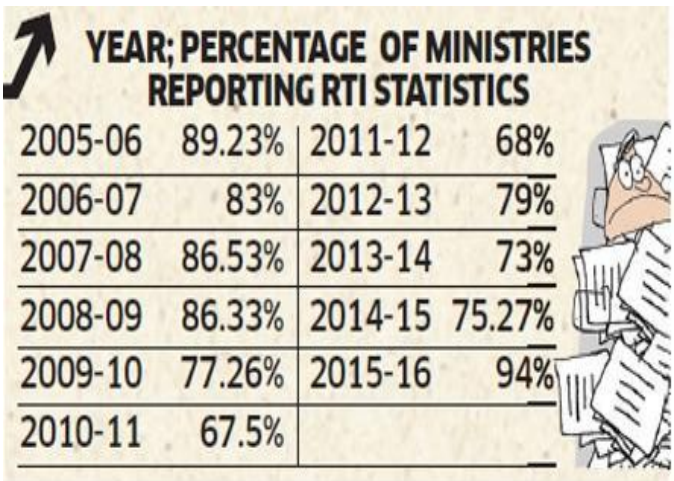

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) के संबंध में

- यह RTI अधिनियम के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यह एक सांविधिक निकाय है।
- आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणों तक विस्तारित है।
- यह RTI अधिनियम, 2005 के अनुसार अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है और इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी हैं।

पृष्ठभूमि

- RTI अधिनियम वर्ष 2005 में संसद द्वारा नागरिकों को सशक्त करने, सरकार के कामकाज में जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- RTI अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक वर्ष सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्निलखित के संबंध में सूचना प्रदान करने की आवश्यकता होती है:

✓ RTI के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या, निपटारा किए गए आवेदन एवं अभी तक लंबित आवेदन।
✓ अस्वीकृत आवेदनों की संख्या एवं अस्वीकृति का आधार।
✓ दायर की गई प्राथमिक अपीलों की संख्या।

- लेकिन इन वर्षों में सार्वजनिक प्राधिकरण RTI संबंधी अपने आंकड़े प्रस्तुत करने के विषय में काफी हद तक अनिच्छुक रहे हैं एवं 2010-11 में इस नियम का अनुपालन करने वालों की संख्या 67.5% तक कम रही है।

केन्द्रीय सूचना आयोग (CIC) द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- इसने ऐसी प्रणाली स्थापित की है, जिसमें प्रत्येक लोक प्राधिकरण को CIC के साथ पंजीकृत होने एवं आँकड़े प्रदान करने की आवश्यकता होती है।
- आंकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरणों की नियमित जांच।
- CIC ने इसका अनुपालन करने में विफल प्राधिकरणों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में ***नेमिंग एंड शेमिंग*** **की नीति** का आरम्भ किया है।

10.8. संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियाँ

(Lieutenant Governor Powers in UT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा दिए गए बयान के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की शक्तियों पर वाद-विवाद प्रारंभ हो गया है। उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि परिस्थितियों के आधार पर वह विधायिका की अनदेखी कर सकती हैं।

- पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 द्वारा निर्देशित किया जाता है।
- दिल्ली का संघ राज्य क्षेत्र, **दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991** एवं **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन कार्य संचालन नियम, 1993** द्वारा प्रशासित किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र (UTs) एवं इसका प्रशासन

- प्रत्येक **UTs** का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा उसके द्वारा नियुक्त "प्रशासक" के माध्यम से किया जाता है।
- **UTs** के प्रशासक को राज्यपाल के समान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, किन्तु वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि मात्र होता है, राज्यपाल की भांति संवैधानिक प्रमुख नहीं होता है।
- प्रशासक को **लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ कमिश्नर या प्रशासक** के रूप में नामोद्दिष्ट किया जा सकता है।
- संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की शक्तियों और कार्यों को भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 239 और 239AA** के तहत् परिभाषित किया जाता है।
- दिल्ली और पुडुचेरी के **UTs** हेतु विधान सभा और मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। इसलिए इन दोनों **UTs** के प्रशासकों को मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श के आधार पर कार्य करना होता है।

10.9. राजनीतिक दलों के लिए कर छूट

(Tax Exemption for Political Parties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक पार्टियों को प्रदान की गई 100% कर छूट समाप्त करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया।

यह क्या है?

- **जनप्रितिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29** के अंतर्गत चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक पार्टी जब तक प्रतिवर्ष अपना आयकर विवरण प्रस्तुत करती रहती है, तब तक उसे कराधान से छूट दी गई है।

- **I-T अधिनियम 1961 की धारा 13A** के अनुसार राजनीतिक पार्टी को इस छूट के लिए पात्रता हेतु स्वैच्छिक योगदान सहित अपने सभी प्रकार के अर्जनों का रिकार्ड संधारित करना चाहिए।
- अधिवक्ता एम.एन. शर्मा द्वारा **I-T अधिनियम, 1961 की धारा 13A एवं जनप्रितिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29** की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई थी।
- याचिका ने इस संबंध में उत्तर की मांग की कि ऐसा क्यों है कि साधारण व्यक्तियों को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है जबकि राजनीतिक पार्टियों को नहीं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है कि राजनीतिक पार्टियों को कार्य करने हेतु निधियों की आवश्यकता होती है।
- यह मामला उस समय प्रकाश में आया था जब विमुद्रीकृत करेंसी नोटों को अपने संबंधित खातों में जमा कराने पर राजनीतिक पार्टियों को कराधान से छूट दी गई थी।

10.10. निजी FM रेडियो द्वारा समाचार प्रसारण

(News Broadcast by Private FM Radios)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एक जनहित याचिका सरकार पर समाचारों के प्रसारण पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का आरोप लगाती है, जबकि रेडियो प्रसारण को 1999 में ही निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र से चार हफ्ते में इस प्रश्न पर अपनी अनुक्रिया दर्ज करने को कहा है कि क्या निजी FM रेडियो स्टेशन और सामुदायिक रेडियो सेवाएं अपने समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण कर सकते हैं।
- वर्तमान में FM और सामुदायिक रेडियो स्टेशन केवल असंपादित आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) समाचार का पुनर्प्रसारण कर सकते हैं।

सरकारी नियंत्रण

- नीति दिशा-निर्देश और ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट (Grant of Permission Agreements: GOPA) FM रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को अपने समाचार और सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने से रोक लगाते हैं।
- समाचार प्रसारण और सम-सामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण पर प्रसार भारती निगम (यह ऑल इंडिया रेडियो का स्वामित्व धारण करता है एवं इसे संचालित करता है) का एकाधिकार है।

विपक्ष में तर्क

- ये दिशा-निर्देश संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- सरकार ने निजी टेलीविज़न चैनलों को समाचारों का प्रसारण करने की अनुमति प्रदान कर दी है किन्तु FM रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो सेवाओं को समाचार एवं सम-सामयिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने से वर्जित किया हुआ है। इन दोनों के बीच अंतर एकपक्षीय (arbitrary) है।

निषेध के पक्ष में तर्क

- भारत की विविधता और आंतरिक सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए, निजी रेडियो स्टेशनों को समाचार एवं सम-सामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण की अनुमति प्रदान करने के "विभिन्न सुरक्षा संबंधी निहितार्थ" हैं।
- रेडियो के श्रोतावर्ग भिन्न हैं और इसकी पहुँच भी भिन्न प्रकार की है।

प्रसार भारती निगम

- यह भारत का लोक सेवा प्रसारक है, जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से स्वायत्त संगठन के रूप में की गई है।
- यह अपनी दो शाखाओं दूरदर्शन और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के माध्यम से कार्य करता है।

10.11. राष्ट्रीय खेल संहिता हेतु समिति

(Committee for National Sports Code)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोढ़ा समिति की अनुशंसाएं अंगीकृत करने के लिए BCCI पर दबाव डालने से, अन्य खेल निकायों के लिए भी राष्ट्रीय खेल संहिता में संशोधन की मांग उठ रही है।
- विश्व भर में अन्य खेल निकायों के विपरीत भारत में खेल निकाय पूर्व एथलीटों की बजाय मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं।
- ये खेल महासंघों के रूप में प्रभावहीन हैं और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं।
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए जनवरी 2017 में खेल सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है जो सभी खेलों में लागू होगी।
- समिति के लिए एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बेहतर खेल प्रशासन के लिए कुछ सुझाव

- निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी खेल शासी निकाय में राजनीतिक संस्थाओं की नाममात्र की या कोई भागीदारी नहीं।
- शिकायत निवारण तंत्र के अंग के रूप में खिलाड़ी संघों का गठन।
- किसी भी खेल संघ के भाग के रूप में अधिकांश खिलाड़ियों का समावेश करना चाहिए। इससे उस विशेष खेल की आवश्यकताओं और मुद्दों की उचित पहचान सुनिश्चित होगी।
- धन के आवंटन और उपयोग के संदर्भ में पारदर्शिता।

10.12. टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना

(Target Olympic Podium Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2020 और 2024 के ओलंपिक खेलों के पदक जीतने की सम्भावना वाले खिलाड़ियों पहचान और समर्थन करने के लिए शीर्ष समिति का पुनर्गठन किया है।

TOP (टारगेट ओलंपिक पोडियम) योजना

- पूर्व की योजना 2016 और 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए संभावित पदक आशाओं की पहचान और समर्थन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खेल विकास फंड (NSDF) के समग्र दायरे में तैयार की गई थी।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित एथलीटों को विश्व स्तरीय सुविधाओं वाले संस्थानों में उनके अनुकूलित प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत एथलीटों के चयन के मानदंड अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं।
- समिति इसकी प्रक्रिया निर्धारित करेगी और आवश्यकता पड़ने पर विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है। समिति का प्रारंभिक कार्यकाल अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष होगा।

10.13. भारत-रवांडा

(India-Rwanda)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रवांडा के राष्ट्रपति श्री पॉल कगामे ने भारत का दौरा किया।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज जारी/विनिमय किए गए:

- भारत और रवांडा के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा।
- रवांडा गणराज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर।
- रवांडा पुलिस और गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन।

निम्नलिखित घोषणाएं की गई

- 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाओं की स्वीकृति और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 1 मिलियन अमरिकी डॉलर का नकद अनुदान।
- एक सड़क परियोजना के लिए 81 मिलियन अमरीकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता।
- रवांडा एयर द्वारा किगाली और मुंबई के बीच सीधी उड़ानों का शुभारंभ।

भारत-अफ्रीका

- 2014-15 में भारत-अफ्रीका का व्यापार लगभग 70 बिलियन डॉलर था पिछले दशक में अफ्रीका में भारतीय निवेश 30-35 अरब डॉलर था।
- भारत की तुलना में, चीन ने सड़कों, रेलवे, विमान पत्तनों और सरकारी भवनों जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं में लगभग 200 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

10.14. ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ़ इंडिया (OCI) कार्ड

(Overseas Citizenship of India Card)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत सरकार ने OCI कार्ड की अधिप्राप्ति के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।

OCI क्या है?

- भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, एक विदेशी नागरिक OCI कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है, यदि

✓ वह 26 जनवरी, 1950 के समय, या के बाद किसी भी समय भारत का नागरिक था; या

✓ वह 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए पात्र था; या

✓ वह 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का भाग बनने वाले क्षेत्र से संबंधित था; या

- ✓ वह उपर्युक्त पात्रता धारण करने वाले नागरिक की संतान या पोता या पड़पोता है; या
- ✓ वह उपर्युक्त पात्रता धारण करने वाले व्यक्ति की अल्पवयस्क संतान है; या
- ✓ वह अल्पवयस्क संतान है जिसके माता-पिता दोनों भारत के नागरिक हैं या माता-पिता में से एक भारत का नागरिक है।
- उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त, भारत के नागरिक या OCI कार्ड धारक का/की विदेशी मूल का/की पति/पत्नी जिसका विवाह पंजीकृत है और आवेदन की प्रस्तुति से तत्काल पूर्ववर्ती कम से कम दो वर्षों से अस्तित्व में बना हुआ है, OCI कार्ड के लिए पात्र है।
- इसके साथ ही, कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा/परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे किसी अन्य देश (जिनके संबंध में सरकार अधिसूचित करती है) के नागरिक हैं या रहे हैं, OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं है।
- OCI कार्ड नागरिकता कार्ड नहीं है और दोहरी नागरिकता / राष्ट्रीयता नहीं प्रदान करता है।
- OCI कार्ड धारक का **भारत में मताधिकार नहीं है, और वह कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है या कोई संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता है।**
- वह कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है, हालांकि, वह पैतृक संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकता है।
- OCI कार्ड वीजा मुक्त यात्रा, निवास का अधिकार और व्यापार और शैक्षिक गतिविधियों में झंझट मुक्त भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है।
- OCI स्कीम का शुभारंभ 2005 में किया गया था और 2015 में इसका PIO (भारतीय मूल का व्यक्ति) स्कीम में विलय कर दिया गया।

10.15. पासपोर्ट सेवा केंद्र: अनूठी पहल

(Passport Seva Kendra: Unique Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय पासपोर्ट की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए देश भर में जिला स्तर पर 650 डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने के लिए डाक विभाग के साथ सहयोग कर रहा है।

- जर्मनी 157 के वीजा-फ्री स्कोर (visa-free score) के साथ शीर्ष स्थान पर है।
- जबकि पाकिस्तान और चीन का स्थान क्रमश: 94 और 66 है।

यह किस प्रकार काम करेगा

- आवेदक अब मिलने का निश्चित समय ऑनलाइन निर्धारित कर सकते हैं और उसके बाद औपचारिकताएँ पूरा करने के लिए नामित POPSK (प्रधान डाकघर POPSK के रूप में काम करेगा) का दौरा कर सकते हैं।
- इससे पासपोर्ट की बड़ी मांग पूरा करने में सहायता मिलेगी (लगभग 2 करोड़ / वर्ष और विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सर्वाधिक)।
- देश में 37 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के अधीन काम करने वाले केवल 89 पासपोर्ट सेवा केन्द्र हैं।
- पहले दो POPSK पायलट आधार पर गुजरात में दाहोद और कर्नाटक में मैसूर में खोले जाएंगे
- भारतीय पासपोर्ट को 46 के वीजा-फ्री स्कोर (visa-free score) के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की वैश्विक रैंकिंग में 78वां स्थान दिया गया है।

10.16. प्रभावी प्रबंधन स्थल

(Place of Effective Management-POEM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) (वित्त मंत्रालय) ने भारत में व्यापार के लिए प्रभावी प्रबंधन स्थल (POEM) के निर्धारण के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- ये दिशा-निर्देश द्विस्तरीय अनुमोदन प्रक्रिया प्रदान करते हैं जिसमें कर अधिकारी को वरिष्ठ कर अधिकारी से पूर्व-स्वीकृति और तीन वरिष्ठ अधिकारियों के बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

POEM के विषय में

- प्रभावी प्रबंधन स्थल को व्यापक रूप से ऐसे स्थल के रूप में परिभाषित किया गया है जहां प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं न कि जहाँ ये निर्णय कार्यान्वित किए जाते हैं।
- नए दिशा-निर्देश, जो वित्त वर्ष 2016-17 के आरंभ से प्रभावी होंगे, एक वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रुपये या उससे कम की कुल बिक्री या सकल प्राप्तियों वाली कंपनियों पर नहीं लागू होंगे और शेल (shell) कंपनियों द्वारा करअपवंचन पर अंकुश लगाने के निमित्त लक्षित हैं।
- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य भारत में केवल स्थायी प्रतिष्ठान या व्यापारिक संबंध की उपस्थिति के आधार पर विदेशी कंपनियों को कवर करना या उनकी वैश्विक आय पर कर लगाना नहीं है।
- **POEM दिशा-निर्देशों का प्रभाव:** यह परिवर्जन-रोधी उपाय (anti-avoidance measure) के रूप में सहायता करेगा और घरेलू कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियों और विदेशी कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों की अप्रत्यक्ष आय को कर के दायरे में लाया जा सकेगा।

10.17. घरेलू आस्तियां और ऋणग्रस्तता

(Household Assets and Indebtedness)

NSSO (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन)

- यह अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में सांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रहण के लिए सरकार की मुख्य एजेंसी है।
- यह विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण संचालित करता है।
- 1950 में वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण निदेशालय के रूप में इस निकाय की स्थापना की गई थी।
- इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है और वर्तमान में यह **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के अधीन है।

सुर्ख़ियों में क्यों?

- NSSO का दिसंबर 2016 में जारी घरेलू आस्तियों और ऋणग्रस्तता पर 70वें दौर का सर्वेक्षण बढ़ते ऋण उद्ग्रहण और वृद्धिशील घरेलू ऋण पर प्रकाश डालता है।
- 2002-12 के NSSO के आंकड़ों के विश्लेषण से ऋण उद्ग्रहण और तत्परिणामी ऋण बोझ में अभूतपूर्व वृद्धि का पता चलता है।
- ऋण की राशि (AOD) 2003 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 7539 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 11,771 रुपये से बढ़कर क्रमश: 1.03 लाख रुपये और 3.78 लाख रुपये हो गई है।
- इन आंकड़ों से यह भी चलता है कि परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण उद्ग्रहण किस प्रकार ग्रामीण और शहरी परिवारों में बढ़ा है और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के बीच सर्वाधिक था।

विश्लेषण

- SC और ST समुदाय द्वारा वर्धित ऋण उद्ग्रहण से पता चलता है कि जब उपभोग और एक विशेष जीवन स्तर बनाए रखने की बात आती है तो वे अन्य समुदायों के कदम से कदम मिला रहे हैं।
- इस विश्लेषण से पता चलता है कि उधार लिया गया अधिकांश धन घरेलू व्यय को पूरा करने हेतु व्यय किया गया था जो ग्रामीण क्षेत्रों में 60% और शहरी क्षेत्रों में 81% रहा।
- हालांकि, घरेलू व्यय पूरा करने के लिए ऋण उद्ग्रहण में समग्र वृद्धि चिंताजनक पहलू है। अर्थशास्त्री घरेलू ऋण के उच्च स्तर (घरेलू ऋण के GDP से अनुपात के रूप में मापित) को निम्न आर्थिक वृद्धि से संबंधित करते है।
- आर्थिक उत्पादन के बड़े भाग के उपभोग के लिए निश्चित होने से (जब घरेलू आवश्यकताएं पूरा करने पर अधिक धन व्यय किया जाता है), आयात में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है जिससे चालू खाते के घाटे पर दबाव पड़ता है।

10.18. DISHA परियोजना

(Project Disha)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए विमान पत्तनों हेतु निर्देश जारी करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप का उपयोग कर रहा है।

DISHA परियोजना क्या है?

- AAI ने पिछले वर्ष ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए **DISHA परियोजना** (Driving Improvement in Service and Hospitality at Airports) को लांच किया था।
- इसका उद्देश्य है -

✓ ग्राहक सुविधा में सुधार लाना
✓ विमान पत्तन की शौचालय जैसी सुविधाओं में सुधार लाना
✓ नेविगेशन में सुधार लाना

- ✓ सर्वोत्तम और सस्ते खाद्य और पेय पदार्थ प्रदान करना।
- ✓ यह परियोजना 10 विमान पत्तनों (कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, भुवनेश्वर, पुणे, गोवा, गुवाहाटी, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम) पर लागू की जा रही है।

इस परियोजना का महत्व

- परियोजना से प्रक्रियात्मक समय (queuing time) में कमी आएगी और प्रक्रियाओं का सरलीकरण होगा।
- इससे वायु और रेल परिवहन जैसे अलग-अलग परिवहन क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी।
- अंततः इसका परिणाम बेहतर सार्वजनिक परिवहन के रूप में सामने आएगा।
- यह सोशल मीडिया का भी अभिनव प्रयोग है जिससे ई-गवर्नेंस में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- इससे हमारी हाल की नागरिक उड्डयन नीति के अनुसार ग्राहक संतुष्टि में भी सुधार आएगा।

10.19. तमिलनाडु में भूजल की स्थिति: मामले का अध्ययन

(Ground water in Tamil Nadu: A Case Study)

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) ने हाल ही में तमिलनाडु को तत्काल उपचारात्मक उपाय न किए जाने पर राज्य में आसन्न जल संकट के संबंध में चेतावनी दी।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड

- यह जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में स्थापित किया गया अधीनस्थ कार्यालय है।
- राष्ट्रीय शीर्ष एजेंसी होने के कारण यह देश के भू-जल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, आकलन, संवर्धन और विनियमन के लिए वैज्ञानिक सूचनायें प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है।

10.20. किसान आत्महत्याओं संबंधी आंकड़े

(Farmer Suicides Data)

- राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो डेटा (NCRB) प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2015 में आत्महत्या करने वाले 72% से अधिक किसान दो हेक्टेयर से कम भूमि के स्वामी (छोटे किसान) थे।
- रिपोर्ट यह भी प्रदर्शित करती है कि 27.4% आत्महत्यायें सीमान्त किसानों ने की।
- संपूर्ण परिदृश्य और भी विकट हो जाता है क्योंकि निरंतर घटते कृषक आधार के साथ-साथ किसान आत्महत्याओं की घटनायें बढ़ रही हैं अर्थात् किसानों की कुल संख्या निरंतर घटती जा रही है।
- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित राज्य हैं।
- एक अनुमान के अनुसार वर्ष 1995 के बाद से लगभग तीन लाख किसानों ने आत्महत्यायें की हैं।
- यदि हम यहाँ पर किसान की परिभाषा पर ध्यान न दें तो वास्तविक संख्या और भी अधिक हो सकती है।

10.21. जीवन रेखा: ई-स्वास्थ्य परियोजना

(Jeevan Rekha: E-Health Project)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केरल सरकार ने **विश्व बैंक** से सहायता प्राप्त **ई-स्वास्थ्य परियोजना**, **जीवन रेखा** आरम्भ की।

परियोजना के संबंध में

- यह देश में अपने प्रकार की प्रथम पहल है। इसके दो अवयव हैं– सार्वजनिक स्वास्थ्य और हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल।
- परियोजना का मुख्य उद्देश्य **इंटीग्रेटेड हेल्थकेयर क्लाउड** का निर्माण करना है। इस हेल्थकेयर-क्लाउड में इस राज्य के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में विद्यमान होंगे।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य घटक, जनसंख्या के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स (EHR) में सुधार की परिकल्पना करता है जबकि हॉस्पिटल ऑटोमेशन मॉड्यूल सभी सरकारी अस्पतालों के डिजिटलीकरण की परिकल्पना करता है।
- यह प्रणाली हेल्थकेयर सिस्टम में पहुँच स्थापित करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वत: एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगी एवं उसके हेल्थ रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप (EHR) में सेंट्रल-सर्वर में संग्रहित करेगी।
- सार्वजनिक रूप से रोगी के हेल्थ रिकॉर्ड्स का प्रकटीकरण न हो, यह सुनिश्चित करने हेतु इसमें गोपनीयता के उपबंध को समाविष्ट किया गया है।

10.22. भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार (स्टॉक एक्सचेंज)

(India's First International Stock Exchange)

- GIFT (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसियल टेक) सिटी के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थापित भारत के प्रथम अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार – इंडिया इंक्स (India INX) ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2017 का उद्घाटन किया।

- इंडिया इंक्स, बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अधीनस्थ कंपनी है जिसे विश्व के सर्वाधिक उन्नत प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसका ऑर्डर रिस्पांस टाइम 4 माइक्रो सेकंड है।
- यह अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजार प्रतिदिन 22 घंटे संचालित होगा और इस प्रकार निवेशकों एवं अनिवासी भारतीयों को विश्व भर में कहीं से भी सुविधाजनक रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- यह इंक्स (INX) आरिम्भक रूप से इक्विटी डेरीवेटिव्स, करेंसी डेरीवेटिव्स एवं कमोडिटी डेरीवेटिव्स का व्यापार करेगी जिसमें सूचकांक और शेयर सम्मिलित होंगे। यह बाद में डिपाज़टरी रिसीट एवं बांड प्रस्तुत करेगी।

10.23. सभी के लिए आरोग्य रक्षा

(Arogya Raksha for All)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- आन्ध्र प्रदेश सरकार ने "आरोग्य रक्षा योजना" नामक नई योजना का शुभारम्भ किया है।
- यह राज्य सरकार की वर्तमान किसी भी स्वास्थ्य योजना में समाविष्ट नहीं किए गए लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी।
- अब आन्ध्र प्रदेश, **WHO के हेल्थ फॉर ऑल विज़न** को सही अर्थों में पूरा करने वाला देश का प्रथम राज्य होने का दावा कर सकता है।

योजना की विशेषतायें

- यह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना है जो निर्धनता रेखा से ऊपर जीवन-यापन करने वाले परिवारों को प्रदान की जाएगी।
- परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिवर्ष 1200 रु. प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा राशि प्राप्त करने में सक्षम होगा। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा राशि प्रस्तावित की जाती है।
- विभिन्न सरकारी एवं निजी अस्पतालों को आरंभ से लेकर अंत तक कैशलेस प्रणाली का नियोजन कर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के अंतर्गत 1044 रोगों हेतु उपचार प्रदान करने के लिए सूत्रबद्ध किया जा रहा है।
- चिकित्सा, मनोविज्ञान, नर्सिंग और गृह-विज्ञान के छात्रों को स्वास्थ्य विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत गांवों का दौरा करने एवं प्रत्येक व्यक्ति की रोग संबंधी प्रोफ़ाइल तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिससे अस्पताल उनका बेहतर उपचार कर सकें।

10.24. केरल में "पिंक" पहल

('Pink' initiatives in kerela)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केरल के शहरों में महिलाओं द्वारा संचालित पिंक टैक्सियों से प्रेरित होकर केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) तिरुवनंतपुरम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए गुलाबी रंग की बसें आरम्भ करेगा।
- इन बसों की चालक एवं परिचालक दोनों महिलाएँ होंगी।
- इसका उद्देश्य विशेष रूप से बसों में अत्यधिक भीड़ होने के दौरान महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना है।
- इससे पहले, राज्य सरकार ने 2013 में महिलाओं द्वारा संचालित कैब के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करने के लिए **जेंडर पार्क पहल** के अंतर्गत **"शी-टैक्सी"** सेवा लांच की थी।

जेंडर पार्क पहल

- कोझिकोड में अवस्थित यह पार्क, सामाजिक न्याय विभाग, केरल सरकार की नवोन्मेषी पहल है।
- विश्व में अपनी तरह के पहले इस पार्क का उद्देश्य क्षेत्र में लिंग आधारित गतिविधियों के लिए प्रमुख सम्मिलन स्थल बनना है।
- **शी-टैक्सी सेवा** के अतिरिक्त **जेंडर पार्क** के अंतर्गत की गई अन्य पहलें इस प्रकार हैं:

✓ **इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर जेंडर एंड डेवलपमेंट (IIGD)**: यह उच्च गुणवत्ता अनुसंधान कार्यान्वित करने, प्रभावी क्षमता विकास कार्यक्रम का प्रारूप बनाने तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं एवं जनता को व्यावहारिक अनुशंसाएँ प्रदान करने हेतु समर्पित है।

✓ **इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन जेंडर इक्वलिटी (ICGE)**: यह पार्क, लैंगिक-न्याय आधारित विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं का अन्वेषण करने के लिए सम्पूर्ण विश्व से विद्वानों, व्यवसायियों, नीति-निर्माताओं और पेशेवरों को एकजुट कर द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करता है।

अतिरिक्त सूचना

- पिछले वर्ष केरल ने सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पिंक पुलिस पेट्रोल (जिसे पिंक बीट पेट्रोल के नाम से भी जाना जाता है) की टीम का शुभारम्भ किया। यह केवल विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला पुलिस कर्मियों को सम्मिलित करती है।
- ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) ने महिलाओं के लिए "शी टॉइलेट" नामक विशिष्ट और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक शौचालय (ई-शौचालयों) का आरम्भ किया है। इनमें स्मार्ट और इकोफ्रेंडली प्रकाश व्यवस्था और फ़्लश प्रणालियाँ होती हैं।

10.25. नये मानव अंग की खोज: मेसेन्टरी

(New Human Organ Found: Mesentery)

- आयरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा एक नया मानव अंग वर्गीकृत किया गया है जिसे मेसेन्टरी के नाम से जाना जाता है।
- यह उदर गुहा (ऐब्डामनल केविटी) की परत अर्थात पेरिटोनियम की दोहरी परत होता है, तथा हमारी आंत को हमारे ऐब्डामनल वॉल से जोड़ता है और सभी अंगों को अपने नियत स्थान पर बनाए रखता है।
- यह नया अंग हमारे पाचन तंत्र में पाया जाता है और पहले इसे खंडित, पृथक संरचनाओं से निर्मित माना जाता था। किंतु हाल ही के अनुसंधान ने दर्शाया हैं यह वस्तुत: एक अविच्छिन्न अंग है।

Note: greater omentum, lesser omentum, falciform ligament, transverse mesocolon, mesentery, sigmoid mesocolon

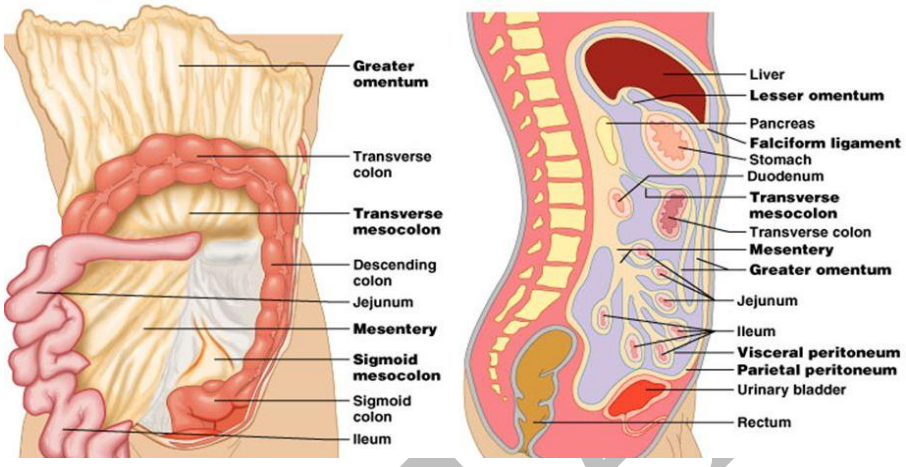

- यह आंत तथा शेष शरीर के बीच रक्त एवं लसिका तरल पदार्थ (lymphatic fluid) का वहन करता है। यह आंत की स्थिति को भी बनाए रखता है ताकि यह सीधे संपर्क में रहे बिना ऐब्डामनल वॉल से जुड़ी रहे।
- इसका पुनर्वर्गीकरण उदर संबंधी एवं पाचन तंत्र संबंधी रोगों में इसकी भूमिका की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहयोग करेगा जिसके परिणामस्वरुप आगे कम इन्वेसिव (invasive) सर्जरी, कम जटिलताएँ, रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा कम लागत में उपचार संभव हो सकेगा।

10.26. ग्रेट रेड स्पॉट

(The Great Red Spot)

NASA ने चापाकार बृहस्पति ग्रह का नवीन दृश्य जारी किया है जो 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल' नाम से ज्ञात अंडाकार आकृति की तूफानों (स्टोर्म) की श्रृंखला सहित प्रतीक रूप में ग्रेट रेड स्पॉट प्रदर्शित करता है।

ग्रेट रेड स्पॉट क्या है?

- ग्रेट रेड स्पॉट, बृहस्पति के वायुमंडल में एक विशाल, चक्राकार एवं स्थायी तूफान होता है।
- यह पृथ्वी पर हरिकेन के समान होता है तथा इसका आकार हमारे ग्रह के आकार की तुलना में दोगुना होता है और यह 400 वर्षों से देखा जा रहा है।
- ये बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्द्ध में पाए जाते हैं।

स्ट्रिंग ऑफ पर्ल

ये वामावर्त घूर्णन करने वाले विशाल तूफान होते हैं जो बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्द्ध में सफेद अंडाकृतियों के रूप में दिखाई देते हैं। 1986 के बाद से छह से नौ तक की संख्या में ये सफेद अंडाकृतियां पाई जाती हैं। वर्तमान में आठ सफेद अंडाकृतियां दृश्यमान हैं।

जूनो (JUNO)

जूनो नासा का अंतरिक्ष यान है, जो बृहस्पति की रचना, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के मापन के लिए इसकी परिक्रमा कर रहा है।

10.27. अग्नि IV मिसाइल लांच

(Launch of Agni IV Missile)

भारत ने उड़ीसा तट के निकट स्थित **डॉ. अब्दुल कलाम** द्वीप से, जिसे पहले **व्हीलर द्वीप** के नाम से जाना जाता था, अपने स्वदेशी रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि- IV की परीक्षण फायरिंग को सफलतापूर्वक सम्पन्न किया।

अग्नि IV के संबंध में

- 4000 किमी. तक मारक क्षमता वाली यह मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है।
- सतह से सतह पर मार करने में सक्षम अग्नि IV मिसाइल द्विचरणीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसके दोनों चरण ठोस प्रणोदकों द्वारा संचालित हैं।
- अग्नि- IV मिसाइल एक टन न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है।

- यह रिंग लेजर जाइरोस्कोप आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है और इसमें उड़ान के दौरान होने वाले अवरोधों से स्वयं को सही एवं दिशा निर्देशित करने की क्षमता है।
- इससे पूर्व पांच वर्षों के दौरान, अग्नि- IV के पांच सफल परीक्षण हो चुके हैं।

10.28. हाइपरबिलिरुबिनेमिया

(Hyperbilirubinemia)

- IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की जो हाइपरबिलिरुबिनेमिया का पता लगाने के लिए अंगूठे की छाप (थंबप्रिंट) का उपयोग करती है।
- हाइपरबिलिरुबिनेमिया ऐसी स्थिति है, जब रक्त में बिलिरूबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है एवं आँख का श्वेतपटल (sclera), मूत्र एवं यहाँ तक कि त्वचा का रंग भी पीला हो जाता है।
- यह सामान्य रूप से पीलिया से पीड़ित व्यक्तियों एवं नवजातों में देखा जाता है, जब आम तौर पर रक्त में बिलिरूबिन की सान्द्रता वयस्कों में 12 ppm एवं नवजातों में 50 ppm से अधिक हो जाती है।
- शोधकर्ताओं ने गोल्ड नैनोक्लस्टर के संदीप्ति गुणधर्म (Luminescence property) का उपयोग किया है, जो पर्यावरण में अणुओं की उपस्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।
- पीलिया में, बिलिरूबिन त्वचा की सतह पर जमा हो जाता है। इसलिए जब तांबा (कॉपर) निक्षेपित की गई गोल्ड नैनोक्लस्टर लेपित झिल्ली पर अंगूठे का दबाव डाला जाता है, तो बिलिरूबिन तांबे के साथ एक सम्मिश्र (complex) का निर्माण करता है तथा तांबे द्वारा अवरोधित की जा रही संदीप्ति को पुनर्स्थापित कर देता है।

10.29. मार्स आइस होम

(Mars Ice Home)

- NASA के वैज्ञानिकों ने लाल ग्रह पर उपस्थित जल-बर्फ (water ice) का प्रयोग कर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए संवहनीय आवास का निर्माण करने की सरल अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसे **मार्स आइस होम** कहा जाता है।
- यह इन्फ्लेटबल टोरस (inflatable torus) होगा, जिसका आकार बर्फ के आवरण से घिरी इनर ट्यूब के समान होगा।
- आइस होम के आंतरिक तापमान को नियंत्रित करने के लिए मंगल ग्रह पर ही उपलब्ध कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत का प्रयोग, आवास स्थल (living space) और बर्फ की सतह के बीच ऊष्मा रोधन के लिए किया जाएगा।
- यह अवधारणा विकिरण से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता को संतुलित करती है, और इसमें भूमिगत पर्यावास संबंधी कमियां भी नहीं हैं जिनके लिए पृथ्वी से भारी रोबोट उपकरण का परिवहन करने की आवश्यकता होगी।

10.30. तटीय क्षेत्र का विनियमन

(Coastal Zone Regulation)

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC)** द्वारा रजक्कमंगलम थुरई फिशिंग हार्बर प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान की गई CRZ मंजूरी के निरस्तीकरण के निर्णय को बरकरार रखा।

तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC) ने 1991 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तटीय क्षेत्र में गतिविधियों के विनियमन के एक अधिसूचना जारी की।
- अधिसूचना में "उच्च ज्वार रेखा" (high tide line), 'तटीय विनियमन जोन' (CRZ) को परिभाषित किया गया तथा इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियों को भी सूचीबद्ध किया गया।
- अधिसूचना के अनुसार, उच्च ज्वार रेखा से 500 मीटर तक की तटीय भूमि एवं छोटी नदी, ज्वारनदमुखों, पश्चजल एवं नदियों के किनारे और 100 मीटर तक मंच सदृश ऐसा क्षेत्र जो ज्वार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता हो, उसे CRZ कहा जाएगा।
- CRZ को भूमि के स्वीकृत उपयोग के अनुसार चार श्रेणियों CRZ (1-4) में विभाजित किया गया था।
- अधिसूचना में अंतिम संशोधन 2011 में किया गया था।

10.31. चेन्नई मेट्रो बाइक रेंटल स्कीम

(Chennai Metro bike rental scheme)

- चेन्नई मेट्रो रेल ने अपने स्टेशनों पर किराए पर साइकिल देना आरम्भ किया है एवं इस कदम के माध्यम से चेन्नई मेट्रो यातायात संकुलता को कम करने हेतु सड़कों पर अधिकाधिक संख्या में साइकिल चलाने के वैश्विक आंदोलन में भागीदारी करने के लिए आशान्वित है।
- नियमित आने-जाने वाले व्यक्ति को 3000 रु. की प्रतिदेय धनराशि का भुगतान करना होगा। उन्हें दैनिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।
- यद्यपि यह परियोजना पहले बेंगलुरु और दिल्ली में आरंभ की गई थी लेकिन बहुत सफल नहीं रही, किन्तु पेरिस, शंघाई, लंदन, हांग्जों जैसे शहरों में यह रेंटल स्कीम बहुत सफल रही है।
- यदि योजना सफल होती है, तो इसे भारत के अन्य महानगरों में भी कार्यान्वित किया जा सकता है, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी स्थापित करने में सहायता प्राप्त हो सकती है तथा व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होने के साथ-साथ कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी की जा सकती है।

10.32. मांझा धागों पर प्रतिबंध

(Ban on Manja Threads)

- सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) द्वारा वर्ष 2016 में मांझा धागों पर अधिरोपित प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है।
- NGT ने पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ़ एनिमल्स (PETA) द्वारा दायर याचिका के बाद फरवरी 2016 तक "मांझा धागों" पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- यह प्रतिबंध नायलॉन, कपास और चायनीज कांच लगे मांझे पर लागू किया गया था।
- पेटा ने अपनी याचिका में कहा था कि चायनीज मांझा पर्यावरण के लिए खतरा है, क्योंकि ये पशु-पक्षियों एवं मानव को क्षति पहुंचाता है।
- पेटा ने यह भी कहा कि कुटीर उद्योगों द्वारा छोटे बच्चों को मांझा निर्माण में लगाया जाता है, जिससे श्वास के माध्यम से हानिकारक पदार्थों को ग्रहण करने से उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
- दिल्ली सरकार ने भी चायनीज मांझे द्वारा अगस्त 2016 में 6 लोगों के मारे जाने से हत्यारे धागे के रूप में कुख्यात होने के बाद इसके उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।

- मांझा धागा पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाला एक धागा है।
- इनको कांच एवं धातु पाउडर के कोटिंग से धारदार बनाया जाता है।

10.33. ऑर्फ़न ड्रग

(Orphan Drug)

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को गौशे रोग (Gaucher's diseases) से ग्रसित 6 वर्ष के बच्चे को वर्ष 2013 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नि:शुल्क एंजाइम थेरेपी देने का निर्देश दिया।
- ऑर्फ़न ड्रग, **दुर्लभ रोगों के उपचार हेतु विकसित विशेष औषधियाँ** हैं। विश्व में लगभग 7000 दुर्लभ रोग हैं।

वर्तमान स्थिति

- विश्व भर में अनुसंधान एवं विकास तथा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु **विशिष्ट ऑर्फ़न ड्रग नीतियाँ** विद्यमान हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1983 में ऑर्फ़न ड्रग अधिनियम पारित किया। जापान, आस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने भी इसी प्रकार के कानून अधिनियमित किए हैं।
- ये कानून दवा कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास संचालित कर दुर्लभ रोगों का उपचार प्राप्त करने के लिए लघु अवधि नैदानिक परीक्षण और कर छूट जैसे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
- कर्नाटक, **दुर्लभ रोग और ऑर्फ़न ड्रग नीति** लांच करने वाला पहला राज्य बन गया है, इस नीति में दुर्लभ रोगों के कारण अप्राकृतिक मृत्यु को कम करने हेतु निवारक और वाहक परीक्षण (preventive and carrier testing) के कार्यान्वयन का सुझाव दिया गया है।

10.34. सेवा प्रभार वैकल्पिक

(Service Charge Optional)

- **उपभोक्ता कार्य विभाग (DCA)** ने हाल ही में घोषणा की कि होटल/रेस्तरां में सेवा प्रभार स्वैच्छिक हैं एवं सेवा से असंतुष्ट उपभोक्ता इससे छूट प्राप्त कर सकता है।
- उपभोक्ता कार्य विभाग (DCA) ने कहा कि सेवा प्रभार को बाध्यकर बनाना **उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (CPA)** के अंतर्गत **अनुचित व्यापार व्यवहार** है।
- यहाँ तक कि इसने राज्य सरकारों को राज्य में कंपनियों, होटल और रेस्तरां के बीच अनुचित व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रावधान के संबंध में जागरूकता विकसित करने के लिए भी कहा।
- इसने होटलों/ रेस्तरां को यह सूचना प्रदर्शित करने का भी निर्देश दिया है, कि "**सेवा प्रभार विवेकाधीन हैं** "।

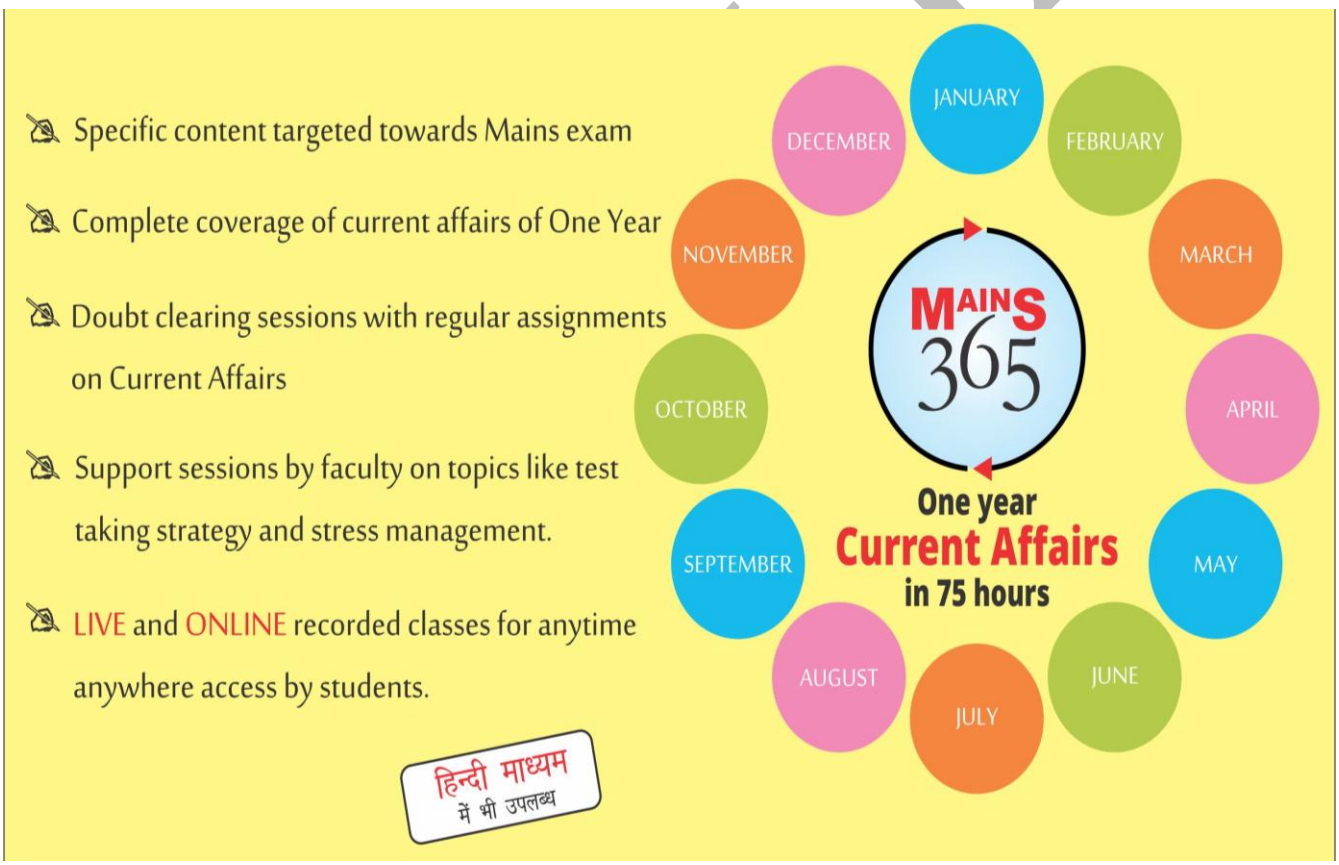

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.